



सत्यमेव जयते

# विनियोग लेखे (2017-18)



लोकहितार्थं सत्यमिच्छा  
Dedicated to Truth in Public Interest



उत्तराखण्ड सरकार

उत्तराखण्ड सरकार

# विनियोग लेखे

वर्ष 2017-18

उत्तराखण्ड सरकार



## विषय सूची

पृष्ठ सं०

विषय सूची	i
प्रस्तावना	iii
विनियोग लेखे का सारांश	iv
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र	xv
अनुदान/विनियोग की संख्या तथा नाम	
01 विधान सभा	1
02 राज्यपाल	4
03 मंत्रिपरिषद्	6
04 न्याय प्रशासन	9
05 निर्वाचन	15
06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	18
07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं	28
08 आबकारी	54
09 लोक सेवा आयोग	56
10 पुलिस एवं जेल	59
11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	67
12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	95
13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	111
14 सूचना	120
15 कल्याण योजनाएं	123
16 श्रम और रोजगार	142
17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान	147
18 सहकारिता	159
19 ग्राम्य विकास	162
20 सिंचाई एवं बाढ़	170
21 ऊर्जा	181
22 लोक निर्माण कार्य	185
23 उद्योग	194
24 परिवहन	202
25 खाद्य	208
26 पर्यटन	212
27 वन	215
28 पशुपालन संबंधी कार्य	223
29 औद्योगिक विकास	231
30 अनुसूचित जातियों का कल्याण	236
31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	256

## परिशिष्ट

परिशिष्ट I	आकस्मिकता निधि से वर्ष 2017-2018 की अवधि में स्वीकृत अग्रिमों से किए गए व्यय, जिनकी वर्ष के अंत तक निधि में प्रतिपूर्ति नहीं की गई।	275
परिशिष्ट II	वसूलियों के अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों का, जिन्हें व्यय में कटौती करके लेखों में समायोजित किया गया है, अनुदानवार विवरण।	276
परिशिष्ट III	उचंत लेनदेन - सिंचाई विभाग - राजस्व प्रभाग।	278
परिशिष्ट IV	उचंत लेनदेन - सिंचाई विभाग - पूंजीगत प्रभाग।	279
परिशिष्ट V	उचंत लेनदेन - लोक निर्माण विभाग।	280

### प्रस्तावना

उत्तराखण्ड सरकार के वर्ष 2017-2018 के विनियोग लेखे के इस संकलन में भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित किये विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में संलग्न निर्दिष्ट राशियों की तुलना करते हुये 31 मार्च 2018 को समाप्त हुये वर्ष में व्यय की गयी राशियों के लेखे सन्निहित हैं ।

इस लेखे में-

'मूल' से तात्पर्य अनुदान या विनियोग से है ।

'पूरक' से तात्पर्य पूरक अनुदान या विनियोग से है ।

'पुनर्वि०' से तात्पर्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोगों, वापसियों अथवा अभ्यर्पण से है ।

*प्रभारित* विनियोग एवं व्यय *तिरछांकित* किये गये हैं ।

#### **टिप्पणियों पर चयन का मानक**

##### **बचत पर टिप्पणियों के चयन का मानक:**

- (अ) जब किसी अनुदान के किसी प्रक्षेत्र में (जैसे राजस्व-दत्तमत, राजस्व-प्रभारित, पूंजीगत-दत्तमत, पूंजीगत-प्रभारित) कुल बचत बजट प्रावधान का 2 प्रति शत या ₹ 5.00 लाख से अधिक हो, में जो भी अधिक हो ।
- (ब) जब किसी अनुदान के किसी उपशीर्ष में बचत उस उपशीर्ष में बजट प्रावधान का 10 प्रति शत या ₹ 5.00 लाख, जो भी अधिक हो ।

##### **आधिक्य पर टिप्पणियों के चयन का मानक:**

- (अ) किसी अनुदान के किसी प्रक्षेत्र में (जैसे राजस्व-दत्तमत, राजस्व-प्रभारित, पूंजीगत-दत्तमत, पूंजीगत-प्रभारित) व्ययाधिक्य प्राप्त होने पर उसके नियमितीकरण हेतु टिप्पणी में लिया जाता है ।
- (ब) प्रत्येक उपशीर्ष जहाँ पर ₹ 2.00 लाख या उस उपशीर्ष के कुल बजट प्रावधान का 10 प्रति शत से अधिक व्ययाधिक्य प्राप्त होता है, में जो भी कम हो पर टिप्पणियाँ ।

अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>01. विधान सभा</b>				
दत्तमत	43,64,73	20,20,00	43,18,90	19,74,12
भारित	2,38,59	--	1,38,75	--
<b>02. राज्यपाल</b>				
दत्तमत	--	--	--	--
भारित	10,40,07	--	8,21,64	--
<b>03. मंत्रिपरिषद्</b>				
दत्तमत	64,29,99	25,00,00	52,31,05	23,71,70
भारित	--	--	--	--
<b>04. न्याय प्रशासन</b>				
दत्तमत	1,63,72,26	18,50,02	1,44,34,60	14,74,01
भारित	39,41,50	--	32,21,84	--
<b>05. निर्वाचन</b>				
दत्तमत	44,34,78	--	41,13,04	--
भारित	--	--	--	--
<b>06. राजस्व एवं सामान्य प्रशासन</b>				
दत्तमत	17,52,66,79	7,28,90,06	9,29,37,44	5,82,75,23
भारित	2,39,23	--	1,88,29	--
<b>07. वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं</b>				
दत्तमत	76,29,63,29	4,51,99,70	74,03,48,58	1,89,58,43
भारित	46,34,32,80	26,40,23,00	39,88,18,25	76,51,62,33
<b>08. आबकारी</b>				
दत्तमत	25,40,58	--	22,81,99	--
भारित	--	--	--	--





अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>09. लोक सेवा आयोग</b>				
दत्तमत	14,90,44	--	14,41,33	--
भारित	24,47,55	3,00,00	14,36,65	--
<b>10. पुलिस एवं जेल</b>				
दत्तमत	17,34,48,94	26,50,02	16,60,59,35	18,06,73
भारित	--	--	--	--
<b>11. शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति</b>				
दत्तमत	66,70,17,93	2,77,14,26	62,30,77,13	1,65,17,37
भारित	--	--	--	--
<b>12. चिकित्सा एवं परिवार कल्याण</b>				
दत्तमत	19,51,33,60	1,46,55,03	14,41,15,60	63,94,01
भारित	--	--	--	--
<b>13. जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास</b>				
दत्तमत	7,55,41,21	8,30,99,99	5,84,16,33	6,37,50,51
भारित	--	--	--	--
<b>14. सूचना</b>				
दत्तमत	43,46,25	8,26,66	40,15,99	8,76,19
भारित	--	--	--	--
<b>15. कल्याण योजनाएं</b>				
दत्तमत	14,96,97,05	64,55,44	11,72,14,13	20,54,03
भारित	--	--	--	--
<b>16. श्रम और रोजगार</b>				
दत्तमत	2,37,85,06	14,25,00	2,18,79,41	10,71,22
भारित	--	--	--	--



अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>17. कृषि कर्म एवं अनुसंधान</b>				
दत्तमत	9,01,30,10	23,03,05	8,37,24,99	26,74,77
भारित	--	--	--	--
<b>18. सहकारिता</b>				
दत्तमत	62,06,50	6,25,00	59,22,34	1,55,91
भारित	--	--	--	--
<b>19. ग्राम्य विकास</b>				
दत्तमत	12,12,25,33	11,83,16,27	6,54,43,91	11,28,00,04
भारित	--	--	--	--
<b>20. सिंचाई एवं बाढ़</b>				
दत्तमत	4,44,19,71	2,92,18,02	4,07,61,96	3,37,88,30
भारित	--	--	--	--
<b>21. ऊर्जा</b>				
दत्तमत	11,51,21	3,39,00,02	11,29,08	1,42,32,96
भारित	--	--	--	--
<b>22. लोक निर्माण कार्य</b>				
दत्तमत	7,05,45,93	13,69,20,00	6,41,83,69	13,95,27,64
भारित	7,30,00	--	3,34,80	--
<b>23. उद्योग</b>				
दत्तमत	1,83,45,47	63,74,28	1,40,44,13	5,97,59
भारित	--	--	--	--
<b>24. परिवहन</b>				
दत्तमत	59,02,65	1,52,13,06	49,59,37	1,32,90,41
भारित	--	--	--	--



अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>25. खाद्य</b>				
दत्तमत	2,37,70,61	19,27,20	1,82,35,07	13,41,66,52
भारित	--	--	--	--
<b>26. पर्यटन</b>				
दत्तमत	66,77,14	63,30,04	58,36,84	58,08,30
भारित	--	--	--	--
<b>27. वन</b>				
दत्तमत	6,33,79,87	53,95,08	5,50,89,43	57,55,59
भारित	--	--	--	--
<b>28. पशुपालन संबंधी कार्य</b>				
दत्तमत	2,60,82,30	7,84,41	2,38,49,63	3,63,85
भारित	--	--	--	--
<b>29. औद्योगिक विकास</b>				
दत्तमत	2,71,10,74	8,00,00	2,15,63,47	6,54,49
भारित	82,42	--	80,69	--
<b>30. अनुसूचित जातियों का कल्याण</b>				
दत्तमत	10,06,20,97	3,06,23,93	7,61,08,62	2,44,35,21
भारित	--	--	--	--
<b>31. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण</b>				
दत्तमत	3,15,42,40	1,09,16,63	2,25,08,42	72,51,67
भारित	--	--	--	--
<b>योग</b>				
दत्तमत	2,89,99,43,83	66,09,33,17	2,50,32,45,82	67,10,26,80
भारित	47,21,52,16	26,43,23,00	40,50,40,91	76,51,62,33
<b>कुल</b>	<b>3,37,20,95,99</b>	<b>92,52,56,17</b>	<b>2,90,82,86,73</b>	<b>1,43,61,89,13</b>

का सारांश (क्रमशः)

## कुल अनुदान / विनियोग की तुलना में व्यय

बचत		आधिक्य		बचत / आधिक्य का प्रतिशत			
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	2017-18		2016-17	
(6)	(7)	(8)	(9)	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ हजार में)				(10)	(11)	(12)	(13)
55,35,54	--	--	13,22,39,32 (13,22,39,31,709)	(-)23.29	(+)6861.73	(-)45.50	(+)18603.39
--	--	--	--	--	--	--	--
8,40,30	5,21,74	--	--	(-)12.58	(-)8.24	(-)31.85	(-)37.73
--	--	--	--	--	--	--	--
82,90,44	--	--	3,60,51 (3,60,51,002)	(-)13.08	(+)6.68	(-)32.40	(-)39.03
--	--	--	--	--	--	--	--
22,32,67	4,20,56	--	--	(-)8.56	(-)53.61	(-)26.60	(-)26.93
--	--	--	--	--	--	--	--
55,47,27	1,45,51	--	--	(-)20.46	(-)18.19	(-)19.05	(+)100.00
1,73	--	--	--	(-)2.10	--	(-)1.62	--
2,45,12,35	61,88,72	--	--	(-)24.36	(-)20.21	(-)43.69	(-)36.27
--	--	--	--	--	--	--	--
90,33,98	36,64,96	--	--	(-)28.64	(-)33.57	(-)40.10	(-)50.24
--	--	--	--	--	--	--	--
39,66,98,01	13,01,05,37	--	14,01,99,00	(-)13.68	(+)1.53	(-)26.06	(-)0.66
6,71,11,25	3,00,00	--	50,11,39,33	(-)14.21	(+)189.48	(-)6.60	(+)156.26
<b>46,38,09,26</b>	<b>13,04,05,37</b>	--	<b>64,13,38,33</b>	<b>(-)13.75</b>	<b>(+)55.22</b>	<b>(-)23.64</b>	<b>(+)35.52</b>

### विनियोग लेखे का सारांश (क्रमशः)

निम्नलिखित दत्तमत अनुदानों में आधिक्य का नियमानुकूलन अपेक्षित है:-

#### पूँजीगत प्रभाग

- (i) 14-सूचना
- (ii) 17-कृषि कार्य एवं अनुसंधान
- (iii) 20-सिंचाई एवं बाढ़
- (iv) 22-लोक निर्माण कार्य
- (v) 25-खाद्य
- (vi) 27-वन

निम्नलिखित प्रभारित विनियोग में आधिक्य का नियमानुकूलन अपेक्षित है:-

#### पूँजीगत प्रभाग

07- वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं

इसके अतिरिक्त कुल व्ययों के अंतर्गत पिछले वर्षों के ₹ 14,41 हजार आपत्तिगत बही उचंत के परिशोधन का समायोजन सम्मिलित है। आपत्तिगत बही उचंत के समायोजन को अनुदानों के उपशीर्षों जिससे यह सम्बन्धित है, के अंतर्गत भी पूर्ण ₹ में दर्शाए गये हैं।

विनियोग लेखे के सारांश में दिखाये गये व्यय में ₹ 2,31,49,91 हजार सम्मिलित नहीं हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से वर्ष 2017-18 में व्यय किये गये थे तथा जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हो पायी थी। इस व्यय के ब्यौरे परिशिष्ट-I में दिए गये हैं।

विनियोग लेखे के सारांश में दिखाये गये व्यय में ₹ 1,04,66,18 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2017-18 की अवधि में हुई। अनुदानों जिससे यह सम्बन्धित है, के अंतर्गत भी ₹ हजार में दर्शाए गये हैं।

चूंकि अनुदान एवं प्रभारित विनियोजन व्यय हेतु सकल राशियों के प्रति होता है, अतः उनके सम्मुख दर्शाए गये व्यय के आंकड़ों में वे वसूलियां (व्यौरेवार परिशिष्ट-II में दिये गये हैं) सम्मिलित नहीं हैं जिनका समायोजन लेखों में व्यय से कटौती करके किया गया है। शुद्ध व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दर्शाए गये हैं।

**विनियोग लेखे का सारांश (समाप्त)**

विनियोग लेखे के अनुसार वर्ष 2017-18 के कुल व्यय इस अवधि के वित्त लेखे में प्रदर्शित कुल व्यय समाधान निम्नवत है ।

	<b>भारित</b>		<b>दत्तमत</b>	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
			<b>(₹ हजार में)</b>	
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय				
	40,50,40,91	76,51,62,33	2,50,32,45,82	67,10,26,80
घटाइए-परिशिष्ट-II में प्रदर्शित कुल वसूलियाँ				
	...	...	17,90	7,19,06,88
वित्त लेखे के विवरण संख्या 11 में दर्शाया गया कुल निवल व्यय				
	40,50,40,91	76,51,62,33	2,50,32,27,92	59,91,19,92

ऊपर दी गई वसूलियों का विवरण **परिशिष्ट-II** में दर्शाया गया है ।





### भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

इस संकलन में 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार के विनियोग लेखे समाहित हैं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे सरकार की वर्ष की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं सहित वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें एक पृथक संकलन में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें ) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किये गये हैं तथा इन्हें उत्तराखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले एवं ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए वाउचरों, चालानों एवं प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुए विवरणों से संकलित किया गया है।


उत्तराखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा / अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं को तैयार करने और इनकी परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू कानूनों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 एवं 151 तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें ) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से, इन लेखाओं पर अपना मत व्यक्त करने के लिए की जाती है, जो लेखापरीक्षा के परिणामों पर आधारित होता है। ये कार्यालय स्वतंत्र संस्थाएँ हैं, जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक उत्तरदायी पदानुक्रम तथा प्रबंधन ढाँचा है।



लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि लेखे महत्वपूर्ण त्रुटियों से मुक्त हैं, इस पर यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम योजना बनाकर लेखापरीक्षा करें। लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से संबंधित साक्ष्यों की नमूना आधार पर जाँच भी सम्मिलित है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, अपनी सम्पूर्ण जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरणों पर विचार करते हुए मैं अपनी सम्पूर्ण जानकारी और विश्वास के साथ प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गयी टिप्पणियों के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 के अन्तर्गत राज्य विधान मंडल द्वारा पारित विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखाओं की सही एवं निष्पक्ष प्रस्तुति करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उदभूत महत्वपूर्ण मुद्दे 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले उत्तराखण्ड सरकार पर मेरे प्रतिवेदनों में शामिल हैं।



(राजीव महर्षि)

दिनांक: 12.12.2018

स्थान: नई दिल्ली

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



**अनुदान सं० 01 विधान सभा**

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में )
------------------	------------------------	------------------	----------------------------------------

**राजस्व:**

2011 संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल

**दत्तमत-**

मूल	36,91,73			
		43,64,73	43,18,90	(-)45,83
पूरक	6,73,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)				47,19

**भारित-**

मूल	2,30,59			
		2,38,59	1,38,75	(-)99,84
पूरक	8,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)				21,42

अनुदान के राजस्व अनुभाग में ₹ 1,96,02 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-1)।

**पूंजीगत:**

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

**दत्तमत-**

मूल	10,20,00			
		20,20,00	19,74,12	(-)45,88
पूरक	10,00,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)				18,67

**टिप्पणियां एवं टीकार्यें**

**राजस्व:**

**दत्तमत-**

- (i) ₹ 45.83 लाख की अंतिम बचत में से, ₹ 47.19 लाख के अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुए।

**अनुदान सं० 01 विधान सभा क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
-----------------	------------------------	------------------	---------------------------------------

- (ii) ₹ 45.83 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 6,73.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए ।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2012-13	19,05.97	16,97.37	2,08.60
2013-14	20,63.47	19,73.82	89.65
2014-15	28,56.26	26,44.87	2,11.39
2015-16	31,45.81	28,64.91	2,80.90
2016-17	35,30.18	31,74.93	3,55.25

**राजस्व:  
भारित-**

- (iv) ₹ 99.84 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 21.42 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके ।
- (v) ₹ 99.84 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 8.00 लाख के अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुए ।

**पूंजीगत:  
दत्तमत-**

- (vi) ₹45.88 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 18.67 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके ।
- (vii) ₹ 45.88 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 10,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए ।
- (viii) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2012-13	24,60.00	2,60.00	22,00.00
2013-14	48,20.00	26,20.00	22,00.00
2014-15	1,13,10.00	93,13.22	19,96.78
2015-16	25,50.00	2,00.00	23,50.00
2016-17	20,20.00	10,27.29	9,92.71

अनुदान सं० 01 विधान सभा समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
--------------------	------------	------------------	---------------------------------------

(ix) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

80 सामान्य

051 निर्माण

02 विधान सभा में सभा मण्डल, अतिथि गृहों का आदि का निर्माण

मूल 20.00

1.33 (-)25.88 (-)27.21

पुनर्वि० (-)18.67

दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 18.67 लाख के अभ्यर्पण का कारण योजना के अंतर्गत बचत का होना बताया गया |

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018) |



	अनुदान सं०	02 राज्यपाल		
मुख्य लेखा शीर्ष		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में )

राजस्व:

2012 राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

भारित-

मूल	10,28,47			
		10,40,07	8,21,64	(-)2,18,43
पूरक	11,60			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)				2,18,43

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

भारित-

- (i) ₹ 2,18.43 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 11.60 लाख के अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुए ।
- (ii) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2012-13	5,39.30	4,75.36	63.94
2013-14	5,97.85	5,58.43	39.42
2014-15	7,40.85	6,22.05	1,18.80
2015-16	8,26.06	6,95.12	1,30.94
2016-17	12,24.91	7,43.68	4,81.23

- (iii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2012 राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

03 राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

090 सचिवालय

**अनुदान सं० 02 राज्यपाल समाप्त.**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(1)	03 अधिष्ठान व्यय		
	मूल	6,60.80	
		4,88.16	4,88.16
	पुनर्वि०	(-)1,72.64	0.00
	दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 1,72.64 लाख के अभ्यर्पण रिक्त पदों के न भरे जाने, सातवे वेतनमान के बकाया का 50 प्रतिशत भुगतान और स्टाफ कार/मोटर कार के क्रय न होने के कारण किए गए		
(2)	101 राज्यपाल की परिलब्धि और भत्ते		
	03 राज्यपाल		
	मूल	15.50	
		7.80	7.80
	पुनर्वि०	(-)7.70	0.00
	दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 7.70 लाख के अभ्यर्पण वेतन तथा मशीनें एवं सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र में हुई बचत के कारण किए गए		
(3)	105 चिकित्सा सुविधाएं		
	03 चिकित्सा संबन्धी व्यय		
	मूल	51.88	
		35.04	35.04
	पुनर्वि०	(-)16.84	0.00
	दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 16.84 लाख के अभ्यर्पण रिक्त पदों के न भरे जाने, सातवे वेतनमान के बकाया का 50 प्रतिशत भुगतान और चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति में हुई बचत के कारण किए गए		

**अनुदान सं० 03 मंत्रिपरिषद्**

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में )
<b>राजस्व:</b>			
<b>2013 मंत्रि परिषद्</b>			
<b>दत्तमत-</b>			
मूल	43,66,00		
		64,29,99	52,31,05
			(-)11,98,94
पूरक	20,63,99		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)			12,08,37

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 23,99 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2017-18 की अवधि में हुई |

<b>पूंजीगत:</b>			
<b>4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
<b>दत्तमत-</b>			
मूल	25,00,00		
		25,00,00	23,71,70
			(-)1,28,30
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)			1,28,30

**टिप्पणियां एवं टीकायें**

**राजस्व:**  
**दत्तमत-**

- (i) ₹ 11,98.94 लाख की अंतिम बचत में से, ₹ 12,08.37 लाख के अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुए |
- (ii) ₹ 11,98.94 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 20,63.99 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए |

**अनुदान सं० 03 मंत्रिपरिषद् क्रमशः...**

<b>क्रम. शीर्ष सं०</b>	<b>कुल अनुदान</b>	<b>वास्तविक व्यय</b>	<b>आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )</b>
------------------------	-------------------	----------------------	------------------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)			
वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2012-13	33,47.31	32,79.19	68.12
2013-14	48,64.61	47,51.34	1,13.27
2014-15	1,27,94.22	1,26,78.42	1,15.80
2015-16	1,57,65.67	1,16,66.47	40,99.20
2016-17	84,58.00	67,03.16	17,54.84

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**2013 मंत्रि परिषद्**

00

101 मंत्रियों तथा उपमंत्रियों का वेतन

(1)	03 मंत्रिगण, उपमंत्रिगण तथा सभा सचिव के वेतन एवं अन्य अनुमन्य भत्ते				
	मूल	5,70.00			
			2,02.30	2,02.30	0.00

पुनर्वि० (-)3,67.70

दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 3,67.70 लाख के अभ्यर्पण वेतन तथा अन्य भत्ते में हुई बचत के कारण किए गए |

(2)	04 भारत सरकार को देय आय कर की धनराशि जो राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी				
	मूल	35.00			
			14.04	14.04	0.00

पुनर्वि० (-)20.96

दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 20.96 लाख के अभ्यर्पण अन्य भत्ते में हुई बचत के कारण किए गए |

108 दौरा खर्च

(3)	03 मंत्रियों तथा उपमंत्रियों का यात्रा व्यय				
	मूल	2,00.00			
			1,16.16	1,25.60	(+)9.44

पुनर्वि० (-)83.84

दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 83.84 लाख के अभ्यर्पण यात्रा व्यय में हुई बचत के कारण किए गए |

**अनुदान सं० 03 मंत्रिपरिषद् समाप्त.**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

800 अन्य व्यय

(4) 03 मंत्रियों तथा उप मंत्रियों के प्रकीर्ण व्यय			
मूल	8,11.00		
पूरक	40.00	4,83.81	4,83.81
पुनर्वि०	(-3,67.19)		0.00

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा 22 मार्च 2018 को ₹ 70.00 लाख तथा अभ्यर्पण के द्वारा दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 2,97.19 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में मुख्यतः व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान, गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल की खरीद तथा अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किए गए।

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (3) पर अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

(v) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**2013 मंत्रि परिषद्**

00

104 मनोरंजन तथा सत्कार भत्ते

03 मनोरंजन तथा सत्कार खर्च

मूल	1,50.00		
		2,19.46	2,19.46
पुनर्वि०	69.46		0.00

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 22 मार्च 2018 को ₹ 70.00 लाख की वृद्धि आतिथ्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। यद्यपि दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 0.54 लाख के अभ्यर्पण आतिथ्य व्यय में हुई बचत के कारण किए गए।

**अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन**

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में )
------------------	------------------------	------------------	----------------------------------------

राजस्व:

2014 न्याय प्रशासन

दत्तमत-

मूल	1,52,54,52		
		1,63,72,26	1,44,34,60
			(-)19,37,66
पूरक	11,17,74		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)			52,52

भारित-

मूल	36,01,50		
		39,41,50	32,21,84
			(-)7,19,66
पूरक	3,40,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)			...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 2,34,52 हजार सम्मिलित है जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2017-18 की अवधि में हुई।

पूंजीगत:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल	18,50,02		
		18,50,02	14,74,01
			(-)3,76,01
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)			...

अनुदान के पूंजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 10,00,00 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

**अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

**टिप्पणियां एवं टीकायें**

**राजस्व:**

**दत्तमत-**

- (i) ₹ 19,37.66 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 52.52 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके |
- (ii) ₹ 19,37.66 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 11,17.74 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2012-13	1,35,32.68	84,42.90	50,89.78
2013-14	1,36,90.04	1,00,38.36	36,51.68
2014-15	1,47,71.04	1,11,97.99	35,73.05
2015-16	1,36,99.62	1,07,32.38	29,67.24
2016-17	1,77,25.17	1,22,58.19	54,66.98

- (iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**2014 न्याय प्रशासन**

00

105 सिविल और सेशन न्यायालय

- (1) 04 पारिवारिक न्यायालय

मूल	6,42.31			
पूरक	2,05.10	8,07.41	5,62.93	(-)2,44.48
पुनर्वि०	(-)40.00			

प्रावधान में पुनर्विनियोजन के द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2018 को ₹ 40.00 लाख की कमी महंगाई भत्ता में हुई बचत के कारण की गई |

108 दण्ड न्यायालय

- (2) 03 नियमित अधिष्ठान

मूल	16,55.91			
पूरक	1,02.00	14,97.91	13,51.18	(-)1,46.73
पुनर्वि०	(-)2,60.00			

प्रावधान में पुनर्विनियोजन के द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2018 को ₹ 2,60.00 लाख की कमी महंगाई भत्ता में हुई बचत के कारण की गई |

## अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
800 अन्य व्यय			
(3) 03 राज्य विधि आयोग			
मूल	70.00	70.00	8.50 (-)61.50
(4) 04 लोक सेवा अधिकरण			
मूल	3,55.96		
पूरक	0.90	3,56.86	2,49.26 (-)1,07.60
(5) 05 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण			
मूल	1,84.20		
पूरक	16.75	1,48.43	1,39.68 (-)8.75
पुनर्वि०	(-)52.52		
दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 52.52 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में मुख्यतः महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्तों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(6) 06 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण			
मूल	3,52.70		
पूरक	3,14.52	6,67.22	5,73.53 (-)93.69
(7) 07 महाप्रशासक कार्यालय नैनीताल			
मूल	26.10	26.10	16.11 (-)9.99
(8) 08 अधिवक्ता कल्याण कोष में कोषागार की प्राप्तियों के समतुल्य अन्तरण			
मूल	20.00	20.00	14.03 (-)5.97
(9) 09 उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी			
मूल	3,29.91		
पूरक	3.10	3,33.01	2,48.10 (-)84.91



**अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(10)	10 लोक अदालत मूल	1,37.41	1,37.41	40.07 (-)97.34

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

**2014 न्याय प्रशासन**

00

(1)	105 सिविल और सेशन न्यायालय 05 न्यायिक भवनों का प्रतिकर मूल	20.00	20.00	0.00 (-)20.00
वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				

114 विधि सलाहकार और परामर्शदाता परिषद

(2)	05 उत्तराखण्ड राज्य विधि आयोग मूल	49.40	49.40	0.00 (-)49.40
-----	--------------------------------------	-------	-------	---------------

800 अन्य व्यय

(3)	12 राज्य विधिक सहायता निधि मूल	5.00	5.00	0.00 (-)5.00
वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

**राजस्व:  
भारित-**

- (vi) ₹ 7,19.66 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (vii) ₹ 7,19.66 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 3,40.00 लाख के अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुए।

**अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन क्रमशः...**

<b>क्रम. शीर्ष सं०</b>	<b>योग अनुदान/ विनियोग</b>	<b>वास्तविक व्यय</b>	<b>आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )</b>
------------------------	--------------------------------	--------------------------	------------------------------------------------

(viii) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			व्यय	बचत
2012-13	28,46.98	22,59.93	5,87.05	
2013-14	26,24.50	20,72.94	5,51.56	
2014-15	32,27.91	24,69.00	7,58.91	
2015-16	32,66.00	23,88.77	8,77.23	
2016-17	52,21.50	24,09.72	28,11.78	

(ix) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**2014 न्याय प्रशासन**

00

102 उच्च न्यायालय

03 उच्च न्यायालय

मूल

36,01.50

39,41.50

32,21.84

(-)7,19.66

पूरक

3,40.00

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

**पूँजीगत:**

**दत्तमत-**

(x) ₹ 3,76.01 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(xi) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			व्यय	बचत
2012-13	21,00.00	17,24.17	3,75.83	
2013-14	25,00.00	17,05.67	7,94.33	
2014-15	34,50.01	14,96.14	19,53.87	
2015-16	72,00.00	42,94.21	29,05.79	
2016-17	48,00.02	9,33.50	38,66.52	

**अनुदान सं० 04 न्याय प्रशासन समाप्त.**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
--------------------	------------	------------------	---------------------------------------

(xii) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय**

60 अन्य भवन

051 निर्माण

05 न्यायिक कार्यो हेतु अवस्थापना सुविधाओं का विकास

मूल	8,00.00	8,00.00	4,74.01	(-)3,25.99
-----	---------	---------	---------	------------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये  
(अगस्त 2018)।

(xiii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

**4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय**

60 अन्य भवन

051 निर्माण

04 देहरादून में उच्च न्यायालय अतिथि गृह का निर्माण

मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00
-----	-------	-------	------	----------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 05 निर्वाचन		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में )
	कुल अनुदान			

राजस्व:

2015 निर्वाचन

दत्तमत-

मूल	43,79,78			
		44,34,78	41,13,04	(-)3,21,74
पूरक	55,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)				3,21,70

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- ₹ 3,21.74 लाख की अंतिम बचत में से, ₹ 3,21.70 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- ₹ 3,21.74 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 55.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2012-13	24,01.54	19,44.16	4,57.38
2013-14	12,32.14	11,39.29	92.85
2014-15	49,88.76	47,91.09	1,97.67
2015-16	24,01.39	22,96.90	1,04.49
2016-17	65,86.80	56,76.14	9,10.66

- बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2015 निर्वाचन

00

103 निर्वाचक नियामावली तैयार करना और मुद्रण

**अनुदान सं० 05 निर्वाचन क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(1)	03 विधान सभा एवं संसद (50 प्रतिशत के0पो0)			
	मूल	68.30		
		54.43	54.43	0.00

पुनर्वि० (-)13.87

प्रावधान में पुनर्विनियोजन के द्वारा दिनांक 31 जनवरी 2018 को ₹ 7.81 लाख तथा अभ्यर्पण के द्वारा दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 6.06 लाख की कमी अधिष्ठान व्यय में मुख्यतः यात्रा व्यय, मानदेय तथा कार्यालय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए |

(2)	109 पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार			
	03 राज्य निर्वाचन आयोग जिला स्तरीय			
	मूल	1,90.76		
	पूरक	33.00	1,79.26	1,79.24
	पुनर्वि०	(-)44.50		(-)0.02

प्रावधान में पुनर्विनियोजन के द्वारा दिनांक 19 मार्च 2018 को ₹ 9.42 लाख तथा अभ्यर्पण के द्वारा दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 35.08 लाख की कमी अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में बचत हुई बचत के कारण किए गए |

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

**2015 निर्वाचन**

00

106 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमण्डल के चुनाव करने के लिए प्रभार

05 उप निर्वाचन-राज्य विधान सभा

मूल	51.00	51.00	0.00	(-)51.00
-----	-------	-------	------	----------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018) |

(vi) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**2015 निर्वाचन**

00

103 निर्वाचक नियामावली तैयार करना और मुद्रण

**अनुदान सं० 05 निर्वाचन समाप्त.**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
05 निर्वाचन अधिष्ठान व्यय (50 प्रतिशत के0पो0)			
मूल	8,50.14		
		8,76.98	(+)51.00

पुनर्वि० 26.84

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 30 जनवरी 2018 को ₹ 57.18 लाख और दिनांक 31 जनवरी 2018 को ₹ 33.63 लाख की वृद्धि व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई | दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 63.97 लाख के अभ्यर्पण का कारण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में बचत हुई बचत के कारण किए गए | यद्यपि प्रावधान का अभ्यर्पण किया जाना तत्पश्चात अन्तिम आधिक्य का प्राप्त होना प्रावधान के त्रुटिपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है |

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018) |

**अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन**

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में )
------------------	------------------------	------------------	----------------------------------------

**राजस्व:**

2029	भू - राजस्व
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएँ
2053	जिला प्रशासन
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ
2075	विविध सामान्य सेवाएं
2245	प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत
2506	भूमि सुधार

**दत्तमत-**

मूल	17,33,14,39			
		17,52,66,79	9,29,37,44	(-)8,23,29,35
पूरक	19,52,40			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)				2,52,58

**भारित-**

मूल	2,39,23			
		2,39,23	1,88,29	(-)50,94
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)				...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 4,86,74 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 14,46 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2017-18 की अवधि में हुई।

**पूँजीगत:**

4059	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय
4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

**दत्तमत-**

मूल	7,08,40,06			
		7,28,90,06	5,82,75,23	(-)1,46,14,83
पूरक	20,50,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)				2,49,11

**अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...**

<b>क्रम. शीर्ष सं०</b>	<b>कुल अनुदान</b>	<b>वास्तविक व्यय</b>	<b>आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )</b>
------------------------	-------------------	----------------------	------------------------------------------------

**टिप्पणियां एवं टीकार्यें**

**राजस्व:**

**दत्तमत-**

- (i) ₹ 8,23,29.35 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 2,52.58 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके |
- (ii) ₹ 8,23,29.35 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 19,52.40 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			बचत	
2012-13	4,33,40.13	3,68,99.88	64,40.25	
2013-14	24,00,35.79	9,33,62.44	14,66,73.35	
2014-15	20,66,38.12	10,28,68.00	10,37,70.12	
2015-16	23,64,88.40	16,95,02.56	6,69,85.84	
2016-17	28,66,81.41	15,81,83.13	12,84,98.28	

- (iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**2029 भू - राजस्व**

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

- (1) 03 भूमि अध्याप्ति-सामान्य राजस्व व्यय
 

मूल	4,82.54			
		5,32.54	4,70.01	(-)62.53
पूरक	50.00			
- (2) 05 राजस्व पुलिस का सुदृढीकरण
 

मूल	20.51	20.51	13.81	(-)6.70
-----	-------	-------	-------	---------
- (3) 103 भू-अभिलेख
 

01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं				
मूल	88.61			
		2,17.61	1,46.11	(-)71.50
पूरक	1,29.00			



**अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (रु लाख में )
(4)	03 जिला अधिष्ठान			
	मूल	1,26,45.06		
			1,28,20.06	1,15,25.00
	पूरक	1,75.00		(-12,95.06)
	<b>2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएँ</b>			
	00			
	099 राजस्व परिषद्			
(5)	02 राजस्व आयुक्त अधिष्ठान			
	मूल	3,49.51		
			3,65.91	3,10.04
	पूरक	16.40		(-55.87)
	<b>2053 जिला प्रशासन</b>			
	00			
	101 आयुक्त			
(6)	03 मुख्य कार्यालय			
	मूल	4,11.01		
			4,40.01	3,58.01
	पूरक	29.00		(-82.00)
	<b>2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ</b>			
	00			
	003 प्रशिक्षण			
(7)	03 राज्य प्रशासनिक अकादमी नैनीताल			
	मूल	6,73.73		
			7,56.23	6,23.83
	पूरक	82.50		(-1,32.40)
	104 सतर्कता			
(8)	07 सेवा का अधिकार आयोग			
	मूल	4,54.98		
			4,54.98	1,80.21
				(-2,74.77)

**अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
106 सिविल रक्षा			
(9) 03 स्थापना (25 प्रतिशत के0 पो0)			
मूल	85.96		
पूरक	14.00	87.56	0.00
पुनर्वि०	(-)12.40		
दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 12.40 लाख के अभ्यर्पण वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किए गए ।			
107 होमगार्डस			
(10) 03 सामान्य अधिष्ठान			
मूल	76,81.85		
		76,14.85	(-)17,47.00
पुनर्वि०	(-)67.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा 19 फरवरी 2018 को ₹ 67.00 लाख की कमी मजदूरी के भुगतान में हुई बचत के कारण की गई ।			
<b>2245 प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत</b>			
<i>05 राज्य आपदा मोचन निधि (90 प्रतिशत केन्द्र पोषित )</i>			
101 आरक्षित निधियों एवं जमा लेखों में अन्तरण एस0डी0आर0एफ0			
(11) 02 आपदा राहत निधि से व्यय			
मूल	3,20,00.00	3,20,00.00	1,21,23.85 (-)1,98,76.15
<i>80 सामान्य</i>			
102 विनाश वाले क्षेत्रों में आकस्मिक योजनाओं का प्रबन्ध			
(12) 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	3,90.00	3,90.00	1,72.44 (-)2,17.56
(13) 02 आपदा प्रबंधन प्राधिकरण			
मूल	35,78.00		
		35,70.00	14,32.13 (-)21,37.87
पुनर्वि०	(-)8.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा 07 मार्च 2018 को ₹ 8.00 लाख की कमी अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किए गए ।			

**अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(14)	04 दैवीय आपदाओं से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास मूल 8,00.00	8,00.00	6,63.95 (-)1,36.05
(15)	05 जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्रों का संचालन मूल 3,68.00	3,68.00	1,85.53 (-)1,82.47
(16)	06 आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केन्द्र मूल 3,65.00	3,65.00	3,19.12 (-)45.88
(17)	07 जनपद आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मूल 7,20.00	7,20.00	1,57.17 (-)5,62.83
(18)	08 वरुणावत पर्वत के अंतर्गत ताम्बाखानी नाला शूट ट्रीटमेंट कार्य मूल 50.00	50.00	1.77 (-)48.23
(19)	97 वाह्य सहायतित योजना मूल 4,55,00.00	4,57,50.00	90,49.00 (-)3,67,01.00
	पूरक 2,50.00		
	800 अन्य व्यय		
(20)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 4,40,60.00	4,40,60.00	1,67,92.74 (-)2,72,67.26

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

**2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ**

00

105 विशेष जांच आयोग

(1) 03 राज्य आयोग और समितियां

मूल	7.26	7.26	0.00	(-)7.26
-----	------	------	------	---------

वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

**अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
107 होमगार्डस			
(2) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	2,00.04		
		0.00	0.00
पुनर्वि०	(-)2,00.04		
दिनांक 31 मार्च 2018 को सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण योजना के संचालन न होने के कारण की गई			
(3) 06 विधान सभा निर्वाचन			
मूल	40.05		
		0.00	0.00
पुनर्वि०	(-)40.05		
दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 40.05 लाख के अभ्यर्पण मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र तथा सामग्री एवं सम्पूर्ति में हुई बचत के कारण किए गए			
(4) 10 होमगार्ड बीमा हेतु प्रीमियम अदायगी			
मूल	40.00	40.00	
			0.00
			(-)40.00
<b>2245 प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत</b>			
05 राज्य आपदा मोचन निधि			
800 अन्य व्यय			
(5) 09 जिला आपातकालीन रोमिंग केन्द्र संक्रिया			
मूल	20.00	20.00	
			0.00
			(-)20.00
80 सामान्य			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(6) 02 विभिन्न प्रकार की कन्सलटेन्सी			
मूल	10.00	10.00	
			0.00
			(-)10.00
वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
102 विनाश वाले क्षेत्रों में आकस्मिक योजनाओं का प्रबन्ध			
(7) 09 भूकम्प व अन्य आपदा से सुरक्षा हेतु सरकारी कार्यालयों को रेट्रोफिटिंग			
मूल	50.00	50.00	
			0.00
			(-)50.00

**अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(8) 10 राज्य राहत निधि मूल	5,00.00	5,00.00	0.00 (-)5,00.00
800 अन्य व्यय			
(9) 12 यू0 एन0 एवं अन्य वाह्य सहायतित एजेंसियों के समन्वय हेतु अनुदान मूल	1,20.00	1,20.00	0.00 (-)1,20.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं

104 सतर्कता

(1) 06 सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूल एवं जनसेवा विभाग मूल	4.00			
पूरक	2.00	14.00	11.39	(-)2.61
पुनर्वि०	8.00			

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 07 मार्च 2018 को ₹ 8.00 लाख की वृद्धि अन्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

**2245 प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत**

05 राज्य आपदा मोचन निधि (90 प्रतिशत केन्द्र पोषित )

901 घटाइयें एस0डी0आर0एफ0 से पूरी की गयी धनराशि

(2) 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	(-)2,35,00.00	(-)2,35,00.00	(-)1,21,23.02	(+)1,13,76.98
-------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

₹ 1,21,23.02 लाख सामान्य और अन्य आरक्षित निधियों से संचित निधि में अन्तरण किए गए।  
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1) पर अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

**राजस्व:**

**भारित-**

(vii) ₹ 50.94 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

**अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------------------	------------------	--------------------------------------

(viii) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			व्यय	बचत
2012-13	2,33.24	1,98.15	35.09	
2013-14	2,27.15	1,62.06	65.09	
2014-15	2,51.39	1,45.13	1,06.26	
2015-16	2,02.48	1,33.52	68.96	
2016-17	2,59.37	1,76.89	82.48	

(ix) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ**

00

104 सतर्कता

05 लोक आयुक्त संगठन

मूल	2,39.23	2,39.23	1,88.29	(-)50.94
-----	---------	---------	---------	----------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

**पूँजीगत:**

**दत्तमत-**

- (x) ₹ 1,46,14.83 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 2,49.11 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (xi) ₹ 1,46,14.83 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 20,50.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (xii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			व्यय	बचत
2012-13	51,03.55	41,91.63	9,11.92	
2013-14	27,00.00	13,21.80	13,78.20	
2014-15	8,90.01	4,04.53	4,85.48	
2015-16	13,30.02	8,87.53	4,42.49	
2016-17	81,70.02	7,09.20	74,60.82	

**अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(xiii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय**

60 अन्य भवन

051 निर्माण

(1)	12 जिला होमगार्ड कार्यालयों, जिला प्रशिक्षण केंद्र, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मुख्यालय के अनावासीय भवनों का निर्माण			
	मूल	2,50.00		
			0.89	0.89
	पुनर्वि०	(-),2,49.11		0.00
	दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 2,49.11 लाख के अभ्यर्पण का कारण योजना के अंतर्गत बचत का होना बताया गया			
(2)	13 उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग के भवन का निर्माण			
	मूल	1,50.00		
			2,00.00	1,50.00
	पूरक	50.00		(-),50.00
(3)	97 वाह्य सहायतित योजनाएँ (एस.डी.एम.ए.)			
	मूल	6,85,00.01		
			7,05,00.01	5,71,66.00
	पूरक	20,00.00		(-),1,33,34.01

**4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय**

00

101 प्राकृतिक आपदा

(4)	02 वरुणावत पर्वत के अंतर्गत ताम्बाखानी नाला शूट ट्रीटमेंट कार्य			
	मूल	8,00.00	8,00.00	6,67.95
				(-),1,32.05

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018) |

(xiv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

**अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन समाप्त.**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

**4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय**

60 अन्य भवन

051 निर्माण

(1)	07 कलेक्ट्रेट भवनों का निर्माण			
	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00 (-)2,00.00
(2)	09 पटवारी चौकियों का निर्माण			
	मूल	1,20.00	1,20.00	0.00 (-)1,20.00

**4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय**

00

101 प्राकृतिक आपदा

(3)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	5,00.00	5,00.00	0.00 (-)5,00.00
(4)	04 जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्रों का रख-रखाव			
	मूल	20.00	20.00	0.00 (-)20.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

(xv) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय**

80 सामान्य

800 अन्य व्यय

03 उत्तराखण्ड सूचना आयोग के कार्यालय भवन निर्माण/ जीर्णोद्धार/ भू-अधिग्रहण प्रतिकार

	मूल	0.01	0.01	6.58 (+)6.57
--	-----	------	------	--------------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।



अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में )
------------------	------------------------	------------------	----------------------------------------

राजस्व:

2030	स्टाम्प पंजीकरण		
2040	बिक्री व्यापार इत्यादि पर कर		
2045	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क		
2047	अन्य राजकोषीय सेवाएं		
2048	ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिये विनियोजन		
2049	ब्याज अदायगियां		
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएँ		
2054	खजाना तथा लेखा प्रशासन		
2071	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ		
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम		
3451	सचिवालय आर्थिक सेवाएँ		
3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी		
3604	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को प्रतिपूर्ति तथा समानुदेशन		

दत्तमत-

मूल	69,42,68,70		
		76,29,63,29	74,03,48,58 (-)2,26,14,71
पूरक	6,86,94,59		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)			5,78,65

भारित-

मूल	46,33,82,80		
		46,34,32,80	39,88,18,25 (-)6,46,14,55
पूरक	50,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)			...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 6,08,57 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 17,85 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2017-18 की अवधि में हुई।

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में )
<b>पूँजीगत:</b>			
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय		
4216	आवास पर पूँजीगत परिव्यय		
4515	अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय		
6003	राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण		
6004	केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम		
7610	सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज		
7615	विविध उधार		
<b>दत्तमत-</b>			
	मूल	4,46,99,70	
		4,51,99,70	1,89,58,43 (-)2,62,41,27
	पूरक	5,00,00	
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)		...
<b>भारित-</b>			
	मूल	26,40,23,00	
		26,40,23,00	76,51,62,33 (+)50,11,39,33
	पूरक	...	
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)		...

अनुदान के पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 3,95,57 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

**टिप्पणियां एवं टीकार्यें**

**राजस्व:**

**दत्तमत-**

- (i) ₹ 2,26,14.71 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 5,78.65 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 2,26,14.71 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 6,86,94.59 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए।

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			व्यय	बचत
2012-13	26,42,36.21	20,93,17.87	5,49,18.34	
2013-14	31,86,72.68	30,70,55.25	1,16,17.43	
2014-15	46,26,07.44	41,45,80.04	4,80,27.40	
2015-16	52,70,37.29	44,84,23.95	7,86,13.34	
2016-17	59,38,55.86	49,18,02.89	10,20,52.97	

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**2030 स्टाम्प पंजीकरण**

*01 स्टाम्प न्यायिक*

102 स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय

(1)	03 न्यायिक स्टाम्प				
	मूल	80.00	80.00	14.48	(-)65.52
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2004-05 के आपत्तिगत बही उच्चतम समायोजन के ₹ 150 भी सम्मिलित है।				

*02 स्टाम्प न्यायिकेतर*

101 स्टाम्पों की लागत

(2)	03 गैर अदालती स्टाम्प				
	मूल	4,00.00			
			2,20.50	1,76.25	(-)44.25
	पुनर्वि०	(-)1,79.50			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 13 मार्च 2018 को ₹ 1,79.50 लाख की कमी अन्य व्यय में हुई बचत के कारण की गई।				

102 स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय

(3)	03 गैर अदालती स्टाम्प				
	मूल	5,00.00	5,00.00	2,27.36	(-)2,72.64

*03 पंजीकरण*

001 निदेशन तथा प्रशासन

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(4)	03 मुख्यालय		
	मूल	1,13.97	
	पूरक	43.30	1,85.77
	पुनर्वि०	28.50	1,36.65
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 13 मार्च 2018 को ₹ 28.50 लाख की वृद्धि वेतन के भुगतान तथा टेलीफोन पर व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई		
(5)	04 जिला व्यय		
	मूल	7,27.95	
			7,29.95
	पूरक	2.00	6,45.85
			(-)-84.10
(6)	05 स्थानीय निकाय क्षेत्रों में स्टाम्प पंजीकरण क्षतिपूर्ति		
	मूल	8,00.00	8,00.00
			6,98.57
			(-)-1,01.43

2040 बिक्री व्यापार इत्यादि पर कर

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(7)	03 अधिष्ठान			
	मूल	8,26.08		
	पूरक	63.00	9,23.08	7,87.31
	पुनर्वि०	34.00		(-)-1,35.77
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 22 जनवरी 2018 को ₹ 20.00 लाख तथा दिनांक 12 मार्च 2018 को ₹ 14.00 लाख की वृद्धि व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान तथा विज्ञापन, बिक्री एवं प्रचार पर व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
(8)	04 वाणिज्य कर प्राधिकरण का अधिष्ठान			
	मूल	1,42.90		
			1,42.80	1,16.33
	पुनर्वि०	(-)-0.10		(-)-26.47
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 11,437 भी सम्मिलित है			
	दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 0.10 लाख के अभ्यर्पण टेलीफोन पर व्यय में हुई बचत के कारण किए गए			

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )		
(9)	05 वाणिज्य कर सलाहकार समिति का अधिष्ठान मूल	23.60	23.60	0.95	(-)22.65
(10)	06 पंजीकृत व्यापारियों के लिए बीमा योजना मूल	50.00	50.00	40.42	(-)9.58
	800 अन्य व्यय				
(11)	04 गन्ना के क्रय कर के सापेक्ष शक्कर निधि को अन्तरण मूल	8,08.56	8,08.56	1,22.00	(-)6,86.56
(12)	08 राज्य का जी० एस० टी० एन० में अंश मूल	5,00.00	5,00.00	4,42.62	(-)57.38
	<b>2045 वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क</b> 00				
(13)	103 संग्रहण प्रभार-विद्युत शुल्क 03 विद्युत सुरक्षा निदेशालय मूल	2,09.82			
			2,13.84	1,62.55	(-)51.29
	पूरक	4.02			
	<b>2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएँ</b> 00				
(14)	090 सचिवालय 11 सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन संस्थान का अधिष्ठान मूल	26.82			
			8.21	8.21	0.00
	पुनर्वि०	(-)18.61			
	दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 18.61 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते में हुई बचत के कारण किए गए।				

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(15)	12 विधि प्रकोष्ठ का अधिष्ठान मूल 79.80	71.48	68.28 (-)3.20
	पुनर्वि० (-)8.32		
	दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 8.32 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते में हुई बचत के कारण किए गए ।		
(16)	091 संग्रह कार्यालय 03 राज्य सम्पत्ति विभाग मूल 34,39.34	40,90.34	33,76.42 (-)7,13.92
	पूरक 6,51.00		
(17)	04 बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय मूल 1,15.58	60.79	60.79 0.00
	पुनर्वि० (-)54.79		
	दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 54.79 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में मुख्यतः कार्यालय व्यय, स्टाफ करों/मोटर गाड़ियों का क्रय, व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान तथा प्रशिक्षण व्यय में हुई बचत के कारण किए गए ।		
(18)	05 जनपदों में विभिन्न विभागों के आवश्यकता से अधिक (सरप्लस स्टाफ) हेतु एक मुश्त व्यवस्था मूल 54.67	54.67	45.78 (-)8.89
(19)	07 कार्यालय निरीक्षणालय मूल 52.42	63.52	50.42 (-)13.10
	पूरक 11.10		
(20)	10 वित्त आयोग निदेशालय मूल 1,12.39	55.80	76.48 (+)20.68
	पुनर्वि० (-)56.59		
	दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 56.59 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता तथा व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में हुई बचत के कारण किए गए ।		

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(21)	12 वित्त आडिट प्रकोष्ठ की स्थापना मूल 81.59	81.59	45.49 (-)36.10
(22)	15 वेतन आयोग प्रकोष्ठ की स्थापना मूल 1,29.77	1,29.77	92.79 (-)36.98
800 अन्य व्यय			
(23)	04 सरकारी कर्मचारियों को भविष्य निधि जमा बीमा योजना के सापेक्ष भुगतान मूल 1,00.00	1,50.00	63.53 (-)86.47
	पूरक 50.00		
<b>2054 खजाना तथा लेखा प्रशासन</b>			
00			
095 लेखा तथा खजानों निदेशालय			
(24)	05 लेखा एवं हकदारी अधिष्ठान मूल 2,04.13	2,04.13	1,63.60 (-)40.53
097 खजाना स्थापना			
(25)	04 उत्तराखण्ड निवास नई दिल्ली में वेतन एवं भुगतान कार्यालय मूल 1,03.33	1,22.22	1,02.54 (-)19.68
	पूरक 18.89		
<b>2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ</b>			
01 सिविल			
102 पेंशन का सारांशीकृत मूल्य			
(26)	06 अखिल भारतीय सेवा पेंशनर मूल 6,00.00	6,50.11	19.16 (-)6,30.95
	पूरक 50.11		
104 उपादान			
(27)	03 उपादान मूल 3,60,35.00	3,89,75.10	4,62.42 (-)3,85,12.68
	पूरक 29,40.10		

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (र लाख में )
(28)	06 अखिल भारतीय सेवा पेंशनर मूल 30,00.00	30,00.00	53.00 (-)29,47.00
(29)	106 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबन्ध में पेंशन सम्बन्धी प्रभार 03 पेंशन तथा उपादान के अंशदान मूल 90.01	90.01	51.11 (-)38.90
(30)	111 विधायकों को पेंशन 03 विधायकों को पेंशन-राज्य विधान मण्डल के सदस्य मूल 6,00.00	6,00.00	3,96.45 (-)2,03.55
(31)	200 अन्य पेंशन 06 नई पेंशन योजना हेतु सीआरए को भुगतान मूल 4,50.00	4,50.00	1,23.67 (-)3,26.33
(32)	800 अन्य व्यय 08 अखिल भारतीय सेवा पेंशनर्स हेतु चिकित्सा उपचार सहायता मूल 80.00	80.00	11.86 (-)68.14
<b>3451 सचिवालय आर्थिक सेवाएं</b>			
00			
(33)	092 अन्य कार्यालय 03 नियोजन अधिष्ठान मूल 3,90.46	3,90.46	3,40.26 (-)50.20
(34)	04 आयोजनागत विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन मूल 80.00	80.00	52.64 (-)27.36
(35)	08 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सुदृढीकरण योजना मूल 0.00	2,50.00	1,00.00 (-)1,50.00
	पूरक 2,50.00		
<b>3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी</b>			
01 जनगणना			
800 अन्य व्यय			



अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(36)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल 4,50.00	4,50.00	1,20.23 (-)3,29.77
	02 सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी		
	001 निर्देशन एवं प्रशासन		
(37)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल 2,19.21	2,06.52	1,20.64 (-)85.88
	पुनर्वि० (-)12.69		
	दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 12.69 लाख के अभ्यर्पण का कारण निधि की आवश्यकता का न होना बताया गया		
(38)	04 बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिष्ठान मूल 98.20	80.17	80.17 0.00
	पुनर्वि० (-)18.03		
	दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 18.03 लाख के अभ्यर्पण का कारण निजी सचिव के पद न भरे जाने, निधि की आवश्यकता न होना तथा अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानांतरण न होना बताया गया		

3604 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को प्रतिपूर्ति तथा समानुदेशन

	01 नगरीय स्थानीय निकाय			
	191 नगर निगमों को सहायता			
(39)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल 95,32.91	95,32.91	59,25.93 (-)36,06.98	
	192 नगर पालिका/नगर पंचायत को सहायता			
(40)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 1,02,74.52	1,02,74.52	78,42.28 (-)24,32.24	
	193 नगर पंचायत / चिन्हित क्षेत्र समिति को सहायता आदि			
(41)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल 34,24.84	34,24.84	16,48.01 (-)17,76.83	

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(42)	03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन मूल 89,35.86	75,35.86	69,24.26 (-)6,11.60
	पुनर्वि० (-)14,00.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 28 दिसम्बर 2017 को ₹ 14,00.00 लाख की कमी सहायक अनुदान में बचत के कारण की गई		
(43)	04 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अन्य अनुदान मूल 1,61,00.00	1,48,00.00	13,71.68 (-)1,34,28.32
	पुनर्वि० (-)13,00.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2018 को ₹ 13,00.00 लाख की कमी सहायक अनुदान में बचत के कारण की गई		
	02 पंचायती राज संस्थायें		
	196 जिला पंचायतों/परिषदों को सहायता		
(44)	04 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अन्य अनुदान मूल 15,00.00	15,00.00	11,61.00 (-)3,39.00
	198 ग्राम पंचायतों को सहायता		
(45)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल 4,03,90.00	4,03,90.00	3,61,42.20 (-)42,47.80

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (20) पर अंतिम आधिक्य तथा क्रम संख्या (1 से 13), (15 एवं 16), (18 एवं 19) एवं (21 से 45) पर अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

**2049 ब्याज अदायगियां**

01 आन्तरिक ऋणों पर ब्याज

101 बाजार कर्जों पर ब्याज

(1) 27 राज्य विकास ऋण जो वर्ष 2016-17 में प्राप्त होगा

मूल	18,12.20	18,12.20	0.00	(-)18,12.20
-----	----------	----------	------	-------------

**2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएँ**

00

090 सचिवालय

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(2)	13 सभा सचिवों के निजी स्टाफ हेतु मानदेय मूल 26.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)26.00		0.00
	दिनांक 31 मार्च 2018 को सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण योजना के संचालन न होने के कारण किए गए		
(3)	16 राज्य विधि एवं परिसीमन आयोग का अधिष्ठान मूल 33.42	33.42	0.00
			(-)33.42
<b>2054 खजाना तथा लेखा प्रशासन</b>			
	00		
	095 लेखा तथा खजाना निदेशालय		
(4)	06 पी० एफ०एम०एस०/डी०बी०टी० के संचालनार्थ मूल 10.00	10.00	0.00
	वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		(-)10.00
<b>2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ</b>			
	01 सिविल		
	101 अधिवर्षता और सेवा निवृत्ति भत्ते		
(5)	06 अखिल भारतीय सेवा के पेंशनर मूल 12,00.00	13,50.00	0.00
	पूरक 1,50.00		(-)13,50.00
	वर्ष 2011-12 से 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(6)	07 परिवहन निगम में रोडवेज के सेवानिवृत्त कार्मिक मूल 1,50,00.00	1,50,00.00	0.00
	वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
	102 पेंशन का सारांशीकृत मूल्य		
(7)	03 पेंशनों की राशिमूल्य (कम्युटेड वैल्यु आफ पेंशन) मूल 1,80,60.00	4,58,60.00	0.00
	पूरक 2,78,00.00		(-)4,58,60.00

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(8)	04 पूर्ववर्ती यू0 पी0 स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड मूल 60,00.00	60,00.00	0.00 (-)60,00.00
	वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
	104 उपादान		
(9)	04 पूर्ववर्ती यू0पी0 स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड मूल 60,00.00	60,00.00	0.00 (-)60,00.00
	105 परिवार पेंशन		
(10)	03 परिवार पेंशन मूल 5,40,00.00	6,48,00.00	0.00 (-)6,48,00.00
	पूरक 1,08,00.00		
(11)	04 पूर्ववर्ती यू0पी0 स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड मूल 60,00.00	60,00.00	0.00 (-)60,00.00
	वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(12)	06 अखिल भारतीय सेवा पेंशनर मूल 1,90.00	1,90.00	0.00 (-)1,90.00
	वर्ष 2011-12 से 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(13)	07 परिवहन निगम में रोडवेज के सेवानिवृत्त कार्मिक मूल 30.00	30.00	0.00 (-)30.00
	वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
	109 राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थानों के कर्मचारियों को वेतन		
(14)	05 राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को पेंशन मूल 1,10,00.01	1,35,00.01	0.00 (-)1,35,00.01
	पूरक 25,00.00		

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(15)	06 बेसिक शिक्षा के शिक्षकों/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ		
	मूल	4,30,00.01	
		4,86,00.01	0.00 (-)4,86,00.01
	पूरक	56,00.00	

(16)	117 निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान		
	03 राज्य सरकार का अंशदान		
	मूल	4,00,00.00	4,00,00.00
			0.00 (-)4,00,00.00

(17)	800 अन्य व्यय		
	09 राज्य न्यायिक/उच्चतर न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को घरेलू सेवक भत्ता		
	मूल	5.00	5.00
			0.00 (-)5.00
	वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		

3451 सचिवालय आर्थिक सेवाएँ

00

(18)	092 अन्य कार्यालय		
	07 परियोजना विकास निधि का गठन		
	मूल	50.00	50.00
			0.00 (-)50.00
	वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018) |

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2030 स्टाम्प पंजीकरण

01 स्टाम्प न्यायिक

101 स्टाम्पों की लागत

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(1)	03 न्यायिक स्टाम्प मूल	1,00.00	
		2,51.00	3,09.06 (+)58.06
	पुनर्वि०	1,51.00	
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 13 मार्च 2018 को ₹ 1,51.00 लाख की वृद्धि अन्य व्यय के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई		
<b>2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ</b>			
<i>01 सिविल</i>			
(2)	101 अधिवर्षता और सेवा निवृत्ति भत्ते 03 अधिवर्षता और सेवा निवृत्ति भत्ते मूल	13,45,00.01	
		14,59,73.01	30,52,69.52 (+)15,92,96.51
	पूरक	1,14,73.00	
(3)	04 पूर्ववर्ती यू०पी० स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड मूल	1,80,00.01	1,80,00.01 2,62,33.16 (+)82,33.15
(4)	109 राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थानों के कर्मचारियों को पेंशन 03 सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को सुविधाएं मूल	90,00.01	
		1,15,00.01	14,06,50.08 (+)12,91,50.07
	पूरक	25,00.00	
(5)	115 सेवानिवृत्ति/ सेवामुक्ति पर अवकाश नकदीकरण लाभ 03 सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति पर अवकाश नकदीकरण लाभ मूल	2,19,84.78	
		2,31,99.78	2,64,48.63 (+)32,48.85
	पूरक	12,15.00	
(6)	800 अन्य व्यय 04 राज्य सरकार के सेवा निवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता (उत्तराखण्ड) मूल	24,03.00	24,03.00 36,28.39 (+)12,25.39

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
-----------------	------------------------	------------------	---------------------------------------

3604 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को प्रतिपूर्ति तथा समानुदेशन

01 नगरीय स्थानीय निकाय

192 नगर पालिका/नगर पंचायत को सहायता

(7)	03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन मूल	2,68,07.58	2,82,07.58	2,86,37.77	(+)4,30.19
-----	------------------------------------------------------------	------------	------------	------------	------------

पुनर्वि० 14,00.00

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 28 दिसम्बर 2017 को ₹ 14,00.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

02 पंचायती राज संस्थायें

196 जिला पंचायतें/परिषदों को सहायता

(8)	03 राज्यवित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन मूल	1,70,59.37	1,70,59.37	1,71,58.37	(+)99.00
-----	-----------------------------------------------------------	------------	------------	------------	----------

198 ग्राम पंचायतों को सहायता

(9)	03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन मूल	85,29.69	98,29.69	97,48.21	(-)81.48
-----	------------------------------------------------------------	----------	----------	----------	----------

पुनर्वि० 13,00.00

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 22 मार्च 2018 को ₹ 13,00.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1) से (8) तक अंतिम आधिक्य तथा क्रम संख्या (9) के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018) |

राजस्व:

भारित-

- (vii) ₹ 6,46,14.55 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (viii) ₹ 6,46,14.55 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 50.00 लाख के अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुए |

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं० कुल विनियोग वास्तविक व्यय आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)

(ix) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2012-13	22,81,07.88	22,39,63.65	41,44.23
2013-14	27,02,84.95	20,56,82.13	6,46,02.82
2014-15	30,65,07.77	24,07,63.57	6,57,44.20
2015-16	34,37,13.94	30,22,37.62	4,14,76.32
2016-17	40,10,55.80	37,83,87.27	2,26,68.53

(x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**2049 ब्याज अदायगियां**

01 आन्तरिक ऋणों पर ब्याज

101 बाजार कर्जों पर ब्याज

(1)	18 राज्य विकास ऋण, जो 2007-2008 में प्राप्त हुआ	मूल	68,15.00	68,15.00	47,56.80	(-)20,58.20	
(2)	24 राज्य विकास ऋण, जो 2013-14 में प्राप्त हुआ	मूल	2,43,40.00	2,43,40.00	1,93,20.00	(-)50,20.00	
(3)	26 राज्य विकास ऋण, जो वर्ष 2015-16 में प्राप्त हुआ	मूल	3,61,69.00	3,61,69.00	2,77,45.57	(-)84,23.43	
(4)	27 राज्य विकास ऋण, जो वर्ष 2016-17 में प्राप्त हुआ	मूल	5,38,76.40	5,38,76.40	4,59,59.40	(-)79,17.00	
(5)	28 राज्य विकास ऋण, जो वर्ष 2017-18 में प्राप्त हुआ	मूल	2,50,00.00	2,50,00.00	1,77,85.06	(-)72,14.94	
(6)	115 भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज	01 अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज	मूल	6,00.00	6,00.00	5,24.23	(-)75.77



अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
200 अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज			
(7) 03 राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से प्राप्त ऋण पर ब्याज			
मूल	4,00.00	4,00.00	2,31.65 (-)1,68.35
(8) 07 नाबार्ड से प्राप्त ऋण तथा अन्य पर ब्याज			
मूल	3,40,00.00	3,40,00.00	2,23,64.33 (-)1,16,35.67
(9) 12 आर०ई०सी० से प्राप्त ऋण पर ब्याज			
मूल	7,00.00	7,00.00	3,86.37 (-)3,13.63
03 अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज			
104 राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज			
(10) 03 भविष्य निधि			
मूल	5,82,00.00	5,82,00.00	5,20,20.39 (-)61,79.61
(11) 04 अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के भविष्य निधि पर ब्याज			
मूल	4,50.00	4,50.00	2,10.42 (-)2,39.58
60 अन्य दायित्वों पर ब्याज			
101 जमाओं पर ब्याज			
(12) 03 कर्मचारियों की भविष्य निधि पर ब्याज (ट्रेजरी पी०एल०ए० में) अवशेष			
मूल	1,35,00.00	1,35,00.00	48,61.26 (-)86,38.74
<b>2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएँ</b>			
00			
800 अन्य व्यय			
(13) 06 मा० न्यायालयों द्वारा की गई डिक्री से संबन्धित धनराशि			
मूल	2,00.00		
		2,50.00	89.50 (-)1,60.50
पूरक	50.00		

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
-----------------	-------------	---------------	---------------------------------------

(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

**2048 ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिये विनियोजन**

00

797 आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों/से अन्तरण

(1)	03 राज्य विकास ऋणों की संहत ऋण शोधन निधि को अन्तरण			
	मूल	2,00,00.00	2,00,00.00	0.00 (-)2,00,00.00
(2)	04 राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की संहत ऋण शोधन निधि को अन्तरण			
	मूल	40,00.00	40,00.00	0.00 (-)40,00.00

**2049 ब्याज अदायगियां**

01 आन्तरिक ऋणों पर ब्याज

101 बाजार कर्जों पर ब्याज

(3)	17 राज्य विकास ऋण, जो 2006-2007 में प्राप्त हुआ			
	मूल	30,38.97	30,38.97	0.00 (-)30,38.97

200 अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज

(4)	11 उ0प्र0 राज्य बि0प0 के विभाजन के फलस्वरूप प्राप्त ऋण दायित्वों पर ब्याज (पावर बांड)			
	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00

03 अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज

104 राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज

(5)	05 अंशदायी भविष्य निधियों पर ब्याज			
	मूल	3,30.00	3,30.00	0.00 (-)3,30.00
	वर्ष 2007-08 से 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

(6)	06 अंशदायी भविष्य पेंशन निधि पर ब्याज			
	मूल	5,50.00	5,50.00	0.00 (-)5,50.00
	वर्ष 2004-05 से 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

108 बीमा तथा पेंशन निधियों पर ब्याज

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
-----------------	-------------	---------------	---------------------------------------

(7)	03 कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना पर ब्याज		
	मूल	3,30.00	3,30.00
	वर्ष 2011-12 से 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे	0.00	(-)3,30.00

60 अन्य दायित्वों पर ब्याज

701 विविध

(8)	05 नई पेंशन योजना हेतु ब्याज		
	मूल	35,00.00	
		34,75.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)25.00	(-)34,75.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 12 फरवरी 2018 को ₹ 25.00 लाख की कमी शीर्ष के अंतर्गत बचत के कारण की गई		

(9)	06 पुस्तकालय विकास निधि जमा पर ब्याज		
	मूल	22.00	22.00
	वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे	0.00	(-)22.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

(xii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**2049 ब्याज अदायगियां**

01 आन्तरिक ऋणों पर ब्याज

123 राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिपूर्तियों पर ब्याज

(1)	03 अल्प बचत संगठनों से राज्य विकास हेतु ऋण पर ब्याज		
	मूल	10,00,00.00	10,00,00.00
		12,72,06.65	(+)2,72,06.65

60 अन्य दायित्वों पर ब्याज

701 विविध

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	03 मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति आनुतोषिक के देर से अदायगी पर ब्याज मूल	5.00	
	पुनर्वि०	30.00	8.27 (-)21.73
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 12 फरवरी 2017 को ₹ 25.00 लाख की वृद्धि ब्याज/लाभांश हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।	25.00	

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1) के अंतर्गत अंतिम आधिक्य तथा क्रम संख्या (2) के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

**पूँजीगत:  
दत्तमत-**

- (xiii) ₹ 2,62,41.27 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (xiv) ₹ 2,62,41.27 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 5,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (xv) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			व्यय	बचत
2012-13	70,51.94	49,91.73	20,60.21	
2013-14	5,29,52.56	4,88,71.87	40,80.69	
2014-15	3,11,26.07	2,88,16.97	23,09.10	
2015-16	67,65.10	52,34.06	15,31.04	
2016-17	3,94,13.49	83,60.20	3,10,53.29	

- (xvi) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय**

80 सामान्य

800 अन्य व्यय

14 जिला मजिस्ट्रेट के तहत एकीकृत फंड

मूल	6,50.00	6,50.00	8,55.35	(+)2,05.35
-----	---------	---------	---------	------------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(xvii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय**

01 कार्यालय भवन

051 निर्माण

(1)	02 कोषागार/उपकोषागार के निर्माण				
	मूल	2,00.00	2,00.00	82.36	(-)1,17.64

(2)	03 वित्त प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान				
	मूल	1,00.00	1,00.00	68.24	(-)31.76

80 सामान्य

800 अन्य व्यय

(3)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	3,72,00.00	3,72,00.00	1,26,87.78	(-)2,45,12.22

(4)	03 स्टाम्प एवं पंजीकरण के भवन निर्माण (चालू कार्य)				
	मूल	1,00.00	1,00.00	56.17	(-)43.83

(5)	09 लोक निर्माण (नये कार्य)				
	मूल	3,50.00	3,50.00	1,00.00	(-)2,50.00

**4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय**

02 शहरी आवास

800 अन्य व्यय

(6)	03 राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण				
	मूल	3,00.00	3,00.00	2,10.90	(-)89.10

**4515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय**

00

102 सामुदायिक विकास

(7)	02 सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम				
	मूल	3,00.00	3,00.00	13.56	(-)2,86.44

**7610 सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज**

00

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

201 भवन निर्माण अग्रिम			
(8) 03 अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को निर्माण/मरम्मत के लिए अग्रिम			
मूल	10.00	10.00	5.00 (-)5.00
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।			

(xviii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

**4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय**

80 सामान्य

800 अन्य व्यय

(1) 06 कोषागार/उपकोषागार के निर्माण			
मूल	2,09.66	2,09.66	0.00 (-)2,09.66

**4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय**

02 शहरी आवास

800 अन्य व्यय

(2) 13 मुख्य सचिवों के आवासीय भवनों का निर्माण			
मूल	2,80.00	2,80.00	0.00 (-)2,80.00

(3) 14 उत्तराखण्ड निवास (नई दिल्ली) का ध्वस्तीकरण के पश्चात नवीन भवन का निर्माण			
मूल	1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

(4) 15 राज्य अतिथि गृह नैनीताल का जीर्णोद्धार			
मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00
वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

(5) 16 रुद्रप्रयाग एवं हरिद्वार में राज्य अतिथि गृहों का निर्माण			
मूल	50.00		
		49.00	0.00 (-)49.00

पुनर्वि० (-)1.00

वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 21 सितम्बर 2017 को ₹ 1.00 लाख लाख की कमी योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण की गई।

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(6)	19 जनपद चमोली के भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में मिनी सचिवालय का निर्माण मूल 1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
	वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह थे		

**7615 विविध उधार**

00

200 अन्य कर्ज

(7)	01 विधायकों को आवास हेतु ऋण मूल 40.00	40.00	0.00 (-)40.00
(8)	02 विधायकों हेतु वाहन क्रय के लिए ऋण मूल 10.00	10.00	0.00 (-)10.00
	वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रह थे		

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

**पूँजीगत:  
भारित-**

- (xix) पूँजीगत भारित विनियोग के अंतर्गत ₹ 50,11,39.33 लाख का व्ययाधिक्य है, व्ययाधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता है |
- (xx) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण**

00

105 नाबार्ड से कर्ज

(1)	03 नाबार्ड को ऋण वापसी मूल 4,50,00.00	4,69,71.00	4,69,70.93	(-)0.07
	पुनर्वि० 19,71.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2018 को ₹ 19,71.00 लाख की वृद्धि निवेश/ऋण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
-----------------	-------------	---------------	---------------------------------------

110 भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय-अग्रिम			
(2) 03 अर्थोपाय अग्रिम का प्रतिदान			
मूल	8,00,00.00	8,00,00.00	59,30,90.52 (+)51,30,90.52

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1) पर अंतिम बचत तथा क्रम संख्या (2) पर अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

(xxi) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण**

00

108 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज			
(1) 04 राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम को ऋणों का भुगतान			
मूल	7,00.00	7,00.00	6,25.69 (-)74.31

111 केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति			
(2) 03 राष्ट्रीय अल्पबचत निधि के ऋण का भुगतान			
मूल	5,00,00.00		
		4,80,29.00	3,74,43.35 (-)1,05,85.65

पुनर्वि० (-)19,71.00

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2018 को ₹ 19,71.00 लाख लाख की कमी निवेश/ऋण के अंतर्गत हुई बचत के कारण की गई।

**6004 केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम**

01 आयोजनेत्तर ऋण

800 अन्य कर्ज

(3) 03 30प्र0 के विभाजन पर प्राप्त तथा अन्य भारत सरकार के ऋणों की वापसी			
मूल	1,00.00	1,00.00	48.00 (-)52.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

(xxii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

**6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण**



अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
101 बाजार ऋण			
(1) 04 गैर ब्याज बाजार कर्ज का भुगतान			
मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00
109 अन्य संस्थाओं से ऋण			
(2) 01 अन्य संस्थाओं से ऋण			
मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00
वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
800 अन्य ऋण			
(3) 03 अन्य ऋण			
मूल	20.00	20.00	0.00 (-)20.00
वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
<b>6004 केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम</b>			
04 केन्द्रीय रूप में प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए			
800 अन्य			
(4) 03 सहकारिता			
मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00
वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(5) 04 भूमि तथा जल संरक्षण			
मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00
वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(6) 09 फसल कृषि कर्म			
मूल	20.00	20.00	0.00 (-)20.00
वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(7) 10 अन्य			
मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00
वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
--------------------	------------	------------------	---------------------------------------

07 1984-85 पूर्व के ऋण

800 अन्य कर्ज

(8) 03 अन्य कर्ज

मूल 50.00 50.00 0.00 (-)50.00

वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

**अनुदान सं० 08 आबकारी**

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में )
<b>राजस्व:</b>			
<b>2039 राज्य उत्पाद शुल्क</b>			
<b>दत्तमत-</b>			
मूल	23,03,58		
		25,40,58	(-)2,58,59
पूरक	2,37,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)			...

**टिप्पणियां एवं टीकार्यें**

**राजस्व:**

**दत्तमत-**

- (i) ₹ 2,58.59 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी ।
- (ii) ₹ 2,58.59 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 2,37.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए ।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2012-13	9,43.81	8,41.62	1,02.19
2013-14	13,06.65	11,04.77	2,01.88
2014-15	15,70.22	14,25.83	1,44.39
2015-16	20,10.39	18,19.45	1,90.94
2016-17	23,92.11	18,79.33	5,12.78

**अनुदान सं० 08 आबकारी समाप्त.**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
--------------------	------------	------------------	---------------------------------------

(iv) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**2039 राज्य उत्पादन शुल्क**

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

03 अधिष्ठान

मूल 5,34.44

5,59.44 4,71.15 (-)88.29

पूरक 25.00

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत का कारण रिक्त पदों का भरा न जाना तथा कार्यालय परिचालन व्यय में अपनाये गए आर्थिक उपायों का होना बताया गया |

**अनुदान सं० 09 लोक सेवा आयोग**

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में )
------------------	------------------------	------------------	----------------------------------------

राजस्व:

2051 लोक सेवा आयोग

दत्तमत-

मूल	8,90,44		
		14,90,44	14,41,33
			(-)49,11
पूरक	6,00,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)			...

भारित-

मूल	23,87,55		
		24,47,55	14,36,65
			(-)10,10,90
पूरक	60,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)			...

अनुदान के राजस्व अनुभाग में ₹ 2,04,86 हजार सम्मिलित है जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2017-18 की अवधि में हुई।

पूंजीगत:

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

भारित-

मूल	3,00,00		
		3,00,00	...
			(-)3,00,00
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)			...

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

(i) ₹ 49.11 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

**अनुदान सं० 09 लोक सेवा आयोग क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(ii)	₹ 49.11 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 6,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए ।		

**राजस्व:  
भारित-**

- (iii) ₹ 10,10.90 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी ।
- (iv) ₹ 10,10.90 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 60.00 लाख के अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुए ।
- (v) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2012-13	9,58.77	7,66.16	1,92.61
2013-14	11,27.77	8,88.17	2,39.60
2014-15	12,41.16	10,82.42	1,58.74
2015-16	13,10.51	11,46.55	1,63.96
2016-17	28,96.83	19,47.69	9,49.14

- (vi) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**2051 लोक सेवा आयोग**

00

102 राज्य लोक सेवा आयोग

03 राज्य लोक सेवा आयोग

मूल 23,87.55

24,47.55 14,36.65 (-)10,10.90

पूरक 60.00

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

**पूँजीगत:  
भारित-**

- (vii) ₹ 3,00.00 लाख के अप्रयुक्त विनियोग में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी ।

**अनुदान सं० 09 लोक सेवा आयोग समाप्त.**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
--------------------	-------------	------------------	---------------------------------------

(viii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

**4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय**

60 अन्य भवन

051 निर्माण

03 लोक सेवा आयोग हेतु आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण

मूल	3,00.00	3,00.00	0.00	(-)3,00.00
-----	---------	---------	------	------------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

**अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल**

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में )
------------------	------------	------------------	----------------------------------------

**राजस्व:**

2055 पुलिस  
2056 जेलें

**दत्तमत-**

मूल	15,77,50,46		
		17,34,48,94	16,60,59,35
			(-)73,89,59
पूरक	1,56,98,48		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)			2,25,21

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 2,54,28 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 11,16,30 हजार सम्मिलित है जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2017-18 की अवधि में हुई।

**पूंजीगत:**

4055 पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय  
4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

**दत्तमत-**

मूल	26,50,02		
		26,50,02	18,06,73
			(-)8,43,29
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)			...

**टिप्पणियां एवं टीकायें**

**राजस्व:**

**दत्तमत-**

- (i) ₹ 73,89.59 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 2,25.21 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 73,89.59 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 1,56,98.48 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए।



**अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...**

<b>क्रम. शीर्ष सं०</b>	<b>कुल अनुदान</b>	<b>वास्तविक व्यय</b>	<b>आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )</b>
------------------------	-------------------	----------------------	------------------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)			
वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2012-13	8,48,30.29	8,16,13.45	32,16.84
2013-14	9,58,96.92	9,35,25.91	23,71.01
2014-15	11,97,39.80	10,96,84.91	1,00,54.89
2015-16	12,41,71.28	11,80,97.74	60,73.54
2016-17	15,89,83.37	14,40,06.40	1,49,76.97

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**2055 पुलिस**

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 05 राज्य आन्दोलनकारी कल्याण परिषद्  
मूल 22.75

21.00 4.95 (-)16.05

पुनर्वि० (-)1.75

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 21 मार्च 2018 को ₹ 1.75 लाख की कमी मानदेय में हुई बचत के कारण की गई |

(2) 06 राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण अधिष्ठान

मूल 1,51.14

पूरक 41.00 1,79.84 1,36.37 (-)43.47

पुनर्वि० (-)12.30

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 12 मार्च 2018 को ₹ 12.30 लाख की कमी अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण की गई |

(3) 08 राज्य महिला सहायता प्रकोष्ठ

मूल 62.40

61.25 54.65 (-)6.60

पुनर्वि० (-)1.15

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 12 मार्च 2018 को ₹ 1.15 लाख की कमी मानदेय, व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान और अन्य व्यय में हुई बचत के कारण की गई |

**अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(4)	10 अवैध खनन निरोधक सतर्कता इकाई			
	मूल	1,17.28		
		82.63	31.27	(-)51.36

पुनर्वि० (-)34.65

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 14 मार्च 2018 को ₹ 34.65 लाख की कमी वेतन, अन्य भत्ते तथा गुप्त सेवा व्यय में हुई बचत के कारण की गई |

(5)	13 अभियोजन अधिष्ठान			
	मूल	8,84.13		
	पूरक	10.00	6,68.92	6,68.92
	पुनर्वि०	(-)2,25.21		0.00

दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 2,25.21 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते में हुई बचत के कारण किए गए |

(6)	14 राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो			
	मूल	57.30		
	पूरक	38.50	74.80	64.81
	पुनर्वि०	(-)21.00		(-)9.99

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 14 मार्च 2018 को ₹ 21.00 लाख की कमी महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते में हुई बचत के कारण की गई |

(7)	108 राज्य मुख्यालय पुलिस			
	04 स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स			
	मूल	33,98.18		
	पूरक	2,80.00	34,12.61	33,04.16
	पुनर्वि०	(-)2,65.57		(-)1,08.45

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 12 मार्च 2018 को ₹ 35.00, दिनांक 14 मार्च 2018 को ₹ 2,25.00 लाख तथा दिनांक 21 मार्च 2018 को ₹ 5.57 लाख की कमी अन्य भत्ते तथा व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में हुई बचत के कारण की गई |

109 जिला पुलिस

**अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(8)	08 यातायात व्यवस्था			
	मूल	42.45		
			37.45	
	पुनर्वि०	(-5.00)		(-0.99)
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 21 मार्च 2018 को ₹ 5.00 लाख की कमी गाड़ियों के अनुरक्षण एवं पेट्रोल के क्रय में हुई बचत के कारण की गई			
(9)	13 पुलिस स्टेशन विविध आवश्यक कार्य निधि			
	मूल	0.00		
			3,00.00	
	पूरक	3,00.00		(-1,61.77)
(10)	14 जिला स्तर पुलिस शिकायत प्राधिकरण			
	मूल	0.00		
			1,03.30	
	पूरक	1,03.30		(-98.13)
(11)	110 ग्राम पुलिस 03 ग्राम पुलिस अधिष्ठान			
	मूल	5,57.15		
			5,81.15	
	पूरक	24.00		(-67.38)
(12)	113 पुलिस कर्मचारियों का कल्याण 04 चिकित्सालय व्यय			
	मूल	2,96.45		
	पूरक	1,07.69	3,99.72	
	पुनर्वि०	(-4.42)		(-51.99)
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 14 मार्च 2018 को ₹ 1.48 लाख तथा दिनांक 21 मार्च 2018 को ₹ 2.94 लाख की कमी वेतन तथा अन्य भत्ते में हुई बचत के कारण की गई			
(13)	115 पुलिस बल का आधुनिकीकरण 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	10,00.03	10,00.03	
			6,62.63	(-3,37.40)

**अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
<b>2056 जेलें</b>			
00			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(14)	03 कारागार अधिष्ठान		
	मूल	38,27.21	
		51,42.21	45,86.16
	पूरक	13,15.00	(-)5,56.05
(15)	04 कारागार मुख्यालय		
	मूल	1,35.59	
		1,78.59	1,59.69
	पूरक	43.00	(-)18.90

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1) से (4) तथा (6) से (15) तक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

**2055 पुलिस**

00			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(1)	11 राज्य आन्दोलनकारी कल्याण कोष		
	मूल	10.00	10.00
			0.00
			(-)10.00
(2)	15 लोकतंत्र सेनानी तथा उनके आश्रितों को पेंशन योजना		
	मूल	25.00	25.00
			0.00
			(-)25.00
113 पुलिस कर्मचारियों का कल्याण			
(3)	10 मुठभेड़ में मृत्यु होने अथवा साहसिक कार्य हेतु पुलिस बल को सहायता पुरस्कार		
	मूल	20.00	20.00
			0.00
			(-)20.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**2055 पुलिस**

00

**अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
109 जिला पुलिस			
(1) 04 रेडियों अधिष्ठान			
मूल	70,60.88		
पूरक	12,62.75	84,34.30	83,87.17 (-)47.13
पुनर्वि०	1,10.67		
प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 14 मार्च 2018 को ₹ 1,06.17 लाख तथा दिनांक 21 मार्च 2018 को ₹ 4.50 लाख की वृद्धि वेतन, महंगाई भत्ता, गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल के क्रय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
(2) 05 मोटर परिवहन अधिष्ठान			
मूल	34,26.34		
पूरक	3,29.00	40,03.93	38,43.93 (-)1,60.00
पुनर्वि०	2,48.59		
प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 14 मार्च 2018 को ₹ 1,53.72 लाख तथा दिनांक 21 मार्च 2018 को ₹ 94.87 लाख की वृद्धि वेतन के भुगतान, गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल के क्रय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
(3) 07 घुड़सवार पुलिस इकाई			
मूल	3,20.83		
पूरक	39.15	3,88.76	3,66.95 (-)21.81
पुनर्वि०	28.78		
प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 14 मार्च 2018 को ₹ 28.78 लाख की वृद्धि वेतन के भुगतान तथा महंगाई भत्ता हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
111 रेल पुलिस			
(4) 03 मुख्य			
मूल	9,14.21		
पूरक	55.50	11,41.71	11,21.53 (-)20.18
पुनर्वि०	1,72.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 14 मार्च 2018 को ₹ 1,26.70 लाख तथा दिनांक 15 मार्च 2018 को ₹ 45.30 लाख की वृद्धि वेतन के भुगतान तथा अन्य भत्ते हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)			

**अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल क्रमशः...**

<b>क्रम. शीर्ष सं०</b>	<b>कुल अनुदान</b>	<b>वास्तविक व्यय</b>	<b>आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )</b>
------------------------	-------------------	----------------------	------------------------------------------------

**पूँजीगत:  
दत्तमत-**

- (vii) ₹ 8,43.29 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (viii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2012-13	76,17.76	32,41.84	43,75.92
2013-14	1,05,39.66	58,50.66	46,89.00
2014-15	58,93.04	51,37.76	7,55.28
2015-16	17,80.06	14,88.82	2,91.24
2016-17	24,00.04	6,88.17	17,11.87

- (ix) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**4055 पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय**

00

211 पुलिस आवास

- |     |                                                    |            |       |       |          |
|-----|----------------------------------------------------|------------|-------|-------|----------|
| (1) | 04 पुलिस विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण |            |       |       |          |
|     | मूल                                                | 50.00      | 50.00 | 34.30 | (-)15.70 |
| (2) | 08 राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल                       |            |       |       |          |
|     | मूल                                                | 3,00.00    |       |       |          |
|     | पुनर्वि०                                           | (-)2,89.62 | 10.38 | 10.38 | 0.00     |

प्रावधान में पुनर्विनियोजन के द्वारा दिनांक 12 मार्च 2018 को ₹ 2,89.62 लाख की कमी का कारण योजना के अंतर्गत बचत का होना बताया गया |

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1) पर अंतिम अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018) |

- (x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

**4055 पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय**

00

211 पुलिस आवास

**अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल समाप्त.**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	8,00.01	8,00.01	0.00
उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।			

(x) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**4055 पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय**

00

211 पुलिस आवास

03 पुलिस विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु व्यवस्था (चालू कार्य)

मूल	4,50.00			
		7,39.62	7,39.62	0.00

पुनर्वि० 2,89.62

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा 12 मार्च 2018 को ₹ 2,89.62 लाख की वृद्धि वृहत निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

**अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति**

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में )
------------------	------------	---------------	----------------------------------------

**राजस्व:**

2202	सामान्य शिक्षा
2203	तकनीकी शिक्षा
2204	खेल कूद तथा युवा सेवाएं
2205	कला तथा संस्कृति

**दत्तमत-**

मूल	63,91,31,88		
		66,70,17,93	62,30,77,13 (-)4,39,40,80
पूरक	2,78,86,05		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)			8,55,41

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 26,01,03 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 29,36,43 हजार सम्मिलित है जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2017-18 की अवधि में हुई।

**पूंजीगत:**

4202	शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
------	----------------------------------------------------

**दत्तमत-**

मूल	2,42,14,26		
		2,77,14,26	1,65,17,37 (-)1,11,96,89
पूरक	35,00,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)			5,79,07

**टिप्पणियां एवं टीकायें**

**राजस्व:**

**दत्तमत-**

- (i) ₹ 4,39,40.80 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 8,55.41 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 4,39,40.80 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 2,78,86.05 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।



अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2012-13	41,97,59.45	36,29,99.72	5,67,59.73
2013-14	46,16,86.89	39,81,39.21	6,35,47.68
2014-15	52,89,84.61	45,48,36.94	7,41,47.67
2015-16	55,85,60.13	47,73,61.98	8,11,98.15
2016-17	65,13,93.12	52,00,75.18	13,13,17.94

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**2202 सामान्य शिक्षा**

*01 प्रारम्भिक शिक्षा*

101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय

(1) 08 विकास खण्ड स्तर पर मॉडल स्कूल  
मूल 5,00.00 5,00.00 3,89.98 (-)1,10.02

(2) 09 कस्तूरबा गांधी आवासीय लड़कियों के स्कूलों में कनिष्ठ अनुभाग  
मूल 0.00  
43.00 30.34 (-)12.66  
पूरक 43.00

102 अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता

(3) 07 विद्यालयों और सहायता प्राप्त जू.हा.वि. एवं के.जी/नर्सरी विद्यालयों को सहायता  
मूल 1,10,00.00 1,10,00.00 98,46.98 (-)11,53.02

*02 माध्यमिक शिक्षा*

001 निदेशन तथा प्रशासन

(4) 09 सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल को जल सम्पूर्ति हेतु अनुदान  
मूल 10.00 10.00 4.51 (-)5.49

(5) 10 सैनिक स्कूल घोड़ाखाल को अनुरक्षण/संचालन निधि हेतु अनुदान  
मूल 3,00.00 3,00.00 2,05.19 (-)94.81

105 शिक्षकों का प्रशिक्षण

## अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(6)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 2,00.00	1,80.00	1,80.00 0.00
	पुनर्वि० (-)20.00		
	दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 20.00 लाख के अभ्यर्पण सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किए गए ।		
(7)	108 परीक्षाएं 03 माध्यमिक शिक्षा परिषद् मूल 10,01.10	10,01.10	8,51.80 (-)1,49.30
(8)	109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय 15 राजीव गाँधी अभिनव विद्यालयों की स्थापना मूल 1,00.00	1,00.00	51.77 (-)48.23
(9)	16 विजिटिंग शिक्षको का मानदेय मूल 50,00.00	41,49.88	37,12.07 (-)4,37.81
	पुनर्वि० (-)8,50.12		
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 25 जनवरी 2018 को ₹ 6,86.12 लाख तथा दिनांक 26 मार्च 2018 को ₹ 1,64.00 लाख की कमी मानदेय में हुई बचत के कारण की गई ।		
(10)	17 विकास खण्ड स्तर पर मॉडल स्कूलों की स्थापना (माध्यमिक) मूल 3,91.16	3,91.16	1,80.37 (-)2,10.79
(11)	20 दीन दयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार मूल 30.00	30.00	9.68 (-)20.32
(12)	110 गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता 04 अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता मूल 8,40.01	7,88.77	3,71.48 (-)4,17.29
	पूरक 50.00		
	पुनर्वि० (-)1,01.24		
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 22 नवम्बर 2017 को ₹ 3.44 लाख, दिनांक 27 नवम्बर 2017 को ₹ 24.80 लाख और दिनांक 21 मार्च 2018 को ₹ 73.00 लाख की कमी सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण की गई ।		

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुलअनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
800 अन्य व्यय			
(13) 25 प्रशिक्षण के लिए डीआईईटी (शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए जिला संस्थान) का सशक्तिकरण			
मूल	0.00		
पूरक	29.50	17.12	17.11 (-)0.01
पुनर्वि०	(-)12.38		
दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 12.38 लाख के अभ्यर्पण व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के भुगतान में हुई बचत के कारण किए गए ।			
03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(14) 03 उच्च शिक्षा निदेशालय			
मूल	4,16.09		
		4,66.09	4,07.84 (-)58.25
पूरक	50.00		
102 विश्वविद्यालयों को सहायता			
(15) 05 दून विश्वविद्यालय			
मूल	8,50.00		
		11,00.00	9,00.00 (-)2,00.00
पूरक	2,50.00		
(16) 08 श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय			
मूल	1,70.00	1,70.00	15.00 (-)1,55.00
(17) 09 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना			
मूल	45.00	45.00	5.00 (-)40.00
(18) 11 प्रोद्योगिकी आधारित शिक्षा केन्द्र उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय का सहायता			
मूल	32.00	32.00	3.45 (-)28.55
(19) 12 अल्मोड़ा आवासीय विश्वविद्यालय			
मूल	1,50.00	1,50.00	51.67 (-)98.33
103 राजकीय कालेज तथा संस्थान			

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(20)	03 प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु प्रशिक्षण मूल 1,20,11.26	1,09,47.52	1,06,29.59 (-)3,17.93
	पुनर्वि० (-)10,63.74		
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 09 फरवरी 2018 को ₹ 2,06.74 लाख तथा दिनांक 23 मार्च 2018 को ₹ 8,57.00 लाख की कमी वेतन तथा अन्त भत्ते में हुई बचत के कारण की गई ।		
(21)	800 अन्य व्यय 13 प्रदेश में अवस्थित अनानुदानित निजी व्यावसायिक संस्थानों के प्रवेश प्रक्रिया नियमन एवं शुल्क निर्धारण हेतु गठित समिति मूल 1,02.20	1,02.20	25.22 (-)76.98
(22)	05 भाषा विकास 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 संस्कृत शिक्षा निदेशालय अधिष्ठान मूल 58.57	81.57	62.87 (-)18.70
	पूरक 23.00		
(23)	102 आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्द्धन 04 उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिष्ठान मूल 71.67	71.67	40.70 (-)30.97
(24)	13 उत्तराखण्ड हिन्दी अकादमी मूल 53.16	55.16	30.00 (-)25.16
	पूरक 2.00		
(25)	15 उत्तराखण्ड उर्दू अकादमी मूल 37.11	37.11	18.00 (-)19.11
(26)	18 उत्तराखण्ड पंजाबी अकादमी मूल 20.03	20.03	10.00 (-)10.03
(27)	103 संस्कृत शिक्षा 03 राजकीय संस्कृत पाठशाला मूल 1,81.99	1,81.99	1,50.96 (-)31.03

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(28)	06 जनपद स्तर पर संस्कृत शिक्षा का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण मूल 46.38	46.38	34.77 (-)11.61
(29)	08 उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद का गठन मूल 64.04	69.77	59.82 (-)9.95
	पूरक 5.73		
	80 सामान्य		
	001 निदेशन तथा प्रशासन		
(30)	03 एन०सी०सी० निदेशालय अधिष्ठान मूल 58.79		
	पूरक 18.78	57.52	57.52 0.00
	पुनर्वि० (-)20.05		
	दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 20.05 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों मुख्यतः वेतन तथा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति में हुई बचत के कारण किए गए ।		
(31)	05 एयर स्कवार्डन एन०सी०सी० की स्थापना मूल 62.43		
	पूरक 6.45	55.88	55.88 0.00
	पुनर्वि० (-)13.00		
	दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 13.00 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन तथा अन्य भत्ते में हुई बचत के कारण किए गए ।		
	003 प्रशिक्षण		
(32)	03 राजकीय प्रशिक्षण संस्थायें (प्राथमिक)(पुरुष) मूल 2,01.63		
	पूरक 18.87	1,66.86	1,66.84 (-)0.02
	पुनर्वि० (-)53.64		
	दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 53.64 लाख के अभ्यर्पण का कारण सातवे वेतनमान के बकाया का भुगतान न होना बताया गया ।		

2203 तकनीकी शिक्षा

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(33)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 25,00.00	25,00.00	20,32.43 (-)4,67.57
(34)	04 संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ मूल 49.93	49.93	41.97 (-)7.96
	105 पालीटेक्निक		
(35)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 6,00.00	6,00.00	23.00 (-)5,77.00
	112 इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान		
(36)	05 इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़ दौड़ी को सहायता अनुदान (पौड़ी) मूल 11,20.00	13,20.00	11,45.00 (-)1,75.00
	पूरक 2,00.00		
	800 अन्य व्यय		
(37)	97 बाह्य सहायतित परियोजनाएँ मूल 3,00.00	3,00.00	29.61 (-)2,70.39
	2204 खेल कूद तथा युवा सेवाएं		
	00		
	001 निदेशन तथा प्रशासन		
(38)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 4,05.72		
	पूरक 21.44	4,15.66	27.67 (-)3,87.99
	पुनर्वि० (-)11.50		
	दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 11.50 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन तथा कार्यालय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए ।		
(39)	04 प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण मूल 8,94.70		
	पूरक 35.00	8,06.20	8,06.20 0.00
	पुनर्वि० (-)1,23.50		
	दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 1,23.50 लाख के अभ्यर्पण विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन तथा कार्यालय व्यय में हुई बचत के कारण किए गए ।		

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुलअनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )	
(40)	10 विभिन्न निर्वाचनों में तैनात पी0आर0डी0 स्वयं सेवक मूल	2,74.36	2,74.36	2,11.48 (-)62.88
(41)	17 साहसिक प्रशिक्षण केन्द्र-रख रखाव एवं प्रशिक्षण मूल	6.00	0.38	0.38 0.00
	पुनर्वि०	(-)5.62		
	दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 5.62 लाख के अभ्यर्पण अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किए गए ।			
(42)	18 युवा कल्याण विभाग द्वारा ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन मूल	80.00		
	पूरक	8,71.42	9,17.76	7,71.88 (-)1,45.88
	पुनर्वि०	(-)33.66		
	दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 33.66 लाख के अभ्यर्पण सहायक अनुदान तथा अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किए गए ।			
(43)	104 खेलकूद 07 विशिष्ट खिलाड़ियों को प्रदेशीय पुरस्कार मूल	60.00	14.99	14.99 0.00
	पुनर्वि०	(-)45.01		
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 03 अक्टूबर 2017 को ₹ 45.00 लाख तथा अभ्यर्पण के द्वारा दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 0.01 लाख की कमी का कारण निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जाना बताया गया ।			
(44)	10 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार मूल	1,30.00		
	पूरक	20.00	1,31.01	1,11.01 (-)20.00
	पुनर्वि०	(-)18.99		
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 08 नवम्बर 2017 को ₹ 3.75 लाख तथा अभ्यर्पण के द्वारा दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 15.24 लाख की कमी का कारण खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार सम्मान दिए जाने में निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जाना बताया गया ।			

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(45)	11 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली प्रदेशीय टीम के खिलाड़ियों की व्यवस्था		हेतु किट
	मूल	60.00	
	पूरक	5.00	38.08
	पुनर्वि०	(-)26.92	33.08
	दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 26.92 लाख के अभ्यर्पण का कारण खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट किट का क्रय न होना बताया गया		
(46)	12 प्रादेशीय क्रीड़ा मंचो, क्लबों एवं अन्य क्रीड़ा संघों आदि को प्रतियोगिताओं के आयोजन करने एवं खेलकूद उपस्कर क्रय हेतु अनावर्तक अनुदान		
	मूल	50.00	
			3.30
	पुनर्वि०	(-)46.70	3.30
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 08 अक्टूबर 2017 को ₹ 9.00 लाख तथा अभ्यर्पण के द्वारा दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 37.70 लाख की कमी का कारण निर्धारित शर्तों को पूर्ण करने वाले संस्थानों/संघों/क्लबों आदि को सहायक अनुदान स्वीकृत किया जाना बताया गया		
(47)	13 स्पोर्ट्स कालेज को अनुदान		
	मूल	4,20.00	
			3,76.73
	पुनर्वि०	(-)43.27	3,76.73
	दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 43.27 लाख के अभ्यर्पण का कारण रिक्त पदों का भरा न जाना बताया गया		
(48)	21 अन्तराष्ट्रीय प्रतियोगितायें		
	मूल	27.00	
	पूरक	10.00	40.66
	पुनर्वि०	3.66	30.66
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 08 नवम्बर 2017 को ₹ 3.75 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई   दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 0.09 लाख के अभ्यर्पण सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किए गए		



**अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)		
			(₹ लाख में )		
(49)	24 सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सहायता				
	मूल	7.00			
	पूरक	5.00	10.11	5.11	(-)5.00
	पुनर्वि०	(-)1.89			
	दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 1.89 लाख के अभ्यर्पण तथा ₹ 5.00 लाख के अंतिम बचत का कारण निर्धारित मानकों के अनुसार निधि का भुगतान किया जाना बताया गया				
(50)	30 पं० नैनसिंह सर्वेयर माउंटेनियरिंग प्रशिक्षण केन्द्र				
	मूल	50.00			
			6.00	6.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)44.00			
	दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 44.00 लाख के अभ्यर्पण का कारण संस्थान का पूर्ण रूप से तैयार न होना तथा रिक्त पदों का भरा न जाना बताया गया				
(51)	32 पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कॉलेज				
	मूल	30.00			
	पूरक	12.00	34.17	34.17	0.00
	पुनर्वि०	(-)7.83			
	दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 7.83 लाख के अभ्यर्पण का कारण रिक्त पदों का भरा न जाना बताया गया				
<b>2205 कला तथा संस्कृति</b>					
00					
001 निदेशन तथा प्रशासन					
(52)	05 धर्मस्व, तीर्थाटन प्रबंधन एवं धार्मिक मेला अधिष्ठान				
	मूल	75.40	75.40	23.87	(-)51.53
101 ललित कला शिक्षा					
(53)	03 भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय				
	मूल	2,53.96			
			2,91.47	2,51.97	(-)39.50
	पूरक	37.51			
102 कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन					

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(54)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 20.25	20.25	0.06 (-)20.19
(55)	04 स्व० गोविन्द बल्लभ पन्त लोक कला संस्थान मूल 19.96	19.96	10.46 (-)9.50
(56)	12 शहीद स्मारक मूल 10.00	10.00	3.93 (-)6.07
(57)	13 उदय शंकर नृत्य अकादमी का संचालन मूल 40.00	40.00	11.15 (-)28.85
(58)	19 सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं का क्रय मूल 30.00	30.00	6.04 (-)23.96
(59)	38 बट्टी-केदार उत्सव मूल 20.00	20.00	14.92 (-)5.08
(60)	39 हरेला महोत्सव का आयोजन मूल 50.00	0.60	0.58 (-)0.02
	पुनर्वि० (-)49.40 प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 15 फरवरी 2018 को ₹ 49.40 लाख की कमी अन्य व्यय में हुई बचत के कारण की गई		
(61)	43 राज्योत्सव (राज्यस्तरीय लोक संगीत / लोक कला प्रतियोगिता का आयोजन) मूल 50.00	50.00	19.85 (-)30.15
	103 पुरातत्व विज्ञान		
(62)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 10.96	14.71	7.68 (-)7.03
	पूरक 3.75		
(63)	03 पुरातत्व अधिष्ठान मूल 1,57.13	1,68.68	1,44.58 (-)24.10
	पूरक 11.55		

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
104 अभिलेखागार			
(64) 03 राज्य अभिलेख			
मूल	1,41.09		
		1,42.29	
		1,22.72	(-)19.57
पूरक	1.20		
107 संग्रहालय			
(65) 03 अधिष्ठान व्यय			
मूल	1,12.11		
		1,35.54	
		1,17.62	(-)17.92
पूरक	23.43		

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

**2202 सामान्य शिक्षा**

*01 प्रारम्भिक शिक्षा*

102 अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता

(1) 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं				
मूल	5,00.00	5,00.00	0.00	(-)5,00.00

*02 माध्यमिक शिक्षा*

109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय

(2) 21 बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (साईकिल) योजना				
मूल	3,00.00	3,00.00	0.00	(-)3,00.00

(3) 22 गरीब मेधावी छात्र-छात्रों को लेपटोप/मोबाइल वितरण				
मूल	1,50.00	1,50.00	0.00	(-)1,50.00

(4) 23 माध्यमिक विद्यालयों में ज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना				
मूल	22.01	22.01	0.00	(-)22.01

(5) 24 माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत उन्नति योजना				
मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )		
(6)	25 निर्धन मेधावी छात्र छात्रों हेतु विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग की व्यवस्था मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00
	800 अन्य व्यय				
(7)	09 सैनिक स्कूल घोड़ाखाल को अनुरक्षण/संचालन निधि हेतु अनुदान मूल	0.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
	पूरक	1,00.00			
(8)	24 स्व० श्री इन्द्रमणि बडोनी के जन्मोत्सव पर लोक संस्कृति दिवस का आयोजन मूल	5.00	5.00	0.00	(-)5.00
	03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
(9)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	60.00	60.00	0.00	(-)60.00
	103 राजकीय कालेज तथा संस्थान				
(10)	05 राजकीय महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अन्य विकास कार्यों हेतु अनुदान मूल	70.00	70.00	0.00	(-)70.00
	वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।				
(11)	13 विश्वविद्यालय के कैम्पसों का आधुनिकरण, जैसे वाई फाई इत्यादि मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00
(12)	14 महाविद्यालयों को नैक प्रत्यायन की स्तर तक सुदृढीकरण मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
(13)	15 कृषि विश्वविद्यालय मूल	0.00	3,87.69	0.00	(-)3,87.69
	पूरक	3,87.69			
	107 छात्रवृत्तियां				

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )		
(14)	06 निर्धन प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00
	800 अन्य व्यय				
(15)	09 इंजीनियरिंग व मेडिकल में अध्ययनरत वी०पी०एल० विद्यार्थियों हेतु लैपटॉप वितरण योजना मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00
	वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।				
(16)	14 तकनीकी उत्प्रेरित शिक्षा मूल	6.00	6.00	0.00	(-)6.00
	वर्ष 2014-15 और 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।				
(17)	15 संगीत के ख्यातिप्राप्त कलाकारों द्वारा वर्कशॉप का आयोजन मूल	5.00	5.00	0.00	(-)5.00
	वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।				
(18)	16 स्नातकोत्तर / पी०एच०डी० हेतु निर्धन छात्रों को सहायता मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00
	05 भाषा विकास				
(19)	102 आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्द्धन 19 उत्तराखण्ड लोक भाषा व बोली अकादमी मूल	11.05	11.05	0.00	(-)11.05
	103 संस्कृत शिक्षा				
(20)	09 संस्कृत महाविद्यालयों को अनुदान मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
	वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।				
	80 सामान्य				
(21)	800 अन्य व्यय 05 एन०सी०सी० रिमान्ड एण्ड वेटनरी स्कॉर्डन की स्थापना मूल	38.45	38.45	0.00	(-)38.45

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
2204 खेल कूद तथा युवा सेवाएं			
00			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(22) 06 युवा छात्रावासों का विकास			
मूल	20.00	0.00	0.00
पुनर्वि०	(-)20.00		
(23) 09 युवा दलों को आर्थिक सहायता			
मूल	25.00	25.00	0.00
(24) 11 राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन			
मूल	10.00	10.00	0.00
वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			(-)10.00
(25) 15 प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयंसेवको का कैडियाला एवं गुलरभोज में व्यावसायिक प्रशिक्षण			
मूल	30.00	30.00	0.00
(26) 19 युवा कल्याण विभाग द्वारा युवा शारीरिक विकास एवं प्रोत्साहन प्रशिक्षण			
मूल	50.00	50.00	0.00
वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			(-)50.00
104 खेलकूद			
(27) 03 भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों तथा पहलवानों को वित्तीय सहायता			
मूल	5.00	0.00	0.00
पुनर्वि०	(-)5.00		
दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 5.00 लाख के अभ्यर्पण का कारण शासनादेश के शर्तों को पूरा न कर पाना बताया गया			
(28) 14 प्रतियोगिताओं का आयोजन			
मूल	15.00	0.00	0.00
पुनर्वि०	(-)15.00		

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(29)	31 38वे राष्ट्रीय खेलो का आयोजन मूल 10.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)10.00		0.00
	दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 10.00 लाख के अभ्यर्पण का कारण 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन न होना बताया गया		
(30)	33 38वें राष्ट्रीय खेल से पूर्व राज्य के खिलाड़ीयों हेतु विशेष प्रशिक्षण शिविर मूल 30.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)30.00		0.00
	दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 30.00 लाख के अभ्यर्पण का कारण 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन न होना बताया गया   वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(31)	34 स्पोर्ट्स कॉलेज में स्थापित आइस स्केटिंग रिंग के संचालनार्थ राजीव गाँधी अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम सोसाईटी देहरादून को एकमुश्त अनुदान मूल 10.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)10.00		0.00
	दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 10.00 लाख के अभ्यर्पण का कारण आइस स्केटिंग रिंग में क्रियाकलाप का संचालन न होना बताया गया   वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(32)	35 ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्धन योजना मूल 50.00	50.00	0.00
	वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(33)	36 निजी क्षेत्रों में खेल अकादमी की स्थापना मूल 20.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)20.00		0.00
	दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 20.00 लाख के अभ्यर्पण का कारण सहायक अनुदान प्राप्त करने के लिए कार्यवाही न किया जाना बताया गया		

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
<b>2205 कला तथा संस्कृति</b>			
00			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(34)	04 कलाकार कल्याण कोष		
	मूल	70.00	70.00
			0.00
			(-)70.00
102 कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन			
(35)	06 साहित्यिक कला परिषद् की स्थापना		
	मूल	15.00	
			0.00
			0.00
			0.00
	पुनर्वि०	(-)15.00	
	वर्ष 2009-10 से 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(36)	25 कनिष्ठ एवं वरिष्ठ कलाकारों हेतु छात्रवृत्ति योजना		
	मूल	15.00	15.00
			0.00
			(-)15.00
	वर्ष 2006-07 से 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(37)	37 स्पर्श गंगा कार्यक्रम का आयोजन		
	मूल	40.00	40.00
			0.00
			(-)40.00
(38)	40 राज्य स्तरीय लोक संगीत/लोक कला प्रतियोगिता का आयोजन		
	मूल	20.00	20.00
			0.00
			(-)20.00
(39)	42 चैतुला फण्ड/चैतुला उत्सव का आयोजन		
	मूल	50.00	50.00
			0.00
			(-)50.00
	वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(40)	44 हिमालयन संस्कृति केन्द्र देहरादून का वार्षिक रख-रखाव / संचालन		
	मूल	40.00	40.00
			0.00
			(-)40.00
(41)	45 विशिष्ट शैली / वास्तुकला में निर्मित भवनों का संरक्षण एवं संवर्द्धन		
	मूल	20.00	20.00
			0.00
			(-)20.00
	वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।



अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**2202 सामान्य शिक्षा**

*01 प्रारम्भिक शिक्षा*

101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय

(1) 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें

मूल 4,97,00.03

पूरक 45,85.00 5,61,13.71 5,45,21.03 (-)15,92.68

पुनर्वि० 18,28.68

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा 26 मार्च 2018 को ₹ 18,28.68 लाख की वृद्धि वेतन तथा अन्य भत्ते के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई | यद्यपि प्रावधान में वृद्धि किया जाना तत्पश्चात अन्तिम बचत का प्राप्त होना प्रावधान के त्रुटिपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है |

*02 माध्यमिक शिक्षा*

101 निरीक्षण

(2) 04 विकास खण्ड स्तर पर शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना

मूल 21,02.89

पूरक 1,50.00 25,06.89 24,27.88 (-)79.01

पुनर्वि० 2,54.00

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा 26 मार्च 2018 को ₹ 2,54.00 लाख की वृद्धि वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

107 छात्रवृत्तियां

(3) 15 खेल छात्रवृत्ति

मूल 2.50

5.94 5.94 0.00

पुनर्वि० 3.44

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा 21 नवम्बर 2017 को ₹ 3.44 लाख की वृद्धि छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(4)	07 राजीय गांधी नवोदय विद्यालयों की स्थापना			
	मूल	17,02.48		
			23,88.60	22,57.63
				(-),1,30.97

पुनर्वि० 6,86.12

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा 25 जनवरी 2018 को ₹ 6,86.12 लाख की वृद्धि वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते तथा व्यावसायिक सेवा के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा

104 अराजकीय कलेज और संस्थानों को सहायता

(5)	03 गैर-सरकारी महाविद्यालयों को सहायक अनुदान			
	मूल	61,50.00		
			70,07.00	69,43.24
				(-),63.76

पुनर्वि० 8,57.00

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा 23 मार्च 2018 को ₹ 8,57.00 लाख की वृद्धि वेतन एवं भत्ता के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

80 सामान्य

001 निदेशन तथा प्रशासन

(6)	04 राष्ट्रीय सेना छात्र दल			
	मूल	14,62.16		
	पूरक	88.34	15,66.99	15,66.99
				0.00
	पुनर्वि०	16.49		

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा 19 फरवरी 2018 को ₹ 50.00 लाख की वृद्धि व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई | यद्यपि दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 33.51 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए |

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

003 प्रशिक्षण

(7)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	30,08.51		
	पूरक	1,00.00	31,26.31	31,26.33 (+)0.02
	पुनर्वि०	17.80		

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 3,000 भी सम्मिलित है ।

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा 21 मार्च 2018 को ₹ 73.00 लाख की वृद्धि वेतन तथा जलकर/जल प्रभार के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई । यद्यपि दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 55.20 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते में हुई बचत के कारण किए गए ।

2205 कला तथा संस्कृति

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(8)	03 सांस्कृतिक कार्य निदेशालय			
	मूल	6,20.29		
	पूरक	7.00	6,91.69	6,43.87 (-)47.82
	पुनर्वि०	64.40		

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा 15 फरवरी 2018 को ₹ 64.40 लाख की वृद्धि अन्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई । यद्यपि प्रावधान में वृद्धि किया जाना तत्पश्चात अन्तिम बचत का प्राप्त होना प्रावधान के त्रुटिपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है ।

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (7) पर अंतिम आधिक्य तथा क्रम संख्या (1, 2, 4 से 5) एवं (8) के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018) ।

पूजीगत:

दत्तमत-

- (vii) ₹ 1,11,96.89 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 5,79.07 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके ।
- (viii) ₹ 1,11,96.89 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 35,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए ।

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(ix) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2012-13	3,59,49.59	2,37,46.19	1,22,03.40
2013-14	4,73,62.70	2,89,07.59	1,84,55.11
2014-15	5,96,90.22	4,07,02.63	1,89,87.59
2015-16	6,08,92.44	2,38,12.18	3,70,80.26
2016-17	5,59,05.85	4,06,32.79	1,52,73.06

(x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4202 शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

01 सामान्य शिक्षा

201 प्रारम्भिक शिक्षा भवन-

(1) 03 प्राथमिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण

मूल	4,00.00	4,00.00	1,07.95	(-)2,92.05
-----	---------	---------	---------	------------

202 माध्यमिक शिक्षा

(2) 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं

मूल	45,10.03			
पूरक	10,00.00	35,10.02	35,00.00	(-)10.02
पुनर्वि०	(-)20,00.01			

प्रावधान में पुनर्विनियोजन के द्वारा दिनांक 29 मार्च 2018 को ₹ 14,70.94 लाख और दिनांक 31 मार्च 2018 को अभ्यर्पण के द्वारा ₹ 5,29.07 लाख की कमी का कारण भारत सरकार से धन राशि स्वीकृत न होना बताया गया।

203 विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा

(3) 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं

मूल	16,00.01	16,00.01	11,54.01	(-)4,46.00
-----	----------	----------	----------	------------

02 तकनीकी शिक्षा

104 बहुशिल्प

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(4)	98 नाबार्ड वित्त पोषित मूल	12,00.00	12,00.00	10,39.59 (-)1,60.41
	03 खेलकूद तथा युवा सेवा			
(5)	102 खेलकूद स्टेडियम 09 अवस्थापना सुविधाओं का अनुरक्षण मूल	50.00	50.00	8.76 (-)41.24
(6)	13 देहरादून स्पोर्ट्स कालेज के भवन का निर्माण मूल	1,00.00	1,00.00	41.91 (-)58.09
(7)	26 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन मूल	14,00.00	14,00.00	11,31.18 (-)2,68.82
	04 कला और संस्कृति			
(8)	106 संग्रहालय 03 संग्रहालय भवन का निर्माण मूल	50.00	50.00	7.77 (-)42.23

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

4202 शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

01 सामान्य शिक्षा

202 माध्यमिक शिक्षा

(1)	18 पुस्तकालय भवनों का निर्माण मूल	20.00	20.00	0.00 (-)20.00
	वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(2)	30 मॉडल स्कूलों में भवन निर्माण मूल	3,50.00	3,50.00	0.00 (-)3,50.00
	वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(3) 31 सैनिक स्कूल जखोली का निर्माण मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00
203 विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा			
(4) 07 राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षण कक्ष/पुस्तकालय आदि के भवन निर्माण मूल	20.00	20.00	0.00 (-)20.00
वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(5) 14 कुमाऊँ विश्व विद्यालय मूल	2,00.00	2,00.00	0.00 (-)2,00.00
(6) 15 दून विश्व विद्यालय मूल	2,00.00	2,00.00	0.00 (-)2,00.00
वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(7) 16 संस्कृत विश्व विद्यालय मूल	1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(8) 17 मुक्त विश्व विद्यालय मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00
(9) 18 सम्बद्ध विश्व विद्यालय मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00
वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(10) 19 राष्ट्रीय विधि विद्यालय मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00
वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(11)	23 अल्मोड़ा आवासीय विश्वविद्यालय मूल 3,00.00	3,00.00	0.00 (-)3,00.00
	वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(12)	24 श्री देव सुमन विश्वविद्यालय को अनुदान मूल 50.00	50.00	0.00 (-)50.00
	205 भाषा विकास		
(13)	04 भाषा संस्थान तथा हिन्दी अकादमी का भवन निर्माण मूल 50.00	50.00	0.00 (-)50.00
	वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
	800 अन्य व्यय		
(14)	31 एन0सी0सी0 प्रशिक्षण एकेडमी मूल 50.00	0.00	0.00 0.00
	पुनर्वि० (-)50.00		
	वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
	02 तकनीकी शिक्षा		
	104 बहुशिल्प		
(15)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल 2,00.01	2,00.01	0.00 (-)2,00.01
	105 इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान		
(16)	08 राजकीय महिला इंजीनियरिंग कालेज देहरादून मूल 1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
	वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(17)	09 इंजीनियरिंग कालेज, गोपेश्वर (चमोली) मूल 1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
	वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(18)	10 इंजीनियरिंग कालेज टनकपुर मूल 1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
	वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(19)	11 इंजीनियरिंग कालेज उत्तरकाशी मूल 1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
	वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(20)	12 सीमांत प्रोद्योगिकी संस्थान पिथौरागढ़ मूल 1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
	वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(21)	13 इंजीनियरिंग कॉलेज सल्ट (अल्मोड़ा) का भवन निर्माण मूल 1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
	03 खेलकूद तथा युवा सेवा		
	102 खेलकूद स्टेडियम		
(22)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल 7,04.01	7,04.01	0.00 (-)7,04.01
	वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(23)	04 स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण (नए कार्य) मूल 50.00	50.00	0.00 (-)50.00
(24)	14 पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कालेज भवन का निर्माण मूल 3,00.00	3,00.00	0.00 (-)3,00.00



अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(25)	19 हल्द्वानी स्टेडियम (फेज-2) मूल 44,00.00	44,00.00	0.00 (-)44,00.00
(26)	20 मंडप ग्राउंड का निर्माण मूल 1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
(27)	22 त्रेपन सिंह नेगी, राज्यस्तरीय युवा विकास केन्द्र की स्थापना मूल 2,00.00	0.00	0.00 0.00
	पुनर्वि० (-)2,00.00		
04 कला एवं संस्कृति			
106 संग्रालय			
(28)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल 4,00.00	4,00.00	0.00 (-)4,00.00
(29)	05 नेहरू हेरीटेज सेंटर मूल 30.00	0.00	0.00 0.00
	पुनर्वि० (-)30.00		
(30)	07 जागर महाविद्यालय की स्थापना मूल 25.00	0.00	0.00 0.00
	पुनर्वि० (-)25.00		
वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			
800 अन्य व्यय			
(31)	04 हिमालय संस्कृति केन्द्र मूल 10,00.00	10,00.00	0.00 (-)10,00.00
वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(xii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4202 शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

01 सामान्य शिक्षा

201 प्रारम्भिक शिक्षा भवन-

(1)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	20,00.01		
	पूरक	25,00.00	59,70.95	59,70.94
	पुनर्वि०	14,70.94		(-)0.01
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 29 मार्च 2018 को ₹ 14,70.94 लाख की वृद्धि पूंजीगत परिसम्पतियों के निर्माण के लिए सहायक अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			

203 विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा

(2)	04 राजकीय महाविद्यालयों के भूमि/भवन क्रय			
	मूल	1,00.00		
			1,06.14	1,06.14
	पुनर्वि०	6.14		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 29 मार्च 2018 को ₹ 6.14 लाख की वृद्धि वृहद् निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			

03 खेलकूद तथा युवा सेवा

102 खेलकूद स्टेडियम

(3)	16 आउटडोर फील्ड, इनडोर हॉल एवं मिनी स्टेडियम का निर्माण			
	मूल	80.00		
			2,80.00	2,80.00
	पुनर्वि०	2,00.00		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 24 मार्च 2018 को ₹ 2,00.00 लाख की वृद्धि वृहद् निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			

04 कला संस्कृति

106 संग्रहालय

अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(4) 04 महान विभूतियों की स्मारकों/मूर्तियों का निर्माण			
मूल	10.00		
		40.00	0.00
पुनर्वि०	30.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 15 फरवरी 2018 को ₹ 30.00 लाख की वृद्धि वृहद् निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
800 अन्य व्यय			
(5) 03 सांस्कृतिक परिषद/कला केन्द्र /विद्यालय /आडिटोरियम आदि का निर्माण			
मूल	44.00		
		69.00	0.00
पुनर्वि०	25.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 15 फरवरी 2018 को ₹ 25.00 लाख की वृद्धि वृहद् निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			

**अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण**

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में )
------------------	------------	------------------	----------------------------------------

**राजस्व:**

2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
2211	परिवार कल्याण

**दत्तमत-**

मूल	17,99,45,43			
		19,51,33,60	14,41,15,60	(-)5,10,18,00
पूरक	1,51,88,17			
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)			...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 31,56 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

**पूंजीगत:**

4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
4211	परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

**दत्तमत-**

मूल	1,23,85,18			
		1,46,55,03	63,94,01	(-)82,61,02
पूरक	22,69,85			
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)			...

अनुदान के पूंजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,90,00 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

अनुदान के पूंजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 30,94 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2017-18 की अवधि में हुई।

**अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

**टिप्पणियां एवं टीकायें**

**राजस्व:**

**दत्तमत-**

- ₹ 5,10,18.00 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- ₹ 5,10,18.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 1,51,88.17 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2012-13	9,00,12.48	7,66,71.28	1,33,41.20
2013-14	9,69,36.42	8,53,25.76	1,16,10.66
2014-15	15,96,65.09	11,99,31.09	3,97,34.00
2015-16	17,77,51.08	12,63,49.55	5,14,01.53
2016-17	17,75,93.95	13,23,63.27	4,52,30.68

- बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य**

*01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ - पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति*

001 निदेशन तथा प्रशासन

- 05 चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु स्मार्ट कार्ड योजना का प्रबन्धन

मूल	7,25.00	7,25.00	4,40.29	(-), 2,84.71
वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 31,029 भी सम्मिलित है				

110 अस्पताल तथा औषधालय

- 03 एलोपैथिक एकीकृत चिकित्सालय और औषधालय

मूल	1,78,37.87			
		1,87,96.37	1,68,69.81	(-), 19,26.56
पूरक	9,58.50			

- 10 उच्च न्यायालय में चिकित्सालय की स्थापना

मूल	76.28			
		1,26.28	76.37	(-), 49.91
पूरक	50.00			

**अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )	
(4)	15 राजकीय स्वायत्ता प्राप्त चिकित्सालयों को अनुदान मूल 31,90.00	31,90.00	12,18.74 (-)19,71.26	
(5)	19 केन्द्रीय औषधि भण्डार की स्थापना मूल 11.01	11.01	5.86 (-)5.15	
(6)	20 महामहिम राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री आवास हेतु चिकित्सा व्यवस्था मूल 15.77 पूरक 2.25 पुनर्वि० 0.70	18.72	10.20 (-)8.52	
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 27 मार्च 2018 को ₹ 0.70 लाख की वृद्धि वेतन के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई   यद्यपि प्रावधान में वृद्धि किया जाना तत्पश्चात अन्तिम बचत का प्राप्त होना प्रावधान के त्रुटिपूर्ण आंकलन को प्रदर्शित करता है			
(7)	23 गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केन्द्र की स्थापना मूल 6,30.00	6,40.00	99.71 (-)5,40.29	
	पूरक 10.00			
(8)	24 उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड मूल 50.62	60.82	22.75 (-)38.07	
	पूरक 10.20			
(9)	200 अन्य स्वास्थ्य सेवायें 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल 1,48.34	1,58.89	1,30.33 (-)28.56	
	पूरक 10.55			
(10)	05 मानसिक चिकित्सा प्राधिकरण मूल 10.27 पूरक 2.50 पुनर्वि० (-)4.32	8.45	3.00 (-)5.45	
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 27 मार्च 2018 को ₹ 4.32 लाख की कमी वेतन में हुई बचत के कारण की गई			

**अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(11)	06 टेली मेडिसिन की व्यवस्था			
	मूल	21.00		
			31.00	
	पूरक	10.00	21.00	(-)10.00
	800 अन्य व्यय			
(12)	06 तीर्थयात्रा मार्गों पर सफाई/चिकित्सा सुविधा			
	मूल	1,00.00	1,00.00	51.04
				(-)48.96
(13)	09 विभिन्न मेलों में स्वच्छता एवं चिकित्सा व्यवस्था			
	मूल	50.00	50.00	26.99
				(-)23.01
(14)	14 कैलाश मानसरोवर यात्रा के हेतु चिकित्सा व्यवस्था			
	मूल	15.01	15.01	4.49
				(-)10.52
	02 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ			
	101 आयुर्वेद			
(15)	08 आयुर्वेदिक			
	मूल	1,66,78.42		
	पूरक	1,01.00	1,56,50.44	1,47,90.69
	पुनर्वि०	(-)11,28.98		(-)8,59.75
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 05 दिसम्बर 2017 को ₹ 1.50 लाख, दिनांक 16 मार्च 2018 को ₹ 10.84 लाख और दिनांक 19 मार्च 2018 को ₹ 11,16.64 लाख की कमी वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते में हुई बचत के कारण की गई			
	03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ - पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति			
	101 स्वास्थ्य उपकेन्द्र			
(16)	04 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की स्थापना (राज्य पोषित)			
	मूल	6.80	6.80	1.11
				(-)5.69
	110 अस्पताल तथा औषधालय			
(17)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	2,70,00.00		
			3,10,00.00	
	पूरक	40,00.00	1,59,96.41	(-)1,50,03.59

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(18)	06 क्षय रोग रूजालय मूल	15,26.14		
			15,37.14	
	पूरक	11.00		
			13,40.17	(-),96.97
(19)	10 टिहरी बांध प्रभावित क्षेत्र हेतु वैकल्पिक चिकित्सा सुविधा मूल	96.26		
			1,18.51	
	पूरक	22.25		
			97.83	(-),20.68
(20)	11 ब्लड बैंक की स्थापना मूल	89.78	89.78	
			56.82	(-),32.96
(21)	13 राजकीय स्वायतता प्राप्त चिकित्सालयों को अनुदान मूल	15,00.00	15,00.00	
			7,35.00	(-),7,65.00
(22)	19 राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रोमा सेन्टर की स्थापना मूल	1,00.01	1,00.01	
			85.89	(-),14.12
	800 अन्य व्यय			
(23)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल	77.37		
			82.37	
	पूरक	5.00		
			62.90	(-),19.47
	05 चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
	105 पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति			
(24)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल	2,46.58		
			2,96.58	
	पूरक	50.00		
			1,42.34	(-),1,54.24
(25)	04 मेडिकल कालेज मूल	1,55,32.33		
			1,85,55.06	
	पूरक	30,22.73		
			1,59,49.84	(-),26,05.22



अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(26)	05 नर्सिंग एवं पैरामेडिकल शिक्षा			
	मूल	8,86.60		
			10,92.07	
	पूरक	2,05.47		
			6,16.52	(-)4,75.55
(27)	09 चिकित्सा शिक्षा निदेशालय			
	मूल	91.55		
			1,13.92	
	पूरक	22.37		
			85.53	(-)28.39
(28)	10 चिकित्सा शिक्षा विस्वविद्यालय			
	मूल	1,80.00		
			1,80.00	
			1,50.00	(-)30.00
	06 लोक स्वास्थ्य			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(29)	03 अधिष्ठान व्यय			
	मूल	1,08.42		
			1,16.92	
	पूरक	8.50		
			98.36	(-)18.56
	003 प्रशिक्षण			
(30)	03 सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र			
	मूल	2,68.73		
			2,77.73	
	पूरक	9.00		
			2,31.30	(-)46.43
(31)	04 राज्य क्षय रोग प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र			
	मूल	31.15		
			33.14	
	पूरक	1.99		
			10.02	(-)23.12
	101 रोगों का निवारण तथा नियन्त्रण			
(32)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
	मूल	1,50.35		
			1,55.20	
	पूरक	4.85		
			35.03	(-)1,20.17

**अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )	
(33)	03 लोक स्वास्थ्य मूल	90,58.71			
			91,13.21		
	पूरक	54.50			
			36,65.10	(-)54,48.11	
(34)	04 महामारी निरोधक क्रियायें मूल	4,08.90	4,08.90	3,08.71	(-)1,00.19
(35)	06 कुष्ठ रोगियों की सहायता मूल	7,40.88			
			7,48.38		
	पूरक	7.50			
			6,36.01	(-)1,12.37	
(36)	12 खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अन्तर्गत अपीलिय अधिकरण की स्थापना मूल	1,01.69			
			1,27.87		
	पूरक	26.18			
			62.90	(-)64.97	
(37)	99 राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन मूल	48,00.00	48,00.00	29,01.66	(-)18,98.34
(38)	102 खाद्य अपमिश्रण का निवारण 03 सरकारी जन विश्लेषक प्रयोगशाला मूल	3,68.77			
			3,80.00		
	पूरक	11.23			
			3,35.12	(-)44.88	
(39)	104 औषधि नियंत्रण 03 ड्रग कन्ट्रोल मूल	1,40.47			
			1,43.22		
	पूरक	2.75			
			1,02.38	(-)40.84	
(40)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल	10,27.07	10,27.07	9,14.79	(-)1,12.28

**अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(41)	06 परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित भवनों की मरम्मत एवं अनुरक्षण निर्माण कार्य (अनुरक्षण) मूल	30.00	30.00	24.86 (-)5.14
(42)	07 वाहनों का संचालन एवं अनुरक्षण मूल	88.00	88.00	66.90 (-)21.10
(43)	11 पार्ट-टाईम दाईयों को अतिरिक्त मानदेय मूल	95.00	95.00	71.75 (-)23.25
<b>2211 परिवार कल्याण</b>				
00				
001 निदेशन तथा प्रशासन				
(44)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल	8,67.79		
	पूरक	1.00	8,68.79	6,59.13 (-)2,09.66
003 प्रशिक्षण				
(45)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल	2,53.90		
	पूरक	21.50	2,75.40	2,29.51 (-)45.89
101 अनुसूचित जातियों हेतु स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान				
(46)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	1,05,74.00	1,05,74.00	93,08.87 (-)12,65.13
102 शहरी परिवार कल्याण सेवायें				
(47)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल	4,88.18	4,88.18	3,78.48 (-)1,09.70

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

**अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(v)	दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:		
	<b>2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य</b>		
	<i>01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ - पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति</i>		
(1)	110 अस्पताल तथा औषधालय		
	22 उपचारिकाओं की फ्लोरस नाईटिंगल अवार्ड		
	मूल	10.00	10.00
	वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे	0.00	(-)10.00
(2)	97 वाहय सहायतित परियोजनायें		
	मूल	1,20,00.00	1,20,00.00
		0.00	(-)1,20,00.00
	200 अन्य स्वास्थ्य सेवायें		
(3)	08 जन्म-मृत्यु पंजीयन कार्यक्रम का सुदृढीकरण		
	मूल	36.05	36.05
		0.00	(-)36.05
	800 अन्य व्यय		
(4)	07 स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान		
	मूल	20.00	20.00
	वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे	0.00	(-)20.00
(5)	13 मुख्य राजकीय चिकित्सालयों के आस-पास रोगियों के परिचरों के ठहरने हेतु विश्राम गृह		
	मूल	7.00	7.00
	वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे	0.00	(-)7.00
	<i>03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ - पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति</i>		
	101 स्वास्थ्य उपकेन्द्र		
(6)	05 मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुदृढीकरण योजना		
	मूल	10.01	10.01
	वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे	0.00	(-)10.01

**अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
	<i>05 चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान</i>			
	105 पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति			
(7)	03 शिक्षा			
	मूल	47.00	47.00	0.00 (-)47.00
	<i>06 लोक स्वास्थ्य</i>			
	101 रोगों का निवारण तथा नियन्त्रण			
(8)	08 राज्य एडस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता			
	मूल	3,50.00	3,50.00	0.00 (-)3,50.00
	800 अन्य व्यय			
(9)	04 जन्म और मरण संबन्धी आंकड़ों के पंजीयन और संग्रहण व्यवस्था			
	मूल	5.63	5.63	0.00 (-)5.63
(10)	14 स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत पी० एम० यू० का गठन			
	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00

वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018) |

(vi) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य**

*02 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ*

101 आयुर्वेद

01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं

मूल 12,00.00

23,16.64

22,42.29

(-)74.35

पुनर्वि० 11,16.64

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 19 मार्च 2018 को ₹ 11,16.64 लाख की वृद्धि राष्ट्रीय आयुष मिशन हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018) |

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

पूँजीगत:  
दत्तमत-

- (vii) ₹ 82,61.02 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (viii) ₹ 82,61.02 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 22,69.85 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (ix) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			बचत	
2012-13	3,65,82.94	1,34,86.13	2,30,96.81	
2013-14	3,31,16.59	1,43,02.67	1,88,13.92	
2014-15	2,76,41.06	2,52,13.80	24,27.26	
2015-16	1,71,76.30	1,37,96.66	33,79.64	
2016-17	1,48,25.17	1,15,97.02	32,28.15	

- (x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय

01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं

110 अस्पताल तथा औषधालय

- (1) 14 आवासीय भवनों का निर्माण

मूल	0.01			
		1,00.01	64.62	(-)35.39
पूरक	1,00.00			

- (2) 17 अनावासीय भवनों में वृहद् स्तरीय अनुरक्षण विस्तारीकरण तथा निर्माण

मूल	50.00			
		1,00.00	30.78	(-)69.22

पुनर्वि० 50.00

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 20 मार्च 2018 को ₹ 50.00 लाख की वृद्धि वृहद् निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई | यद्यपि प्रावधान में वृद्धि किया जाना तत्पश्चात अन्तिम बचत का प्राप्त होना प्रावधान के त्रुटिपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है |

**अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(3)	29 ट्यूनी में बेस चिकित्सालय का निर्माण		
	मूल	1,00.00	
	पूरक	30.00	1,80.00
	पुनर्वि०	50.00	33.33
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 21 मार्च 2018 को ₹ 50.00 लाख की वृद्धि वृहद् निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई   यद्यपि प्रावधान में वृद्धि किया जाना तत्पश्चात अन्तिम बचत का प्राप्त होना प्रावधान के त्रुटिपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है		
	02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ/पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति		
(4)	103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र		
	03 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण (राज्य योजना)		
	मूल	2,00.00	
		2,24.05	2,00.00
	पूरक	24.05	(-)24.05
	110 अस्पताल तथा औषधालय		
(5)	05 तहसील स्तरीय विशिष्ट चिकित्सा सेवा सुविधा निर्माण (एस.पी.ए.)		
	मूल	1,00.00	1,00.00
			15.18
			(-)84.82
	800 अन्य व्यय		
(6)	03 राज्य सेक्टर		
	मूल	6,50.10	6,50.10
			3,95.00
			(-)2,55.10
	03 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान		
(7)	105 एलोपैथी		
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	63,00.00	
		76,15.80	12,86.71
	पूरक	13,15.80	(-)63,29.09
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।		
(xi)	दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:		
	4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय		
	01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ		

**अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
110 अस्पताल तथा औषधालय			
(1) 03 शव विच्छेदन गृहों का निर्माण			
मूल	50.00		
		0.00	0.00
पुनर्वि०	(-)50.00		
वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(2) 04 ब्लड बैंक स्थापना/निर्माण कार्य			
मूल	20.00	20.00	0.00 (-)20.00
वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(3) 10 नए जनपद बागेश्वर, चंपावत तथा रुद्रप्रयाग में जिला चिकित्सालय का निर्माण			
मूल	2,00.00		
		43.05	0.00 (-)43.05
पुनर्वि०	(-)1,56.95		
प्रावधान में पुनर्विनियोजन के द्वारा दिनांक 20 मार्च 2018 को ₹ 1,56.95 लाख की कमी योजना के अंतर्गत बचत होने के कारण की गई			
(4) 18 राष्ट्रीय राज मार्गों पर ट्रोमा सेंटर का निर्माण			
मूल	40.00	40.00	0.00 (-)40.00
वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(5) 24 कोटद्वार में ट्रामा सेन्टर/डायग्नोसिस सेंटर के बेस हास्पिटल का निर्माण			
मूल	3,00.00	3,00.00	0.00 (-)3,00.00
(6) 25 गोपेश्वर में बेस चिकित्सालय का निर्माण			
मूल	1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			



**अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(7)	27 बागेश्वर में बेस चिकित्सालय का निर्माण मूल 1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
(8)	28 सोमेश्वर में बेस चिकित्सालय का निर्माण मूल 2,00.00	50.00	0.00 (-)50.00
	पुनर्वि० (-)1,50.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन के द्वारा दिनांक 20 मार्च 2018 को ₹ 1,00.00 लाख तथा दिनांक 21 मार्च 2018 को ₹ 50.00 लाख की कमी योजना के अंतर्गत बचत होने के कारण की गई		
	वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
	02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति		
	110 अस्पताल तथा औषधालय		
(9)	07 ऐलोपैथिक चिकित्सालयों का निर्माण मूल 10.00	10.00	0.00 (-)10.00
(10)	08 शव विच्छेदन गृह का निर्माण मूल 10.00	10.00	0.00 (-)10.00
	वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(11)	09 ब्लड बैंक की स्थापना/निर्माण कार्य मूल 25.00	25.00	0.00 (-)25.00
	वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
	800 अन्य व्यय		
(12)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल 10.01	10.01	0.00 (-)10.01
	वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(13)	04 आयुर्वेद डिग्री कालेज का निर्माण मूल 50.00	50.00	0.00 (-)50.00

**अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
	<i>03 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान</i>		
	103 यूनानी		
(14)	02 पिरान कलियर में यूनानी कॉलेज की स्थापना		
	मूल	50.00	50.00
		0.00	(-)50.00
	105 एलोपैथी		
(15)	05 रुद्रपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना तथा बेस चिकित्सालय का उच्चीकरण		
	मूल	1,00.00	
		50.00	0.00
			(-)50.00
	पुनर्वि०	(-)50.00	
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन के द्वारा दिनांक 08 मार्च 2018 को ₹ 50.00 लाख की कमी योजना के अंतर्गत बचत होने के कारण की गई		
(16)	11 नर्सिंग स्कूल की स्थापना		
	मूल	1,00.00	1,00.00
		0.00	(-)1,00.00
(17)	12 अलमोड़ा मेडिकल कालेज की स्थापना		
	मूल	1,00.00	
		0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)1,00.00	
	<b>4211 परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय</b>		
	00		
	101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवा		
(18)	03 उपकेन्द्र के लिए भवनों का निर्माण		
	मूल	1,00.00	1,00.00
		0.00	(-)1,00.00
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)		

(xii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय**  
02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति

अनुदान सं० 12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
104 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
(1) 03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना			
मूल	2,00.00		
		3,56.95	2,88.39
			(-)68.56
पुनर्वि०	1,56.95		
प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 20 मार्च 2018 को ₹ 1,56.95 लाख की वृद्धि वृहद् निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
03 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105 एलोपैथी			
(2) 03 श्रीनगर में मेडिकल कालेज की स्थापना			
मूल	1,00.00		
		2,50.00	2,50.00
			0.00
पुनर्वि०	1,50.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 05 मार्च 2018 को ₹ 1,00.00 लाख तथा दिनांक 08 मार्च 2018 को ₹ 50.00 लाख की वृद्धि वृहद् निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1) पर अंतिम अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018) |

**अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास**

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में )
------------------	------------	------------------	----------------------------------------

**राजस्व:**

2215	जल पूर्ति तथा सफाई
2217	शहरी विकास

**दत्तमत-**

मूल	6,51,69,19			
		7,55,41,21	5,84,16,33	(-)1,71,24,88
पूरक	1,03,72,02			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)				27,47

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 18,80,00 हजार सम्मिलित है जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2017-18 की अवधि में हुई |

**पूंजीगत:**

4215	जल आपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय
4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय

**दत्तमत-**

मूल	6,42,81,01			
		8,30,99,99	6,37,50,51	(-)1,93,49,48
पूरक	1,88,18,98			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)				...

**टिप्पणियां एवं टीकार्यें**

**राजस्व:**

**दत्तमत-**

- (i) ₹ 1,71,24.88 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 27.47 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके |

**अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

- (ii) ₹ 1,71,24.88 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 1,03,72.02 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए ।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			व्यय	बचत
2012-13	6,22,89.21	4,69,67.23	1,53,21.98	
2013-14	8,18,46.93	5,10,21.85	3,08,25.08	
2014-15	9,50,38.96	7,74,52.98	1,75,85.98	
2015-16	9,30,33.01	6,30,33.75	2,99,99.26	
2016-17	11,61,09.69	7,44,80.31	4,16,29.38	

- (iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**2215 जल पूर्ति तथा सफाई**

**01 जलापूर्ति**

**001 निदेशन तथा प्रशासन**

- (1) 04 वर्षा जल संरक्षण हेतु अनुदान
- |     |       |       |      |          |
|-----|-------|-------|------|----------|
| मूल | 40.00 | 40.00 | 7.23 | (-)32.77 |
|-----|-------|-------|------|----------|

**101 शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम**

- (2) 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना
- |          |            |       |       |      |
|----------|------------|-------|-------|------|
| मूल      | 1,60.00    |       |       |      |
| पूरक     | 62.00      | 62.00 | 62.00 | 0.00 |
| पुनर्वि० | (-)1,60.00 |       |       |      |

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 29 मार्च 2018 को ₹ 1,60.00 लाख की कमी सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण की गई ।

**102 ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम**

- (3) 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें
- |     |          |          |          |            |
|-----|----------|----------|----------|------------|
| मूल | 31,00.00 | 31,00.00 | 26,69.39 | (-)4,30.61 |
|-----|----------|----------|----------|------------|

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )	
(4)	07 केन्द्रीय पोषित योजनाओं पर देय विभागीय शुल्क का भुगतान मूल 20,00.00	11,05.00	11,05.00	0.00
	पुनर्वि० (-)8,95.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 21 जुलाई 2017 को ₹ 12,00.00 लाख की कमी सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण की गई   यद्यपि, प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 14 फरवरी 2018 को ₹ 3,05.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
(5)	97 बाह्य सहायतित योजना मूल 17,50.00	5,00.00	5,00.00	0.00
	पुनर्वि० (-)12,50.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 14 फरवरी 2018 को ₹ 4,15.33 लाख तथा दिनांक 29 मार्च 2018 को ₹ 8,34.67 लाख की कमी सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण की गई			
<b>2217 शहरी विकास</b>				
03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास				
001 निदेशन तथा प्रशासन				
(6)	06 नगर एवं ग्राम्य विकास अधिष्ठान मूल 4,58.88	5,31.97	4,75.61	(-)56.36
	पूरक 73.09			
(7)	07 विहित अधिकारियों का अधिष्ठान मूल 1,81.32	1,82.32	1,13.17	(-)69.15
	पूरक 1.00			
191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता				
(8)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल 2,53,00.00	1,83,11.90	1,13,46.86	(-)69,65.04
	पुनर्वि० (-)69,88.10			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 29 मार्च 2018 को ₹ 69,88.10 लाख की कमी सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण की गई			

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(9)	03 नगरों का सामेकित विकास मूल	12,15.02	12,15.02	8,72.30 (-)3,42.72
	800 अन्य व्यय			
(10)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल	25,00.02	25,00.02	4,36.12 (-)20,63.90
(11)	15 मेट्रो रेल कार्मिकों के वेतन एवं अन्य व्यय का भुगतान मूल	0.00		
			10,00.00	5,00.00 (-)5,00.00
	पूरक	10,00.00		
(12)	17 ई.डब्लू.एस. आवासों हेतु अनुदान मूल	0.00		
			20,00.00	4,64.00 (-)15,36.00
	पूरक	20,00.00		
	80 सामान्य			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(13)	02 हरिद्वार कुम्भ/अर्ध कुम्भ मेला स्थाई अधिष्ठान मूल	69.15	69.15	33.09 (-)36.06
(14)	03 नगर पंचायतों का चुनाव मूल	2,70.18		
	पूरक	19,53.98	21,96.69	2,42.65 (-)19,54.04
	पुनर्वि०	(-)27.47		
	दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 27.47 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन तथा अन्य भत्तों में हुई बचत के कारण किए गए			
(15)	04 उत्तराखण्ड सफाई कर्मचारी आयोग मूल	53.41	53.41	17.71 (-)35.70
(16)	05 शहरी भूमि सीमा रोपण मूल	82.48	82.48	44.35 (-)38.13
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)			

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(v)	दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:		
<b>2215 जल पूर्ति तथा सफाई</b>			
<i>01 जलापूर्ति</i>			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(1)	03 कंसल्टेंसी, रिमोट सेंसिंग एवं मास्टर प्लान		
	मूल	50.00	50.00
			0.00
			(-)50.00
005 सर्वेक्षण और अन्वेषण			
(2)	02 डी0 पी0 आर0 निर्माण		
	मूल	1,00.00	
			14.00
			0.00
			(-)14.00
	पुनर्वि०	(-)86.00	
052 मशीनरी तथा उपस्कर			
(3)	02 नगरीय क्षेत्रों में वाटर मीटर		
	मूल	1,00.00	1,00.00
			0.00
			(-)1,00.00
102 ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम			
(4)	14 चाल-खाल निर्माण, विकास एवं पुनर्जीवीकरण पर प्रोत्साहन राशि एवं जल संरक्षण पर वाटर बोनस हेतु अनुदान		
	मूल	10.00	10.00
			0.00
			(-)10.00
<b>2217 शहरी विकास</b>			
<i>03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास</i>			
191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता			
(5)	04 सफाई कर्मचारियों हेतु स्वास्थ्य आरोहण योजना		
	मूल	20.00	20.00
			0.00
			(-)20.00
	वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		
(6)	05 सफाई कर्मचारियों हेतु पारितोषिक योजना		
	मूल	20.00	20.00
			0.00
			(-)20.00
	वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		



अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(7)	06 सड़क पर रेड़ी, फेरी भिक्षावृत्ति कूड़ा बीनने वालों, सपेरा आदि हेतु सहायता		
	मूल	10.00	10.00
			0.00
			(-)10.00
	वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		
	800 अन्य व्यय		
(8)	16 अचल सम्पत्ति प्राधिकरण		
	मूल	0.00	
			2,00.00
			0.00
			(-)2,00.00
	पूरक	2,00.00	
	05 अन्य शहरी विकास योजनायें		
	051 निर्माण-कार्य		
(9)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	25,00.00	25,00.00
			0.00
			(-)25,00.00
	80 सामान्य		
	800 अन्य व्यय		
(10)	09 डी0 पी0 आर0 निर्माण		
	मूल	1,00.00	1,00.00
			0.00
			(-)1,00.00
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।		

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2215 जल पूर्ति तथा सफाई

01 जलापूर्ति

101 शहरी जालापूर्ति कार्यक्रम

**अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(1)	05 नगरीय पेयजल			
	मूल	1,24,50.00		
	पूरक	2,65.00	1,97,89.10	1,97,89.10
	पुनर्वि०	70,74.10		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 14 मार्च 2018 को ₹ 86.00 लाख तथा दिनांक 29 मार्च 2018 को ₹ 69,88.10 लाख की वृद्धि विद्युत देय के भुगतान तथा सहायक अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			

(2)	190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
	05 पेयजल निगम को अर्जित परसेन्टेज के सापेक्ष वेतन भुगतान के गैप की पूर्ति हेतु अनुदान			
	मूल	45,80.00		
	पूरक	27,95.00	96,80.00	96,80.00
	पुनर्वि०	23,05.00		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 21 जुलाई 2017 को ₹ 12,00.00 लाख, दिनांक 14 फरवरी 2018 को ₹ 1,10.33 लाख तथा दिनांक 29 मार्च 2018 को ₹ 9,94.67 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			

**पूँजीगत:  
दत्तमत-**

- (vii) ₹ 1,93,49.48 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (viii) ₹ 1,93,49.48 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 1,88,18.98 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (ix) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)
			बचत
2012-13	5,59,50.00	2,51,50.98	3,07,99.02
2013-14	4,99,65.00	2,24,57.37	2,75,07.63
2014-15	7,13,50.02	2,35,64.65	4,77,85.37
2015-16	5,36,18.42	3,79,10.87	1,57,07.55
2016-17	4,84,31.85	3,09,87.25	1,74,44.60

अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(x)	बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:		
<b>4215 जल आपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
<i>01 जल आपूर्ति</i>			
101 शहरी जल आपूर्ति			
(1)	03 नगरीय पेयजल		
	मूल	25,00.00	
		42,86.98	36,72.73
	पूरक	17,86.98	(-)6,14.25
102 ग्रामीण जल आपूर्ति			
(2)	97 वाह्य सहायतित योजनाएँ		
	मूल	17,50.00	
		12,55.14	5,00.00
	पुनर्वि०	(-)4,94.86	(-)7,55.14
प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 12 फरवरी 2018 को ₹ 4,94.86 लाख की कमी पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण की गई			
<i>02 मल-जल तथा सफाई</i>			
105 सफाई सेवाएं			
(3)	01 केन्द्रीय पुरोनिधानित/प्रायोजित योजनाएँ		
	मूल	2,30,00.00	
		2,80,00.00	1,85,09.18
	पूरक	50,00.00	(-)94,90.82
<b>4217 शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
<i>03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास</i>			
051 निर्माण			
(4)	01 केन्द्रीय पुरोनिधानित/प्रायोजित योजनाएँ		
	मूल	4,51.00	
		74,51.00	3,00.00
	पूरक	70,00.00	(-)71,51.00
(5)	04 नगरों का समेकित विकास		
	मूल	34,30.00	34,30.00
			25,35.90
			(-)8,94.10

**अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास समाप्त.**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
--------------------	------------	------------------	---------------------------------------

(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

**4215 जल आपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय**

01 जल आपूर्ति

101 शहरी जल आपूर्ति

(1) 04 अल्मोड़ा-सरयू-सेराघाट पम्पिंग पेयजल योजना

मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00
-----	---------	---------	------	------------

वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

**4217 शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय**

03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास

191 स्थानीय निकायों, निगमों आदि को सहायता

(2) 03 उच्च स्तरीय शौचालय का निर्माण

मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00
-----	---------	---------	------	------------

वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018) |

(xii) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**4215 जल आपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय**

01 जल आपूर्ति

102 ग्रामीण जल आपूर्ति

98 नाबार्ड वित्त पोषित

मूल	1,25,00.00			
-----	------------	--	--	--

	1,29,94.86	1,29,94.86	0.00	
--	------------	------------	------	--

पुनर्वि०	4,94.86			
----------	---------	--	--	--

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 12 फरवरी 2018 को ₹ 4,94.86 लाख की वृद्धि वृहद् निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

**अनुदान सं० 14 सूचना**

<b>मुख्य लेखा शीर्ष</b>	<b>कुल अनुदान</b>	<b>वास्तविक व्यय</b>	<b>आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में )</b>
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------------------------------------

**राजस्व:**

2220 सूचना तथा प्रसार			
दत्तमत-			
मूल	43,43,70		
		43,46,25	40,15,99
			(-)3,30,26
पूरक	2,55		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)			3,34,62

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 24,96,37 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

**पूंजीगत:**

4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
दत्तमत-			
मूल	1,20,00		
		8,26,66	8,76,19
			(+)49,53
पूरक	7,06,66		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)			47

**टिप्पणियां एवं टीकायें**

**राजस्व:**

**दत्तमत-**

- (i) ₹ 3,30.26 लाख की अंतिम बचत में से, ₹ 3,34.62 लाख के अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुए।
- (ii) ₹ 3,30.26 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 2.55 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

**(₹ लाख में)**

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2012-13	43,13.81	41,30.14	1,83.67
2013-14	49,28.36	48,12.04	1,16.32
2014-15	53,76.81	52,75.52	1,01.29
2015-16	44,93.10	42,74.32	2,18.78
2016-17	1,02,71.96	97,95.75	4,76.21

## अनुदान सं० 14 सूचना क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

## 2220 सूचना तथा प्रसार

01 फिल्म

105 फिल्मों का निर्माण

(1) 03 अधिष्ठान

मूल 4,92.57

3,36.53 3,36.79 (+)0.26

पुनर्वि० (-)1,56.04

दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 1,56.04 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किए गए।

(2) 06 फिल्म परिषद की स्थापना

मूल 50.00

16.02 16.02 0.00

पुनर्वि० (-)33.98

दिनांक 31 मार्च 2018 को उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1) तथा (2) पर अभ्यर्पण अन्य व्यय में बचत हुई बचत के कारण किए गए।

60 अन्य

102 सूचना केन्द्र

(3) 03 सूचना केन्द्र का अधिष्ठान

मूल 78.35

पूरक 0.50

68.75 68.75 0.00

पुनर्वि० (-)10.10

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 15 मार्च 2018 को ₹ 2.46 लाख की वृद्धि चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। यद्यपि दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 12.56 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन तथा महंगाई भत्ता में हुई बचत के कारण किए गए।

**अनुदान सं० 14 सूचना समाप्त.**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
--------------------	------------	------------------	---------------------------------------

800 अन्य व्यय			
(4) 03 स्वतन्त्रता तथा गणतन्त्र दिवस संबन्धी (उत्तराखण्ड सचिवालय को छोड़कर) उत्सवों आदि पर व्यय			
मूल	1,75.00		
		1,23.13	1,21.69
			(-)1.44
पुनर्वि०	(-)51.87		
प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 15 मार्च 2018 को ₹ 51.87 लाख की कमी अन्य व्यय में हुई बचत के कारण की गई			

**पूँजीगत:  
दत्तमत-**

- (v) ₹ 49.53 लाख के अंतिम आधिक्य में, ₹ 0.47 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुए |
- (vi) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत अनुभाग के अंतर्गत ₹ 49.53 लाख का व्ययाधिक्य है, व्ययाधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता है |
- (vii) ₹49.53 लाख के व्ययाधिक्य को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 7,06.66 लाख के अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुए |
- (viii) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय**

60 अन्य भवन

051 निर्माण

04 सूचना निदेशालय हेतु भवन निर्माण की व्यवस्था

मूल	0.00			
पूरक	6,92.00	6,91.53	7,41.53	(+50.00
पुनर्वि०	(-)0.47			

दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 0.47 लाख के अभ्यर्पण वृहद् निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किए गए | यद्यपि प्रावधान का अभ्यर्पण किया जाना तत्पश्चात अन्तिम आधिक्य का प्राप्त होना प्रावधान के त्रुटिपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है |

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018) |

**अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं**

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में )
------------------	------------	------------------	----------------------------------------

**राजस्व:**

2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण		
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		
2250	अन्य सामाजिक सेवाएँ		
2251	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं		

**दत्तमत-**

मूल	13,75,19,12		
		14,96,97,05	11,72,14,13 (-)3,24,82,92
पूरक	1,21,77,93		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)			1,04,64

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 90,00 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 6,05,99 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2017-18 की अवधि में हुई।

**पूँजीगत:**

4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय		
4235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय		
4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय		

**दत्तमत-**

मूल	64,55,44		
		64,55,44	20,54,03 (-)44,01,41
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)			...

अनुदान के पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 2,15,88 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2017-18 की अवधि में हुई।



अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- ₹ 3,24,82.92 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 1,04.64 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- ₹ 3,24,82.92 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 1,21,77.93 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2012-13	7,08,88.22	5,16,92.44	1,91,95.78
2013-14	7,92,79.64	6,14,68.21	1,78,11.43
2014-15	14,09,95.80	10,67,39.78	3,42,56.02
2015-16	14,89,12.59	10,92,23.98	3,96,88.61
2016-17	16,63,20.59	11,58,54.56	5,04,66.03

- बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण

01 अनुसूचित जातियों का कल्याण

001 निदेशन तथा प्रशासन

- 06 राज्य समाज कल्याण सलाहाकार बोर्ड (50 प्रतिशत के0पो0)

मूल	79.70	79.70	43.45	(-)36.25
-----	-------	-------	-------	----------

03 पिछड़े वर्गों का कल्याण

001 निदेशन तथा प्रशासन

- 04 उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन

मूल	86.00	84.00	42.89	(-)41.11
-----	-------	-------	-------	----------

पुनर्वि० (-)2.00

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 05 मार्च 2018 को ₹ 2.00 लाख की कमी किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व में हुई बचत के कारण की गई।

**अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
	102 आर्थिक विकास			
(3)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	10,00.00	10,00.00	6,51.84 (-)3,48.16
	277 शिक्षा			
(4)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं मूल	16,50.00	22,20.00	7,38.56 (-)14,81.44
	पूरक	5,70.00		
	800 अन्य व्यय			
(5)	06 अति पिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद का गठन मूल	13.50	13.50	0.77 (-)12.73
	<b>2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण</b>			
	02 समाज कल्याण			
	101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
(6)	01 विकलांगों के लिए विशेष सेवा योजना कार्यालय मूल	11.00	1,11.00	50.07 (-)60.93
	पूरक	1,00.00		
(7)	09 विकलांगों के लिए छात्रवृत्तियां/छात्र वेतन मूल	40.00	40.00	0.88 (-)39.12
(8)	16 प्रदेश में समस्त जिला मुख्यालयों पर जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र मूल	50.00	50.00	45.00 (-)5.00
(9)	19 शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृतिम अंग, श्रवण सहायक यंत्र आदि खरीदने के लिए सहायता मूल	20.00	20.00	13.36 (-)6.64
	102 बाल कल्याण			
(10)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	3,74,05.05	3,89,42.82	2,94,45.13 (-)94,97.69
	पूरक	15,37.77		

**अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(11)	03 परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बालविकास पोषाहार, पोषाहार हेतु ईधन, कच्चा माल आदि की व्यवस्था		
	मूल	64,00.00	
		79,28.00	69,89.54
	पूरक	15,28.00	(-)9,38.46
(12)	05 बाल कल्याण कोर्ट बोर्ड की स्थापना		
	मूल	41.22	
		41.72	17.75
	पुनर्वि०	0.50	(-)23.97
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 20 सितम्बर 2017 को ₹ 2.00 लाख की वृद्धि व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई   यद्यपि प्रावधान में वृद्धि किया जाना तत्पश्चात अन्तिम बचत का प्राप्त होना प्रावधान के त्रुटिपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है		
(13)	06 बाल कल्याण की विविध योजनायें		
	मूल	50.43	50.43
			42.61
			(-)7.82
(14)	07 संस्थाओं/गृहों का संचालन		
	मूल	7,34.50	
		7,19.08	6,28.20
	पुनर्वि०	(-)15.42	(-)90.88
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 19 मार्च 2018 को ₹ 15.42 लाख की कमी मजदूरी, मानदेय तथा भोजन व्यय में बचत के कारण की गई		
(15)	16 मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान योजना (100 प्रतिशत राज्य योजना)		
	मूल	2,00.00	2,00.00
			1,24.43
			(-)75.57
(16)	103 महिला कल्याण 03 महिलाओं के कार्यक्रमों के मूल्यांकन की योजना		
	मूल	10.30	
		5.82	0.38
	पुनर्वि०	(-)4.48	(-)5.44
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 16 फरवरी 2018 को ₹ 4.48 लाख की कमी वेतन में बचत के कारण की गई		

**अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(17)	10 राज्य महिला आयोग की स्थापना मूल 1,11.99 पूरक 2.25	1,14.24	68.64 (-45.60)
(18)	13 कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न, बाल विवाह एवं घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण मूल 50.00	50.00	30.16 (-19.84)
(19)	14 मानसिक रूप से विकृष्ट महिलाओं हेतु आवासीय गृह का संचालन मूल 89.31 पूरक 11.00 पुनर्वि० (-)22.63 प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर 2017 को ₹ 21.30 लाख, दिनांक 19 मार्च 2018 को ₹ 1.33 लाख की कमी अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण की गई	77.68	66.21 (-11.47)
(20)	16 विभिन्न विभागीय संस्थाओं से मुक्त किए एवं अंतर्वासियों के पुनर्वाव एवं प्रशिक्षण के लिए राज सहायता मूल 20.00	20.00	3.22 (-16.78)
(21)	18 कामकाजी महिला छात्रावासों पर स्टाफ की व्यवस्था मूल 25.00 पुनर्वि० (-)1.50 प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 15 मार्च 2018 को ₹ 1.50 लाख की कमी अन्य व्यय में हुई बचत के कारण की गई	23.50	12.04 (-11.46)
(22)	19 परिवीक्षा सेवा मुख्यालय मूल 57.93 पूरक 2.00 पुनर्वि० 4.48 प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 16 फरवरी 2018 को ₹ 4.48 लाख की वृद्धि वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई   यद्यपि प्रावधान में वृद्धि किया जाना तत्पश्चात अन्तिम बचत का प्राप्त होना प्रावधान के त्रुटिपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है	64.41	51.30 (-13.11)

**अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(23) 29 नन्दा गौरा योजना			
मूल	1,35,00.00		
		1,34,75.00	4,52.26 (-)1,30,22.74
पुनर्वि०	(-)25.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 15 मार्च 2018 को ₹ 25.00 लाख की कमी सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण की गई ।			
(24) 104 वृद्ध , अशक्त, दुर्बल तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण			
03 वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवास गृह			
मूल	30.84		
		25.49	19.44 (-)6.05
पुनर्वि०	(-)5.35		
प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2018 को ₹ 5.35 लाख की कमी किराया, उपशुल्क एवं कर-स्वामित्व, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, भोजन व्यय तथा अवकाश यात्रा व्यय में हुई बचत के कारण की गई ।			
(25) 04 भिक्षावृत्ति का निवारण			
मूल	69.22	69.22	61.22 (-)8.00
(26) 06 मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना			
मूल	7,50.00	7,50.00	6,05.99 (-)1,44.01
(27) 107 स्वैच्छिक संगठनों को सहायता			
06 अनाथों के दाह दफन हेतु स्वैच्छिक संघठनो/संस्थाओं को सहायता			
मूल	10.00	10.00	2.89 (-)7.11
(28) 200 अन्य कार्यक्रम			
09 समाज कल्याण योजनाएं अनुश्रवण समिति			
मूल	10.00	10.00	1.02 (-)8.98
(29) 60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
102 समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन			
01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं			
मूल	70,40.00	70,40.00	60,55.60 (-)9,84.40

**अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
200 अन्य कार्यक्रम			
(30) 03 सैनिक कल्याण मूल	31,50.24		
		32,25.94	28,65.43
			(-)3,60.51
	75.70		
(31) 08 राज्य आन्दोलनकारियों को उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा			
मूल	1,00.00		
		1,25.00	81.55
			(-)43.45
	25.00		
<b>2250 अन्य सामाजिक सेवाएँ</b>			
00			
800 अन्य व्यय			
(32) 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं			
मूल	8,18.01		
		8,17.84	1.20
			(-)8,16.64
	(-)0.17		
	दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 0.17 लाख का अभ्यर्पण सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किए गए		
(33) 03 प्रान्तीय हज समिति को अनुदान			
मूल	68.56		
		63.96	23.95
			(-)40.01
	(-)4.60		
	दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 4.60 लाख का अभ्यर्पण वेतन, महंगाई भत्ता तथा सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किए गए		
(34) 04 अल्प संख्यक आयोग का अधिष्ठान			
मूल	73.46		
		60.66	60.63
			(-)0.03
	(-)12.80		
	दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 12.80 लाख का अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल का क्रय, प्रचार, बिक्री तथा विख्यापन व्यय में हुई बचत के कारण किए गए		

**अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(35)	07 अरेबिया मदरसों को अनुदान मूल 75.00	64.10	64.10 0.00
	पुनर्वि० (-)10.90 दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 10.90 लाख का अभ्यर्पण वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किए गए ।		
(36)	08 अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम को विकास कार्यों के संचालन हेतु सहायता मूल 1,00.00	1,00.00	80.00 (-)20.00
(37)	09 पन्द्रह सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर व्यय मूल 20.00	18.45	5.06 (-)13.39
	पुनर्वि० (-)1.55 दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 1.55 लाख का अभ्यर्पण सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किए गए ।		
(38)	16 अल्प संख्यक समुदाय के कक्षा 1 से 10 के छात्रों को छात्रवृत्ति मूल 5,05.00	5,04.17	4,07.41 (-)96.76
	पुनर्वि० (-)0.83 दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 0.83 लाख का अभ्यर्पण छात्रवृत्ति एवं छात्र वेतन में हुई बचत के कारण किए गए ।		
(39)	20 अल्पसंख्यक विकास निधि मूल 3,00.00	3,00.00	2,20.77 (-)79.23
(40)	21 जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालयों का अधिष्ठान मूल 85.14 पूरक 61.34	1,25.94	1,25.10 (-)0.84
	पुनर्वि० (-)20.54 दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 20.54 लाख का अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते, व्ययावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान तथा मशीनें और सज्जा/ उपकरण और सयंत्र में हुई बचत के कारण किए गए ।		

**अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(41)	28 उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक हुनर परिषद् मूल 25.00	24.42	4.73 (-)19.69
	पुनर्वि० (-)0.58		
	दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 0.58 लाख का अभ्यर्पण सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किए गए		

**2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं**

00

092 अन्य कार्यालय

(42)	04 मृतक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के दाह संस्कार हेतु उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता मूल 7.00	7.00	1.50 (-)5.50
(43)	06 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान तथा अन्य सहायता मूल 10.04	13.00	5.43 (-)7.57
	पूरक 2.96		
(44)	07 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क सुविधा मूल 40.00		
	पूरक 2,00.00	1,46.41	53.90 (-)92.51
	पुनर्वि० (-)93.59		
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2018 को ₹ 93.59 लाख की कमी अन्य व्यय में हुई बचत के कारण की गई		

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018) |

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

**2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण**

03 पिछड़े वर्गों का कल्याण



**अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )		
<b>277 शिक्षा</b>					
(1)	02 शहीद उधमसिंह कम्बोज छात्रवृत्ति योजना हेतु कारपस फण्ड से स्थानांतरित मूल	5.00	5.00	0.00	(-)5.00
(2)	06 राजा सुहेल देव छात्रवृत्ति योजना हेतु कारपस फण्ड से स्थानांतरित मूल	5.00	5.00	0.00	(-)5.00
<b>800 अन्य व्यय</b>					
(3)	07 गोरखा कल्याण परिषद मूल	5.00	5.00	0.00	(-)5.00
(4)	09 बाबा साहेब फुले योजना मूल	5.00	5.00	0.00	(-)5.00
	वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।				
<b>2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण</b>					
<b>01 पुर्नवास</b>					
202 अन्य पुनर्वास योजनायें					
(5)	02 कश्मीरी विस्थापितों का पुनर्वास मूल	5.81	5.81	0.00	(-)5.81
<b>02 समाज कल्याण</b>					
101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण					
(6)	13 विकलांग जनों के लिए जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00
	वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।				
102 बाल कल्याण					
(7)	10 स्ट्रीट चिल्ड्रन हेतु गृह का संचालन मूल	20.00			
			0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)20.00			
	वर्ष 2011-12 से 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।				

**अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(8)	11 अनुपूरक पोषाहार का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (राज्य योजना)		
	मूल 10.00	10.00	0.00 (-)10.00
	वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		
	103 महिला कल्याण		
(9)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल 3,00.00	3,00.00	0.00 (-)3,00.00
(10)	17 महिलाओं को प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति		
	मूल 5.00	5.00	0.00 (-)5.00
	वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		
(11)	22 परित्यक्ता महिलाओं कि पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान		
	मूल 40.00	40.00	0.00 (-)40.00
(12)	26 राज्य महिला कल्याण सशक्तिकरण परिषद		
	मूल 38.06		
		27.06	0.00 (-)27.06
	पुनर्वि० (-)11.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 15 मार्च 2018 को ₹ 11.00 लाख की कमी सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण की गई ।		
(13)	30 पं० दीनदयाल सामाजिक सुरक्षा कोष		
	मूल 50.00	50.00	0.00 (-)50.00
	104 वृद्ध , अशक्त, दुर्बल तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण		
(14)	07 स्वेच्छिक संस्था के माध्यम से पार्षो में वृद्ध एवं अशक्त आश्रम का संचालक		
	मूल 5.00	5.00	0.00 (-)5.00
	वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		
	200 अन्य कार्यक्रम		

**अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(15)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 5,10.00 पूरक 12,00.00	17,10.00	0.00 (-)17,10.00
(16)	06 विकलांग शिक्षित बेरोजगारों के कौशल वृद्धि प्रशिक्षण योजना मूल 5.00	5.00	0.00 (-)5.00
(17)	11 माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार (समाज कल्याण) मूल 20.51	20.51	0.00 (-)20.51
800 अन्य व्यय			
(18)	14 वन अधिकार अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन मूल 11.00 वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे	11.00	0.00 (-)11.00
60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
(19)	102 समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन 07 पर्वतीय क्षेत्र में 60 वर्ष से ऊपर के निवासरत पुरोहितों हेतु पेंशन, योजना मूल 10.00 वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे	10.00	0.00 (-)10.00
(20)	08 डंगिरयो एवं जगरियों को मासिक पेंशन मूल 3,00.00	3,00.00	0.00 (-)3,00.00
110 अन्य बीमा योजनायें			
(21)	02 गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले परिवारों के लिए जनश्री बीमा योजना मूल 5,00.00	5,00.00	0.00 (-)5,00.00
200 अन्य कार्यक्रम			
(22)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 19.07	19.07	0.00 (-)19.07

**अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
<b>2250 अन्य सामाजिक सेवाएँ</b>			
	00		
	800 अन्य व्यय		
(23)	06 मदरसों हेतु विविध अनुदान		
	मूल	2,00.00	2,00.00
			0.00
			(-)2,00.00
	वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(24)	11 अल्प संख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों के कौशल वृद्धि हेतु प्रशिक्षण योजना		
	मूल	30.00	30.00
			0.00
			(-)30.00
	वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(25)	13 जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना		
	मूल	40.00	40.00
			0.00
			(-)40.00
	वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(26)	26 मुख्यमंत्री हुनर योजना का संचालक		
	मूल	1,50.00	1,50.00
			0.00
			(-)1,50.00
(27)	27 उत्तराखण्ड वक्फ विकास परिषद		
	मूल	25.00	
			6.81
			0.00
			(-)6.81
	पुनर्वि०	(-)18.19	
	वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(28)	29 वक्फ ट्रिब्यूनलों हेतु सहायता		
	मूल	10.00	10.00
			0.00
			(-)10.00
	वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		

**अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(29)	30 मुख्यमंत्री मुस्लिम छात्रों हेतु विशेष छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना मूल 50.00	50.00	0.00 (-)50.00
	वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(30)	31 अल्पसंख्यक छात्राओं हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना मूल 1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
	वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)		

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण**

*02 समाज कल्याण*

102 बाल कल्याण

(1)	15 निदेशालय हेतु अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था मूल 59.22			
	पूरक 19.13	90.85	84.39	(-)6.46
	पुनर्वि० 12.50			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 05 मार्च 2018 को ₹ 12.50 लाख की वृद्धि वेतन तथा महंगाई भत्ता के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			

103 महिला कल्याण

(2)	23 निर्भय योजना मूल 50.00			
	पूरक 5.00	80.00	66.63	(-)13.37
	पुनर्वि० 25.00			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 25 जनवरी 2018 को ₹ 25.00 लाख की वृद्धि अन्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			

**अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
107 स्वैच्छिक संगठनों को सहायता			
(3) 07 मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों/महिलाओं के लिए आवासीय गृहों के संचालन हेतु सहायता			
मूल	20.00		
		78.05	77.92 (-)0.13
पुनर्वि०	58.05		
प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर 2017 को ₹ 21.30 लाख तथा दिनांक 19 मार्च 2018 को ₹ 36.75 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
<i>60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम</i>			
107 स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना			
(4) 03 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों को पेंशन			
मूल	10,00.00		
पूरक	2,50.00	13,43.59	13,46.94 (+)3.35
पुनर्वि०	93.59		
प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 93.59 लाख की वृद्धि पेंशन/उपादान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
<b>2250 अन्य सामाजिक सेवाएँ</b>			
00			
800 अन्य व्यय			
(5) 18 अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय			
मूल	54.42		
पूरक	2.40	68.37	67.24 (-)1.13
पुनर्वि०	11.55		
प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर 2017 को ₹ 18.19 लाख की वृद्धि वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई   दिनांक 31 मार्च 2018 को 6.64 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए			
<b>2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं</b>			
00			
092 अन्य कार्यालय			

**अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(6)	05 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान तथा अन्य सहायता मूल	5.00	
		7.50	5.50 (-)2.00

पुनर्वि० 2.50  
प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 2.50 लाख की सहायक अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1 से 3) एवं (5 से 6) पर अंतिम बचत तथा क्रम संख्या (4) पर अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018) |

**पूजीगत:  
दत्तमत-**

- (vii) ₹ 44,01.41 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (viii) अनुदान के पूजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			व्यय	बचत
2012-13	26,35.52	22,81.53	3,53.99	
2013-14	32,55.62	25,80.28	6,75.34	
2014-15	1,57,03.85	82,75.02	74,28.83	
2015-16	56,56.07	17,43.61	39,12.46	
2016-17	36,28.07	18,61.58	17,66.49	

- (ix) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**4235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूजीगत परिव्यय**

*02 समाज कल्याण*

102 बाल कल्याण

(1)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	23,10.01	23,10.01	1,24.08	(-)21,85.93
(2)	06 महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास भवनों का निर्माण मूल	18.38	18.38	10.02	(-)8.36

**अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
103 महिला कल्याण			
(3) 10 कार्यशील महिला छात्रावास (राज्य योजना)			
मूल	2,00.00	2,00.00	1,18.67 (-)81.33
60 अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम			
200 अन्य कार्यक्रम			
(4) 03 सैनिक कल्याण			
मूल	2,42.00	2,42.00	1,34.08 (-)1,07.92
<b>4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
00			
800 अन्य व्यय			
(5) 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
मूल	21,00.00	21,00.00	13,31.72 (-)7,68.28
(6) 10 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी कार्य			
मूल	1,00.00	1,00.00	76.69 (-)23.31
(7) 11 कब्रिस्तान में चहारदीवारी का निर्माण			
मूल	10,00.00	10,00.00	2,08.77 (-)7,91.23

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

**4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय**

03 पिछड़ें वर्गों का कल्याण

190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

(1) 03 पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम हेतु अंश पूंजी

मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00
-----	-------	-------	------	----------

वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।



**अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
277 शिक्षा			
(2)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल 50.00	50.00	0.00 (-)50.00
	वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
<b>4235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
02 समाज कल्याण			
102 बाल कल्याण			
(3)	03 स्ट्रीट चिल्ड्रन हेतु गृह का निर्माण		
	मूल 1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
	वर्ष 2011-12 से 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(4)	04 10 वर्ष से अधिक आयु के किशोरों हेतु राज्यस्तरीय आश्रय गृहों का निर्माण		
	मूल 5.00	5.00	0.00 (-)5.00
	वर्ष 2010-11 से 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
103 महिला कल्याण			
(5)	06 किशोर न्याय (बालको का संरक्षण) अधिनियम 2000 के अन्तर्गत गृहों का निर्माण		
	मूल 40.00	40.00	0.00 (-)40.00
	वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(6)	09 18 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं/महिलाओं हेतु राज्यस्तरीय उत्तर रक्षा गृहों का निर्माण		
	मूल 50.00	50.00	0.00 (-)50.00
	वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		

**4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय**

00

**अनुदान सं० 15 कल्याण योजनाएं समाप्त.**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
800 अन्य व्यय			
(7) 07 बेरोजगार अल्पसंख्यक महिलाओं को सिलाई आदि का प्रशिक्षण			
मूल	30.00	30.00	0.00 (-)30.00
वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(8) 08 अल्प संख्यकों हेतु स्वरोजगार योजना			
मूल	1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(9) 12 वन अधिकार अधिनियम, 2006 का अधिनियम			
मूल	40.00	40.00	0.00 (-)40.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

**अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार**

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में )
------------------	------------	------------------	----------------------------------------

**राजस्व:**

2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

2230 श्रम एवं रोजगार

**दत्तमत-**

मूल	1,89,52,86		
		2,37,85,06	2,18,79,41
			(-)19,05,65
पूरक	48,32,20		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)			...

**पूंजीगत:**

4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय

**दत्तमत-**

मूल	14,25,00		
		14,25,00	10,71,22
			(-)3,53,78
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)			...

**टिप्पणियां एवं टीकायें**

**राजस्व:**

**दत्तमत-**

- (i) ₹ 19,05.65 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (ii) ₹ 19,05.65 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 48,32.20 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए |
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

**(₹ लाख में)**

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2012-13	1,12,98.14	76,52.90	36,45.24
2013-14	1,46,02.22	1,17,31.86	28,70.36
2014-15	2,09,58.57	1,51,38.26	58,20.31
2015-16	2,11,88.37	1,25,85.08	86,03.29
2016-17	2,19,73.67	1,47,36.92	72,36.75

**अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(iv)	बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:		
<b>2230 श्रम एवं रोजगार</b>			
<i>01 श्रम</i>			
101 औद्योगिक संबन्ध			
(1)	04 राज्य श्रम सलाहकार संविदा बोर्ड		
	मूल	37.61	37.61
			21.70
			(-)15.91
(2)	05 औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय का अधिष्ठान		
	मूल	1,96.05	
			2,21.05
			1,39.93
			(-)81.12
	पूरक	25.00	
(3)	102 कार्यो की परिस्थितियां तथा सुरक्षा		
	03 निरीक्षण अधिष्ठान		
	मूल	94.98	
			1,08.98
			89.86
			(-)19.12
	पूरक	14.00	
(4)	103 सामान्य श्रम कल्याण		
	03 श्रम कल्याण की विविध योजनायें/कल्याण केन्द्र		
	मूल	50.56	
			53.56
			44.90
			(-)8.66
	पूरक	3.00	
(5)	06 बाल श्रमिकों का चिन्हीकरण एवं पुर्नवास (50 प्रति शत)		
	मूल	7.00	7.00
			0.55
			(-)6.45
(6)	10 असंगठित क्षेत्र के श्रमिको का ऑनलाइन पंजीकरण/नवीनीकरण		
	मूल	25.00	25.00
			9.77
			(-)15.23
(7)	12 विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत आनलाइन पंजीकरण/नवीनीकरण		
	मूल	10.00	10.00
			3.28
			(-)6.72

**अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )		
	<i>02 रोजगार सेवाएं</i>				
	101 रोजगार सेवायें				
(8)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें				
	मूल	1,55.00	1,55.00	1,12.00	(-)43.00
(9)	03 शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों की स्थापना				
	मूल	1,75.89	1,75.89	1,41.91	(-)33.98
(10)	07 बेरोजगारी भत्ता				
	मूल	5,11.00	5,11.00	3.15	(-)5,07.85
	<i>03 प्रशिक्षण</i>				
	003 दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण				
(11)	07 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण				
	मूल	2,30.00	2,30.00	1,64.52	(-)65.48
(12)	08 औद्योगिक प्रशिक्षण सलाहकार समिति				
	मूल	12.10	12.10	2.27	(-)9.83

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

**2230 श्रम एवं रोजगार**

*01 श्रम*

103 सामान्य श्रम कल्याण

(1)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें				
	मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00
(2)	09 असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का सर्वेक्षण एवं चिन्हीकरण				
	मूल	15.00	15.00	0.00	(-)15.00

वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

**अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(3)	13 पं० दीनदयाल उपाध्याय सुरक्षा बीमा योजना मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00
(4)	14 बाल श्रम एवं किशोर श्रम पुनर्वास निधि मूल	9.00	9.00	0.00 (-)9.00
<i>02 रोजगार सेवाएं</i>				
004 शोध, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी				
(5)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल	38.50	38.50	0.00 (-)38.50

*03 प्रशिक्षण*

003 दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण				
(6)	09 नए व्यवसाय एवं अतिरिक्त यूनिट खोला जाना मूल	50.08	50.08	0.00 (-)50.08
वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे				

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018) |

(vi) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**2230 श्रम एवं रोजगार**

*03 प्रशिक्षण*

001 निदेशन तथा प्रशासन				
01 प्रशिक्षण एवं रोजगार संबन्धी अधिष्ठान				
	मूल	2,89.23		
	पूरक	32.20	3,57.43	3,40.33 (-)17.10
	पुनर्वि०	36.00		

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 23 मार्च 2018 को ₹ 36.00 लाख की वृद्धि वेतन, व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं और चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018) |

**अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार समाप्त.**

<b>क्रम. शीर्ष सं०</b>	<b>कुल अनुदान</b>	<b>वास्तविक व्यय</b>	<b>आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )</b>
------------------------	-------------------	----------------------	------------------------------------------------

**पूँजीगत:  
दत्तमत-**

- (vii) ₹ 3,53.78 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (viii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			व्यय	बचत
2012-13	6,80.00	6,37.10	42.90	
2013-14	5,00.00	3,46.14	1,53.86	
2014-15	74,60.00	41,32.86	33,27.14	
2015-16	15,60.00	14,70.64	89.36	
2016-17	14,24.64	12,88.71	1,35.93	

- (ix) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**4216 आवास पर पूँजीगत परिव्यय**

80 सामान्य

003 प्रशिक्षण

98 नाबार्ड पोषित

मूल 12,00.00 12,00.00 8,71.22 (-)3,28.78

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

- (x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

**4216 आवास पर पूँजीगत परिव्यय**

80 सामान्य

001 निदेशन तथा प्रशासन

03 श्रमायुक्त के अधीन आवासीय/अनावासीय भवन/भूमि क्रय

मूल 25.00 25.00 0.00 (-)25.00

वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

**अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान**

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में )
------------------	------------	------------------	----------------------------------------

**राजस्व:**

2401	फसल कृषि कर्म
2415	कृषि अनुसंधान

**दत्तमत-**

मूल	7,08,50,24			
		9,01,30,10	8,37,24,99	(-)64,05,11
पूरक	1,92,79,86			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)				42,03,23

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 93,00 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 24,86,11 हजार सम्मिलित है जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2017-18 की अवधि में हुई।

**पूंजीगत:**

4401	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय
6401	फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज

**दत्तमत-**

मूल	18,03,05			
		23,03,05	26,74,77	(+ )3,71,72
पूरक	5,00,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)				5,50,01

**टिप्पणियां एवं टीकार्यें**

**राजस्व:**

**दत्तमत-**

- (i) ₹ 64,05.11 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 42,03.23 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 64,05.11 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 1,92,79.86 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए।



**अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान क्रमशः...**

<b>क्रम. शीर्ष सं०</b>	<b>कुल अनुदान</b>	<b>वास्तविक व्यय</b>	<b>आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )</b>
------------------------	-------------------	----------------------	------------------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2012-13	4,16,25.70	2,84,42.94	1,31,82.76
2013-14	4,95,46.98	3,08,53.78	1,86,93.20
2014-15	5,58,47.55	4,67,38.96	91,08.59
2015-16	7,38,83.87	5,23,33.34	2,15,50.53
2016-17	8,93,88.30	6,41,85.78	2,52,02.52

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**2401 फसल कृषि कर्म**

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं

मूल	1,36,15.02			
पूरक	35,00.00	1,18,39.31	1,18,18.88	(-)20.43
पुनर्वि०	(-)52,75.71			

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 31 जुलाई 2017 को ₹ 69.67 लाख, दिनांक 18 अक्टूबर 2017 को ₹ 25,00.00 लाख, दिनांक 29 दिसम्बर 2017 को ₹ 2,35.57 लाख, दिनांक 16 फरवरी 2018 को ₹ 1,24.24 लाख, दिनांक 06 मार्च 2018 को ₹ 52.52 लाख, दिनांक 28 मार्च 2018 को ₹ 5,20.01 लाख, दिनांक 29 मार्च 2018 को ₹ 16,82.43 लाख, दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 86.75 लाख तथा अभ्यर्पण के द्वारा दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 17.02 लाख की कमी सहायक अनुदान तथा अन्य व्यय में हुई बचत के कारण किए गए। यद्यपि प्रावधान में प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा 29 मार्च 2018 को ₹ 12.50 लाख की वृद्धि अन्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

108 वाणिज्यिक फसलें

(2) 03 गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग का अधिष्ठान

मूल	17,79.49			
		19,55.52	5,89.96	(-)13,65.56
पूरक	1,76.03			

**अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(3)	11 अन्तग्रामीण सड़क निर्माण योजना के कार्मिकों के लम्बित देयकों का भुगतान		
	मूल	50.00	
		62.63	50.00 (-)12.63
	पूरक	12.63	
(4)	111 कृषि कर्म व्यवस्था तथा सांख्यिकी		
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं		
	मूल	54.21	
		47.39	36.08 (-)11.31
	पुनर्वि०	(-)6.82	
	दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 6.82 लाख के अभ्यर्पण का कारण निधि का उपयोग न होना बताया गया		
	114 तिलहन विकास		
(5)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं		
	मूल	1,00.00	
		29.83	16.96 (-)12.87
	पुनर्वि०	(-)70.17	
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 29 मार्च 2018 को ₹ 12.50 लाख, दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 37.47 लाख तथा अभ्यर्पण के द्वारा दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 20.20 लाख की कमी अन्य व्यय में हुई बचत तथा निधि की आवश्यकता न होने के कारण की गई		
<b>2415 कृषि अनुसंधान</b>			
80 सामान्य			
	120 अन्य संस्थाओं को सहायता		
(6)	13 पर्वतीय कृषि महाविद्यालय जखोली		
	मूल	90.00	
		71.00	71.00 0.00
	पुनर्वि०	(-)19.00	
	दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 19.00 लाख के अभ्यर्पण सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किए गए		

**अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(7)	14 पर्वतीय कृषि महाविद्यालय भराड़ीसैण 50.00	27.60	27.60 0.00
	पुनर्वि० (-)22.40 दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 22.40 लाख के अभ्यर्पण सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किए गए ।		
(8)	15 खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान डोईवाला मूल 70.00	52.00	52.00 0.00
	पुनर्वि० (-)18.00 दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 18.00 लाख के अभ्यर्पण सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किए गए ।		
(9)	20 भरसार विश्वविद्यालय के अंतर्गत माली ट्रेनिंग सेंटर, प्रतापनगर ( टिहरी) मूल 60.50	9.17	9.17 0.00
	पुनर्वि० (-)51.33 दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 51.33 लाख के अभ्यर्पण वेतन, भत्ते हेतु सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किए गए ।		
(10)	21 भरसार विश्वविद्यालय के जखिंडा (टिहरी) परिसर मूल 60.00	5.46	5.46 0.00
	पुनर्वि० (-)54.54 दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 54.54 लाख के अभ्यर्पण वेतन, भत्ते हेतु सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किए गए ।		
(11)	24 पुष्पबीज एवं प्रशिक्षण केन्द्र सेलाकुई मूल 12.00	4.00	4.00 0.00
	पुनर्वि० (-)8.00 दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 8.00 लाख के अभ्यर्पण वेतन, भत्ते हेतु सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किए गए ।		

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1) से (5) तक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

**अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(v)	दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:		
<b>2401 फसल कृषि कर्म</b>			
00			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(1)	10 माधव सिंह भंडारी कृषि सहभागिता योजना		
	मूल	5.00	5.00
			0.00
			(-)5.00
(2)	11 राज्यस्तरीय जलागम अनुश्रवण परिषद्		
	मूल	25.83	
			0.00
	पुनर्वि०	(-)25.83	
			0.00
(3)	12 राज्य किसान आयोग का गठन		
	मूल	10.00	10.00
			0.00
			(-)10.00
(4)	14 न्याय पंचायत स्तर पर फॉर्म मशीनरी बैंक की स्थापना		
	मूल	0.00	
			50.00
	पूरक	50.00	
			0.00
			(-)50.00
(5)	15 एकीकृत कृषि ग्राम योजना		
	मूल	0.00	
			50.00
	पूरक	50.00	
			0.00
			(-)50.00
(6)	102 खाद्यानों की फसलें		
	03 स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम		
	मूल	3,00.03	
			29.28
	पुनर्वि०	(-)2,70.75	
			0.00
			(-)29.28
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन के द्वारा दिनांक 29 नवम्बर 2017 को ₹ 2,65.00 लाख तथा दिनांक 29 मार्च 2018 को ₹ 5.75 लाख की कमी अन्य व्यय में हुई बचत के कारण की गई		

**अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (र लाख में )
108 वाणिज्यिक फसलें			
(7) 05 प्रदेश स्तरीय गन्ना विकास सलाहकार समिति			
मूल	20.00	20.00	0.00 (-)20.00
वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			
<b>2415 कृषि अनुसंधान</b>			
80 सामान्य			
120 अन्य संस्थाओं को सहायता			
(8) 05 पन्त नगर विश्वविद्यालय में बाह्य शोध केन्द्रों का निर्माण			
मूल	1,00.00		
		0.00	0.00
पुनर्वि०	(-)1,00.00		
वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			
(9) 08 कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर के सृष्टिकरण की विशिष्ट योजना			
मूल	55.00		
		0.00	0.00
पुनर्वि०	(-)55.00		
वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			
(10) 11 पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय कालसी (देहरादून)			
मूल	80.00		
		0.00	0.00
पुनर्वि०	(-)80.00		
वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			
(11) 12 पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय नारियाल गाँव (चम्पावत)			
मूल	80.00		
		0.00	0.00
पुनर्वि०	(-)80.00		
वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			

**अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(12)	16 पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, गोचर (चमोली) मूल 70.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)70.00		0.00
	वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		
(13)	17 पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, रुद्रप्रयाग मूल 70.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)70.00		0.00
	वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		
(14)	18 पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, गहड-खिसू (पोड़ी) मूल 70.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)70.00		0.00
	वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		
(15)	19 पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, नरेन्द्रनगर (टिहरी) मूल 70.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)70.00		0.00
	वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		
(16)	22 भरसार विश्वविद्यालय के अंतर्गत कृषि ज्ञान केन्द्र खिटटा (टिहरी) मूल 60.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)60.00		0.00
	वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।		

अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

2401 फसल कृषि कर्म

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1)	04 कृषि विभाग का सामान्य अधिष्ठान			
	मूल	1,09,21.01		

1,07,38.03      1,11,60.82      (+)4,22.79

पुनर्वि० (-)1,82.98

दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 1,82.98 लाख के अभ्यर्पण का कारण निधि का उपयोग न होना बताया गया | यद्यपि प्रावधान में कमी किया जाना तत्पश्चात अन्तिम बचत का प्राप्त होना प्रावधान के त्रुटिपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है |

(2) 05 कृषि निवेश भण्डारो प्रक्षेत्रों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढीकरण

मूल 4,08.03

6,62.14      6,79.13      (+)16.99

पुनर्वि० 2,54.11

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 22 मार्च 2018 को ₹ 2,65.00 लाख की वृद्धि व्ययावसायिक एवं विशेष सेवाओं, किराया एवं कर तथा स्वामित्व-कर हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई | दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 10.89 लाख के अभ्यर्पण व्ययावसायिक एवं विशेष सेवाओं, किराया एवं कर तथा स्वामित्व-कर में हुई बचत के कारण किए गए | यद्यपि प्रावधान का अभ्यर्पण किया जाना तत्पश्चात अन्तिम आधिक्य का प्राप्त होना प्रावधान के त्रुटिपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है |

102 खाद्यानों की फसलें

(3) 06 जैविक मंडुवा उत्पाद कार्यक्रम

मूल 50.02

53.77      53.75      (-)0.02

पुनर्वि० 3.75

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 29 मार्च 2018 को ₹ 5.75 लाख की वृद्धि अन्य व्यय तथा सब्सिडी हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई | यद्यपि दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 2.00 लाख का अभ्यर्पण सब्सिडी में हुई बचत के कारण किए गए |

**अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
103 बीज			
(4) 03 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र मूल	37.21		
		37.16	47.33 (+)10.17
पुनर्वि०	(-)0.05		
दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 0.05 लाख का अभ्यर्पण सामग्री एवं सम्पूर्ति में हुई बचत के कारण किए गए   यद्यपि प्रावधान का अभ्यर्पण किया जाना तत्पश्चात अन्तिम बचत का प्राप्त होना प्रावधान के त्रुटिपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है			
108 वाणिज्यिक फसलें			
(5) 08 अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान मूल	55,00.00		
पूरक	95,00.00	1,75,00.00	1,64,53.53 (-)10,46.47
पुनर्वि०	25,00.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 18 अक्टूबर 2017 को ₹ 25,00.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई			
109 विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण			
(6) 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल	10,60.00		
		36,12.78	36,44.10 (+)31.32
पुनर्वि०	25,52.78		
प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर 2017 को ₹ 2,35.57 लाख, दिनांक 31 जुलाई 2017 को ₹ 69.67 लाख, दिनांक 06 मार्च 2018 को ₹ 52.52 लाख, दिनांक 16 फरवरी 2018 को ₹ 1,24.24 लाख, दिनांक 28 मार्च 2017 को ₹ 3,89.82 लाख, दिनांक 29 मार्च 2018 को ₹ 16,82.43 लाख तथा 31 मार्च 2018 को ₹ 1,24.22 लाख की वृद्धि कृषि उन्नति योजना हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई   यद्यपि दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 1,25.69 लाख का अभ्यर्पण सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किए गए			



**अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

110 फसल बीमा			
(7) 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
मूल	1,00.00		
		2,30.19	0.00

पुनर्वि० 1,30.19

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 28 मार्च 2017 को ₹ 1,30.19 लाख की वृद्धि अन्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1, 2, 4) तथा (6) पर अंतिम आधिक्य तथा क्रम संख्या (3) तथा (5) पर अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018) |

**पूँजीगत:  
दत्तमत-**

- (vii) ₹ 3,71.72 लाख की अंतिम आधिक्य में, ₹ 5,50.01 लाख के अभ्यर्षण अवास्तविक सिद्ध हुए |
- (viii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत अनुभाग के अंतर्गत ₹ 3,71.72 लाख का व्ययाधिक्य है | यदि इस अनुदान के अंतर्गत प्राप्त ₹ 24,92.13 लाख की वसूली को लेखे में सम्मिलित कर लिया जाए, तब आधिक्य नहीं होंगे |
- (ix) ₹ 3,71.72 लाख के व्ययाधिक्य को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 5,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुए |
- (x) बिना प्रावधान के व्यय निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**4401 फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय**

00

103 बीज

(1) 03 खाद्य/दलहन/तिलहन/बीज की लागत प्रासंगिक व्यय सहित				
मूल	0.00	0.00	10,91.77	(+)10,91.77

107 वनस्पति संरक्षण

(2) 03 कीटनाशक औषधियों की खरीद एवं माइक्रो न्यूट्रिमेंट की लागत जिसमें प्रासंगिक व्यय सम्मिलित है				
मूल	0.00	0.00	7,50.00	(+)7,50.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत ₹ 24,92.13 लाख की वसूली प्राप्त हुई है |

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत बिना प्रावधान के व्यय के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018) |

**अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(xi)	दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:		
	<b>4401 फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय</b>		
	00		
	108 वाणिज्यिक फसलें		
(1)	03 गन्ना विकास विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण		
	मूल	10.00	10.00
		0.00	0.00
		0.00	(-)10.00
	वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(2)	05 सार्वजनिक / सहकारी चीनी मिलों में जल और वायु प्रदूषण प्रतिरोधी संयंत्र की स्थापना		
	मूल	1,00.00	1,00.00
		0.00	0.00
		0.00	(-)1,00.00
	वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
	800 अन्य व्यय		
(3)	07 पन्तनगर विश्वविद्यालय में बालिका छात्रवासों का निर्माण		
	मूल	50.00	50.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)50.00	(-)50.00
	वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(4)	08 गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्व विद्यालय, पंतनगर के लिए विशेष अनुदान		
	मूल	5,00.00	5,00.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)5,00.00	(-)5,00.00
	वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(5)	09 सरुल सेंटर आफ एक्सीलेंस		
	मूल	10.00	10.00
		0.00	0.00
		0.00	(-)10.00
	वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		

**अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान समाप्त.**

<b>क्रम. शीर्ष सं०</b>	<b>कुल अनुदान</b>	<b>वास्तविक व्यय</b>	<b>आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )</b>
(6) 98 नाबार्ड पोषित मूल	8,00.00	8,00.00	0.00 (-)8,00.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

**अनुदान सं० 18 सहकारिता**

<b>मुख्य लेखा शीर्ष</b>	<b>कुल अनुदान</b>	<b>वास्तविक व्यय</b>	<b>आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में )</b>
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------------------------------------

**राजस्व:**

2425 सहकारिता

**दत्तमत-**

मूल	37,40,13			
		62,06,50	59,22,34	(-),2,84,16
पूरक	24,66,37			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)				...

**पूंजीगत:**

4425 सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय

6425 सहकारिता के लिए कर्ज

**दत्तमत-**

मूल	6,25,00			
		6,25,00	1,55,91	(-),4,69,09
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)				...

**टिप्पणियां एवं टीकायें**

**राजस्व:**

**दत्तमत-**

- (i) ₹ 2,84.16 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (ii) ₹ 2,84.16 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 24,66.37 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए |
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

**(₹ लाख में)**

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2012-13	38,32.17	32,29.16	6,03.01
2013-14	44,30.52	35,77.35	8,53.17
2014-15	46,87.97	38,94.62	7,93.35
2015-16	45,27.81	38,67.72	6,60.09
2016-17	49,91.91	33,22.76	16,69.15

## अनुदान सं० 18 सहकारिता क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)		
(iv)	बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:				
	<b>2425 सहकारिता</b>				
	00				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
(1)	05 सहकारिता न्यायधिकरण				
	मूल	1,00.62	1,00.62	57.74	(-)42.88
(2)	06 सहकारिता निर्वाचन प्राधिकरण				
	मूल	42.20			
			72.27	54.96	(-)17.31
	पूरक	30.07			
(3)	107 क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता				
	02 पैक्स मिनी बैंकों में जमा निक्षेप गारंटी योजना				
	मूल	40.00	40.00	29.45	(-)10.55
(4)	800 अन्य व्यय				
	04 एकीकृत सहकारी विकास परियोजना हेतु अनुदान (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पोषित)				
	मूल	2,60.00	2,60.00	1,21.93	(-)1,38.07
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।				
(v)	दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:				
	<b>2425 सहकारिता</b>				
	00				
	800 अन्य व्यय				
(1)	28 उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी कल्याण निगम				
	मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00
(2)	30 सहकारी संस्थागत सेवामण्डल हेतु अनुदान				
	मूल	15.00	15.00	0.00	(-)15.00
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।				

**अनुदान सं० 18 सहकारिता समाप्त.**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

**पूँजीगत:  
दत्तमत-**

- (vi) ₹ 4,69.09 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (vii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**4425 सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय**

00

200 अन्य निवेश

- (1) 03 समितियों की अंश पूँजी में विनियोजन (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम)  
मूल 3,00.00 3,00.00 1,12.16 (-)1,87.84

**6425 सहकारिता के लिए कर्ज**

00

800 अन्य कर्ज

- (2) 04 एकीकृत सहकारी विकास योजना के अन्तर्गत ऋण (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पोषित)  
मूल 2,75.00 2,75.00 43.75 (-)2,31.25

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018) |

- (viii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

**6425 सहकारिता के लिए कर्ज**

00

800 अन्य कर्ज

05 पैक्स संस्थाओं को बहुधन्धी बनाने हेतु ऋण

मूल 50.00 50.00 0.00 (-)50.00

वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018) |

**अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास**

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में )
------------------	------------	------------------	----------------------------------------

**राजस्व:**

2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम
2505	ग्रामीण रोजगार
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

**दत्तमत-**

मूल	11,75,12,67			
		12,12,25,33	6,54,43,91	(-)5,57,81,42
पूरक	37,12,66			
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)			52,49

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 2,63 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2017-18 की अवधि में हुई |

**पूंजीगत:**

4515	अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय
------	---------------------------------------------------

**दत्तमत-**

मूल	9,72,50,36			
		11,83,16,27	11,28,00,04	(-)55,16,23
पूरक	2,10,65,91			
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)			...

**टिप्पणियां एवं टीकार्यें**

**राजस्व:**

**दत्तमत-**

- (i) ₹ 5,57,81.42 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 52.49 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके |
- (ii) ₹ 5,57,81.42 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 37,12.66 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |

**अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...**

<b>क्रम. शीर्ष सं०</b>	<b>कुल अनुदान</b>	<b>वास्तविक व्यय</b>	<b>आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )</b>
------------------------	-------------------	----------------------	------------------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)			
वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2012-13	3,89,51.67	2,56,51.69	1,32,99.98
2013-14	4,92,35.35	3,13,12.90	1,79,22.45
2014-15	12,72,86.10	6,21,39.97	6,51,46.13
2015-16	9,07,10.29	7,80,13.98	1,26,96.31
2016-17	11,17,99.42	6,32,34.26	4,85,65.16

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम**

01 समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम

003 प्रशिक्षण

(1) 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं

मूल	30,00.00	30,00.00	11,08.91	(-)18,91.09
-----	----------	----------	----------	-------------

(2) 02 पं० दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना

मूल	1,00.00	1,00.00	20.06	(-)79.94
-----	---------	---------	-------	----------

800 अन्य व्यय

(3) 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं

मूल	2,40,06.34	2,40,06.34	20,47.99	(-)2,19,58.35
-----	------------	------------	----------	---------------

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 11,68,392 भी सम्मिलित है ।

**2505 ग्रामीण रोजगार**

02 ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

101 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

(4) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं

मूल	4,50,00.00	4,50,00.00	2,15,74.07	(-)2,34,25.93
-----	------------	------------	------------	---------------

**2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम**

00

001 निदेशन तथा प्रशासन



## अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(5)	04 पंचायती राज निदेशालय अधिष्ठान मूल	1,27.98		
			1,55.08	1,28.98
	पूरक	27.10		(-)26.10
(6)	06 ग्रामीण सड़के एवं ड्रेनेज मूल	76.69	76.69	48.94
				(-)27.75
	003 प्रशिक्षण			
(7)	04 उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रम मूल	40.00	40.00	13.33
				(-)26.67
	101 पंचायती राज			
(8)	17 वन पंचायत मूल	38.45	38.45	15.40
				(-)23.05
(9)	18 पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ मूल	20.83		
			37.32	19.59
	पूरक	16.49		(-)17.73
	102 सामुदायिक विकास			
(10)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	1,50.01	1,50.01	40.00
				(-)1,10.01
(11)	18 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अनुश्रवण हेतु राज्यस्तरीय प्रकोष्ठ की स्थापना मूल	39.47		
			46.59	37.12
	पूरक	7.12		(-)9.47
(12)	28 इंदिरा अम्मा भोजनालय के अंतर्गत सब्सिडी का भुगतान मूल	5,00.00	5,00.00	2,76.26
				(-)2,23.74

**अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(13)	34 ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग मूल 0.00	50.00	34.75 (-)15.25
	पूरक 50.00		
	800 अन्य व्यय		
(14)	07 राज्य निर्वाचन आयोग जिला स्तरीय मूल 0.00	29,85.68	2.63 (-)29,83.05
	पूरक 29,85.68		
(15)	08 ग्रामीण स्थानीय निकायों को प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण पर वेतन आदि के लिए व्यवस्था मूल 16,82.93	16,82.93	1,18.37 (-)15,64.56
(16)	13 स्वयं सहायता समूहों हेतु क्रियाशील पूंजी मूल 5,50.00	5,50.00	20.00 (-)5,30.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

**2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम**

02 सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम

800 अन्य व्यय

(1)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 1,00.01	1,00.01	0.00 (-)1,00.01
-----	-----------------------------------------------------------------------	---------	-----------------

**2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम**

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(2)	07 अंतर ग्रामीण सड़क निर्माण के अंतर्गत कार्यरत कार्मिकों को भुगतान मूल 90.00	90.00	0.00 (-)90.00
-----	----------------------------------------------------------------------------------	-------	---------------

**अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
102 सामुदायिक विकास			
(3) 07 राज्य ऋण सह अनुदान ग्रामीण आवास योजना			
मूल	1,20.00	1,20.00	0.00 (-)1,20.00
वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			
(4) 12 दीनदयाल उत्तराखण्ड ग्रामीण आवास योजना			
मूल	1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			
(5) 27 प्रक्षेत्र विकास एवं प्रबंधन विभाग			
मूल	1,00.00		
		1,00.01	0.00 (-)1,00.01
पूरक	0.01		
वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			
(6) 30 ग्रामश्री योजनान्तर्गत पुरस्कारो का वितरण			
मूल	1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
(7) 35 मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना			
मूल	0.00		
		10.00	0.00 (-)10.00
पूरक	10.00		
800 अन्य व्यय			
(8) 09 ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुश्रवण परिषद की स्थापना			
मूल	20.40	20.40	0.00 (-)20.40
(9) 10 सीमांत क्षेत्र विकास अनुश्रवण परिषद			
मूल	23.72	23.72	0.00 (-)23.72
वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			

**अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(10) 12 राठ विकास अभिकरण			
मूल	20.00	20.00	0.00
			(-)20.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

(vi) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम**

00

102 सामुदायिक विकास

26 डी0आर0डी0ए0 प्रकोष्ठ

मूल 19.61

26.42

24.23

(-)2.19

पुनर्वि० 6.81

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 11 जनवरी 2018 को ₹ 6.81 लाख की वृद्धि वेतन, महंगाई भत्ते तथा अन्य भत्ते के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

**पूँजीगत:**

**दत्तमत-**

- (vii) ₹ 55,16.23 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (viii) ₹ 55,16.23 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 2,10,65.91 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए।
- (ix) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2012-13	3,12,36.01	1,79,81.42	1,32,54.59
2013-14	3,00,68.50	2,37,86.55	62,81.95
2014-15	8,23,44.76	6,03,81.72	2,19,63.04
2015-16	7,86,11.27	7,34,31.39	51,79.88
2016-17	7,72,10.37	7,01,84.66	70,25.71

**अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**4515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय**

00

102 सामुदायिक विकास

(1)	05 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आधिक्य व्यय का भुगतान मूल	10,00.00	10,00.00	1,34.75	(-)8,65.25
(2)	97 आइफेड् वाहय सहायतित योजना मूल	25,00.00	25,00.00	5,00.00	(-)20,00.00
(3)	98 नाबार्ड पोषित मूल	40,00.00	40,00.00	25,00.00	(-)15,00.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

**4515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय**

00

102 सामुदायिक विकास

(1)	04 प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए आवासीय/ अनावासीय भवनों का निर्माण मूल	40.00	40.00	0.00	(-)40.00
वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।					
(2)	09 उत्तराखण्ड सीमान्त एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि मूल	2,00.00	2,00.00	0.00	(-)2,00.00
वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।					
(3)	10 पिछड़े क्षेत्र का विकास मूल	70.00	70.00	0.00	(-)70.00

**अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास समाप्त.**

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(4)	11 ग्राम्य तालाबों का निर्माण एवं विकास मूल	70.00	70.00	0.00 (-)70.00
(5)	12 मेरा गाँव मेरी सड़क मूल	5,00.00	5,00.00	0.00 (-)5,00.00
(6)	15 उत्तराखंड ग्रामीण सड़क विकास अधिकरण के कार्यालय भवन का निर्माण मूल	2,00.00	2,00.00	0.00 (-)2,00.00
(7)	16 कारपस फण्ड मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

(xii) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**4515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय**

00

102 सामुदायिक विकास

03 प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत भूमि अधिग्रहण/एन.पी.बी. का भुगतान

मूल	30,00.00	30,00.00	30,14.84	(+)14.84
-----	----------	----------	----------	----------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

**अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़**

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में )
------------------	------------	------------------	----------------------------------------

**राजस्व:**

2700	मुख्य सिंचाई
2701	मध्यम सिंचाई
2702	लघु सिंचाई
2711	बाढ़ नियन्त्रण तथा जल विकास

**दत्तमत-**

मूल	4,40,65,66			
		4,44,19,71	4,07,61,96	(-)36,57,75
पूरक	3,54,05			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)				...

**पूँजीगत:**

4700	मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय
4701	मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय
4702	लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय
4711	बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय

**दत्तमत-**

मूल	2,84,98,02			
		2,92,18,02	3,37,88,30	(+ )45,70,28
पूरक	7,20,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)				...

अनुदान के पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 13,50,20 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

**टिप्पणियां एवं टीकार्यें**

**राजस्व:**

**दत्तमत-**

- (i) ₹ 36,57.75 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 36,57.75 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 3,54.05 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

**अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			व्यय	बचत
2012-13	3,46,88.55	3,15,43.44	31,45.11	
2013-14	3,63,34.52	3,26,86.49	36,48.03	
2014-15	4,25,38.62	3,61,98.14	63,40.48	
2015-16	4,09,01.64	3,59,44.86	49,56.78	
2016-17	4,61,65.46	3,61,08.45	1,00,57.01	

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**2700 मुख्य सिंचाई**

00

001 निर्देशन एवं प्रशासन

(1) 05 दैनिक वेतन भोगियों एवं कार्यशालाओं के कर्मिकों हेतु कार्यकारी अधिष्ठान (सिंचाई विभाग के कार्यप्रभारितों) हेतु एकमुश्त व्यवस्था

मूल	10,00.00	10,00.00	1,76.75	(-)8,23.25
-----	----------	----------	---------	------------

(2) 09 प्रमुख अभियन्ता की रक्षित धनराशि

मूल	22.50	22.50	14.83	(-)7.67
-----	-------	-------	-------	---------

(3) 11 उत्तराखण्ड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एवं रेगुलेटरी कमीशन एवं प्रबंधन आयोग

मूल	1,00.75	1,00.75	1.54	(-)99.21
-----	---------	---------	------	----------

80 सामान्य

005 सर्वेक्षण तथा अन्वेषण

(4) 02 डीपीआर निर्माण

मूल	1,50.00	1,50.00	18.32	(-)1,31.68
-----	---------	---------	-------	------------

**2701 मध्यम सिंचाई**

80 सामान्य

800 अन्य व्यय

(5) 05 प्रमुख अभियन्ता की रक्षित धनराशि

मूल	8.00	8.00	2.67	(-)5.33
-----	------	------	------	---------

**2702 लघु सिंचाई**



**अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

80 सामान्य

005 अन्वेषण

(6)	02 रेशनलाईजेशन ऑफ़ माइनर इरिगेशन			
	मूल	1,51.26	1,51.26	65.04
				(-)86.22

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

**2700 मुख्य सिंचाई**

00

001 निर्देशन एवं प्रशासन

(1)	08 सिंचाई सलाहकार समिति का अधिष्ठान			
	मूल	7.95	7.95	0.00
				(-)7.95

**2702 लघु सिंचाई**

02 भूजल

005 अन्वेषण

(2)	05 लघु सिंचाई सलाहकार समिति			
	मूल	12.56	12.56	0.00
				(-)12.56

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**2700 मुख्य सिंचाई**

00

001 निर्देशन एवं प्रशासन

(1)	03 निदेशन			
	मूल	36,65.37		
	पूरक	2,00.00	43,38.37	38,87.35
	पुनर्वि०	4,73.00		(-)4,51.02

प्रावधान में पुनर्विनियोजन के द्वारा दिनांक 29 जनवरी 2018 को ₹ 4,73.00 लाख की वृद्धि अवस्थापना व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता और स्थानांतरण यात्रा भत्ता हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

## अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

**2701 मध्यम सिंचाई**

13 अन्य सिंचाई योजनायें

101 रख-रखाव और मरम्मत

(2) 02 अन्य रख-रखाव व्यय

मूल	2,80.00	2,80.00	3,47.98	(+)67.98
-----	---------	---------	---------	----------

15 आवासीय एवं अनावासीय भवनों का अनुरक्षण

101 रखरखाव और मरम्मत

(3) 02 अन्य रख रखाव व्यय

मूल	25.00	25.00	1,00.47	(+)75.47
-----	-------	-------	---------	----------

**2702 लघु सिंचाई**

03 रख-रखाव

102 लिफ्ट -सिंचाई योजनाएं

(4) 03 अनुरक्षण कार्य

मूल	7,50.00	7,50.00	7,54.68	(+)4.68
-----	---------	---------	---------	---------

103 नलकूप

(5) 03 अनुरक्षण कार्य

मूल	42,00.00	42,00.00	42,03.09	(+)3.09
-----	----------	----------	----------	---------

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

(vii) बिना प्रावधान के व्यय निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुए।

**2701 मध्यम सिंचाई**

80 सामान्य

799 उचन्त

(1) 03 भन्डार

मूल	0.00	0.00	5.58	(+)5.58
-----	------	------	------	---------

(2) 04 विविध निर्माण कार्य अग्रिम

मूल	0.00	0.00	1.91	(+)1.91
-----	------	------	------	---------

### अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

#### (viii) उचन्त लेन-देन "उचन्त"

लघु शीर्ष "उचन्त" अंतिम लेखा शीर्ष नहीं है। लेन-देन पूरे समझे जाने तथा अंतिम रूप से लेखे में दर्ज किए जाने से पूर्व जहाँ और अदायगियाँ या मूल्य के समायोजन आवश्यक होते हैं वहाँ अन्तरिम लेन-देन इसके अंतर्गत होते हैं। तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत जो लेन-देन अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हो पाते वे वर्षानुवर्ष आगे ले जाते हैं। उचन्त के तीन प्रभाग होते हैं, अर्थात् (1) स्टॉक (2) विविध निर्माण कार्य पेशगियाँ और (3) वर्कशॉप उचन्त।

उचन्त लेन-देनों की प्रकृति और उनकी लेखा पद्धति नीचे दी जा रही है:-

(1) **स्टॉक-** इस शीर्ष में उस सामग्री को मुख्य नामे डाला जाता है जो स्टॉक के लिए प्राप्त होती है, किसी विशिष्ट कार्य के लिए नहीं। इसमें उस सामग्री का मूल्य जमा कर दिया जाता है जो निर्माण कार्य के लिए दे दी जाती है या बेच दी जाती है या अन्य मण्डलों को अन्तरित कर दी जाती है। अतः यह शीर्ष नामे शेष दिखलायेगा जो स्टॉक में रखी गयी सामग्री खाता मूल्य तथा सामग्री के निर्माण से सम्बंधित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, का सूचक होगा।

(2) **विविध निर्माण कार्य-पेशगियाँ-** इस शीर्ष में उधार बेची गयी सामग्री के मूल्य, जमा राशि निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमाराशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गयी नकद या सामग्री की हानि, सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशि का सूचक है।

(3) **वर्कशॉप उचन्त-** विभागीय वर्कशॉपों में किए गए कार्यों या अन्य कार्य प्रचलनों के प्रभार उनकी वसूली या उसके समायोजन हो जाने तक इस शीर्ष में नामे डाले जाते हैं। 2017-18 तक की अवधि के सिंचाई विभाग के राजस्व प्रभाग के उचन्त लेन-देन का विश्लेषण और आदि तथा अंत शेष का ब्यौरा परिशिष्ट-III में दिया गया है।

#### पूंजीगत:

#### दत्तमत-

(ix) पूंजीगत दत्तमत अनुदान में ₹ 45,70.28 लाख का व्ययाधिक्य है। आधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता है। यदि इस अनुदान के अंतर्गत प्राप्त ₹ 31,04.36 लाख की वसूली को लेखे में सम्मिलित कर लिया जाए, तब भी ₹ 14,65.92 लाख के व्ययाधिक्य है।

(x) ₹ 45,70.28 लाख की अंतिम आधिक्य को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 7,20.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुए।

**अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...**

<b>क्रम. शीर्ष सं०</b>	<b>कुल अनुदान</b>	<b>वास्तविक व्यय</b>	<b>आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )</b>
------------------------	-------------------	----------------------	------------------------------------------------

(xi) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

		<b>(₹ लाख में)</b>	
वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2012-13	6,94,28.21	4,38,01.46	2,56,26.75
2013-14	11,00,95.90	4,91,65.88	6,09,30.02
2014-15	10,23,92.07	7,76,05.69	2,47,46.38
2015-16	11,32,02.00	7,34,43.45	3,97,58.55
2016-17	7,72,68.09	4,76,40.56	2,96,27.53

(xii) बिना बजट प्रावधान के व्यय निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई |

**4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय**

*04 नलकूपों का निर्माण*

800 अन्य व्यय

(1)	02 अन्य रख रखाव व्यय				
	मूल	0.00	0.00	19,75.71	(+)19,75.71

*05 सिंचाई विभाग की नई योजनाएं*

800 अन्य व्यय

(2)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	0.00	0.00	0.10	(+)0.10

*06 निर्माणाधीन सिंचाई नहरें*

800 अन्य व्यय

(3)	02 अन्य रख रखाव व्यय				
	मूल	0.00	0.00	8,77.89	(+)8,77.89

*11 उच्चन्त*

799 उच्चन्त

(4)	03 भण्डार				
	मूल	0.00	0.00	29,94.07	(+)29,94.07

उक्त शीर्ष के अंतर्गत ₹ 29,45.65 लाख की वसूली प्राप्त हुई है |

(5)	04 विविध कार्यों हेतु अग्रिम राशि				
	मूल	0.00	0.00	39.37	(+)39.37

उक्त शीर्ष के अंतर्गत ₹ 16.75 लाख की वसूली प्राप्त हुई है |

**अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

**4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय**

00

800 अन्य व्यय

(6)	91 उच्चत-उच्चत से निर्माण कार्यो को सामग्री का निर्गमन			
	मूल	0.00	0.00	90.73
	उक्त शीर्ष के अंतर्गत ₹ 1,39.12 लाख की वसूली प्राप्त हुई है			(+)90.73

**4711 बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय**

01 बाढ़ नियंत्रण

103 सिविल निर्माण कार्य

(7)	02 अनुसूचित जनजाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	0.00	0.00	30.68
				(+)30.68

(8)	04 नाबार्ड द्वारा प्रायोजित आपातकालीन कार्य			
	मूल	0.00	0.00	28,86.74
				(+)28,86.74

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत निधि के प्रावधान के बिना व्यय के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018) |

(xiii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय**

06 निर्माणाधीन सिंचाई नहरें

051 निर्माण

(1)	02 अन्य रख रखाव व्यय			
	मूल	40.00	40.00	1,68.02
				(+)1,28.02

15 टिहरी बांध परियोजना का पुनर्वास

051 निर्माण

(2)	02 अन्य रख रखाव व्यय			
	मूल	2,00.00		
			4,04.00	4,04.00
				0.00

पुनर्वि० 2,04.00

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 19 मार्च 2018 को ₹ 2,04.00 लाख की वृद्धि वृहद् निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

**अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
<b>4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
00			
052 मशीनरी तथा उपकरण			
(3) 03 नवीन आपूर्ति			
मूल	10.00	10.00	19.40 (+)9.40
<b>4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
01 बाढ़ नियंत्रण			
103 सिविल निर्माण कार्य			
(4) 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
मूल	0.01	0.01	70,08.40 (+)70,08.39
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।			
(xiv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:			
<b>4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
03 सिंचाई विभाग की विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत देय डिक्रीकल राशियों के			
051 निर्माण			
(1) 02 अन्य रख रखाव व्यय			
मूल	50.00	50.00	42.61 (-)7.39
04 नलकूपों का निर्माण			
051 निर्माण			
(2) 02 अन्य रख रखाव व्यय			
मूल	50.00	50.00	21.49 (-)28.51
(3) 98 नाबार्ड पोषित			
मूल	45,00.00		
		50,00.00	38,20.87 (-)11,79.13
पूरक	5,00.00		
06 निर्माणाधीन सिंचाई नहरें			
051 निर्माण			

**अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(4)	98 नाबार्ड वित्त पोषित नहरों का निर्माण मूल	75,00.00	75,00.00	61,82.88 (-)13,17.12
<b>4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय</b>				
80 सामान्य				
005 सर्वेक्षण तथा अन्वेषण (किशाउ बांध सम्मिलित करते हुए)				
(5)	03 निर्माण कार्य मूल	80.00	80.00	67.48 (-)12.52
051 निर्माण				
(6)	02 जल संवर्धन एवं जल संरक्षण के लिए जलाशयों एवं कंटूर ट्रेंच आदि का निर्माण मूल	1,50.00	1,50.00	89.96 (-)60.04
<b>4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय</b>				
00				
051 निर्माण				
(7)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	70,03.00	70,03.00	27,05.19 (-)42,97.81
<b>4711 बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय</b>				
01 बाढ़ नियंत्रण				
051 निर्माण				
(8)	98 नाबार्ड पोषित मूल	60,00.00	60,00.00	35,74.18 (-)24,25.82
103 सिविल निर्माण कार्य				
(9)	06 राज्य सेक्टर से पोषित रिवर ट्रेनिंग मूल	2,50.00	2,50.00	1,64.11 (-)85.89

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

(xv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

## अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
<b>4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
00			
051 निर्माण			
(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 17,00.00	14,96.00	0.00 (-)14,96.00
	पुनर्वि० (-)2,04.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 19 मार्च 2018 को ₹ 2,04.00 लाख की कमी योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण की गई ।		
052 मशीनरी तथा उपस्कर			
(2)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 50.00	50.00	0.00 (-)50.00
13 सोंग बांध का निर्माण			
051 निर्माण			
(3)	02 अन्य रख रखाव व्यय मूल 60.00	60.00	0.00 (-)60.00
18 बांध बैराज का निर्माण एवं आधुनिकीकरण/पुनरोद्धार			
051 निर्माण			
(4)	02 अन्य रख रखाव व्यय मूल 4,00.00	4,00.00	0.00 (-)4,00.00
<b>4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
80 सामान्य			
004 अनुसन्धान			
(5)	03 निर्माण कार्य मूल 10.00	10.00	0.00 (-)10.00
	वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		



**अनुदान सं० 20 सिंचाई एवं बाढ़ समाप्त.**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
051 निर्माण			
(6) 05 वाह्य सहायतित योजनाओ का निर्माण			
मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00

190 सरकारी क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

(7) 03 उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम को अंश पूंजी			
मूल	20.00	20.00	0.00 (-)20.00
वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

(xvi) **उचन्त लेन-देन**

टिप्पणी (viii) के अनुसार

उचन्त लेन-देन का विश्लेषण-सिंचाई विभाग के वर्ष 2017-18 के पूंजीगत प्रभाग परिशिष्ट iv में दिया गया है |

## अनुदान सं० 21 ऊर्जा

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में )
------------------	------------	---------------	----------------------------------------

## राजस्व:

2801	बिजली
2810	नई एवं नवीनीकरणीय उर्जा

## दत्तमत-

मूल	10,50,36			
		11,51,21	11,29,08	(-)22,13
पूरक	1,00,85			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)				...

## पूंजीगत:

4801	विद्युत परियोजना श्रोत पर पूंजीगत परिव्यय
6801	बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज

## दत्तमत-

मूल	3,26,00,02			
		3,39,00,02	1,42,32,96	(-)1,96,67,06
पूरक	13,00,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)				...

## टिप्पणियां एवं टीकार्यें

## राजस्व:

## दत्तमत-

- ₹ 22.13 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- ₹ 22.13लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 1,00.85 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए |
- दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

## 2810 नई एवं नवीनीकरणीय उर्जा

02 सोलर एनर्जी

**अनुदान सं० 21 ऊर्जा क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

101 सौर तापीय ऊर्जा कार्यक्रम

03 सोलर एनर्जी कार्यक्रम हेतु उरेडा को सहायता

मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00
-----	-------	-------	------	----------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

**पूँजीगत:  
दत्तमत-**

- (iv) ₹ 1,96,67.06 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (v) ₹ 1,96,67.06 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 13,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (vi) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			बचत	
2012-13	9,51,12.02	5,82,72.00	3,68,40.02	
2013-14	6,19,94.02	2,94,18.05	3,25,75.97	
2014-15	4,92,71.07	1,31,05.00	3,61,66.07	
2015-16	2,13,90.37	1,11,48.37	1,02,42.00	
2016-17	4,80,64.02	1,66,59.30	3,14,04.72	

- (vii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**4801 विद्युत परियोजना श्रोत पर पूँजीगत परिव्यय**

*01 जल विद्युत उत्पादन*

190 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश

- (1) 97 वाह्य सहायतित योजना

मूल	30,00.00	30,00.00	9,17.30	(-)20,82.70
-----	----------	----------	---------	-------------

*05 पारेषण एवं वितरण*

190 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश

- (2) 97 वाह्य सहायतित परियोजनाएं

मूल	10,00.00	10,00.00	1,71.65	(-)8,28.35
-----	----------	----------	---------	------------

## अनुदान सं० 21 ऊर्जा क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

## 6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज

## 01 जल विद्युत उत्पादन

190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश

(3)	05 यू.जे.बी.एन.एल को ऋण			
	मूल	70,00.00		
	पूरक	3,00.00	59,58.56	22,76.00
	पुनर्वि०	(-13,41.44)		(-36,82.56)

प्रावधान में पुनर्विनियोजन के द्वारा दिनांक 19 मार्च 2018 को ₹ 13,41.44 लाख की कमी योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण की गई |

(4)	97 बाह्य सहायतित योजना			
	मूल	50,00.00		
			63,41.44	30,00.00
	पुनर्वि०	13,41.44		(-33,41.44)

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 19 मार्च 2018 को ₹ 13,41.44 लाख की वृद्धि निवेश/ऋण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

(5)	98 नाबार्ड पोषित			
	मूल	15,00.00	15,00.00	5,00.00
				(-10,00.00)

## 05 पारेषण एवं वितरण

190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश

(6)	97 बाह्य सहायतित योजना			
	मूल	40,00.00	40,00.00	3,68.01
				(-36,31.99)

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018) |

(viii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

## 4801 विद्युत परियोजना श्रोत पर पूंजीगत परिव्यय

## 01 जल विद्युत उत्पादन

190 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश

**अनुदान सं० 21 ऊर्जा समाप्त.**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(1)	05 ऊर्जा विकास निधि में विनियोजन मूल 1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
	वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			

**6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज**

05 पारेषण एवं वितरण

190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश

(2)	08 पिटकुल को ऋण मूल 30,00.00	33,00.00	0.00	(-)33,00.00
	पूरक 3,00.00			

(3)	09 यू.पी.सी.एल. को ऋण मूल 20,00.00	17,00.00	0.00	(-)17,00.00
	पूरक 7,00.00			
	पुनर्वि० (-)10,00.00			

प्रावधान में पुनर्विनियोजन के द्वारा दिनांक 04 जुलाई 2017 को ₹ 10,00.00 लाख की कमी योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण की गई ।

(ix) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**4801 विद्युत परियोजना श्रोत पर पूंजीगत परिव्यय**

05 पारेषण एवं वितरण

190 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश

07 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० में वितरण परियोजनाओं हेतु निवेश

	मूल 10,00.00	20,00.00	20,00.00	0.00
	पुनर्वि० 10,00.00			

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 04 जुलाई 2017 को ₹ 10,00.00 लाख की वृद्धि निवेश/ऋण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई ।

**अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य**

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में )
------------------	------------------------	------------------	----------------------------------------

**राजस्व:**

2059	लोक निर्माण कार्य
2216	आवास
3054	सड़क तथा सेतु

**दत्तमत-**

मूल	6,92,12,93		
		7,05,45,93	6,41,83,69
			(-)63,62,24
पूरक	13,33,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)			47,68,37

**भारित-**

मूल	7,30,00		
		7,30,00	3,34,80
			(-)3,95,20
पूरक	...		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)			1,24,17

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 30,51 हजार सम्मिलित हैं जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2017-18 की अवधि में हुई।

**पूंजीगत:**

4059	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
5054	सड़क तथा सेतु पर पूंजीगत परिव्यय

**दत्तमत-**

मूल	12,44,20,00		
		13,69,20,00	13,95,27,64
			(+)26,07,64
पूरक	1,25,00,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)			48,69,01

अनुदान के पूंजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,12,33,06 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

**टिप्पणियां एवं टीकायें**

**अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...**

<b>क्रम. शीर्ष सं०</b>	<b>कुल अनुदान</b>	<b>वास्तविक व्यय</b>	<b>आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )</b>
------------------------	-------------------	----------------------	------------------------------------------------

**राजस्व:  
दत्तमत-**

- (i) ₹ 63,62.24 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 47,68.37 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके |
- (ii) ₹ 63,62,24 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 13,33.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			व्यय	बचत
2012-13	5,36,79.38	4,79,94.53	56,84.85	
2013-14	5,86,43.02	4,90,77.63	95,65.39	
2014-15	7,84,54.82	5,79,09.42	2,05,45.40	
2015-16	6,57,12.03	5,37,57.33	1,19,54.70	
2016-17	7,07,65.91	6,46,00.64	61,65.27	

- (iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**2059 लोक निर्माण कार्य**

*80 सामान्य*

001 निदेशन तथा प्रशासन

- (1) 05 कार्य प्रभारित कर्मचारियों के मजदूरी भुगतान हेतु
- |          |            |         |         |            |
|----------|------------|---------|---------|------------|
| मूल      | 11,50.00   |         |         |            |
|          |            | 7,76.60 | 4,76.60 | (-)3,00.00 |
| पुनर्वि० | (-)3,73.40 |         |         |            |
- दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 3,73.40 लाख के अभ्यर्पण मजदूरी में हुई बचत के कारण किए गए |

**2216 आवास**

*01 सरकारी रिहायसी भवन*

700 अन्य आवास

- (2) 04 सरकारी आवासीय/अनावासीय भवनों का अनुरक्षण
- |          |          |         |         |         |
|----------|----------|---------|---------|---------|
| मूल      | 2,10.00  |         |         |         |
|          |          | 1,62.34 | 1,69.79 | (+)7.45 |
| पुनर्वि० | (-)47.66 |         |         |         |
- दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 47.66 लाख के अभ्यर्पण अनुरक्षण तथा लघु निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किए गए |

**अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
<b>3054 सड़क तथा सेतु</b>			
01 रास्ट्रीय राजमार्ग			
337 सड़क निर्माण कार्य			
(3)	01 केन्द्रीय योजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं		
	मूल 30,00.01		
		11,02.92	75.34 (-)10,27.58
	पुनर्वि० (-)18,97.09		
	दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 18,97.09 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए		
03 राज्य राजमार्ग			
337 सड़क निर्माण कार्य			
(4)	04 मोटर मार्ग अनुरक्षण कार्य हेतु आउटसोर्सिंग व्यवस्था		
	मूल 4,00.00		
		3,11.24	2,49.13 (-)62.11
	पुनर्वि० (-)88.76		
	दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 88.76 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए		

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (2) पर अंतिम आधिक्य तथा क्रम संख्या (1, 3) एवं (4) पर अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018) |

(v) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**3054 सड़क तथा सेतु**

04 जिला एवं अन्य सड़के

337 सड़क निर्माण कार्य

05 मोटर मार्ग अनुरक्षण कार्य हेतु आउटसोर्सिंग व्यवस्था

मूल 2,50.00 2,50.00 2,64.80 (+)14.80

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018) |

**राजस्व:**

**भारित-**

(vi) ₹ 3,95.20 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 1,24.17 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके |



**अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...**

<b>क्रम. शीर्ष सं०</b>	<b>कुल विनियोग</b>	<b>वास्तविक व्यय</b>	<b>आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)</b>
------------------------	--------------------	----------------------	-----------------------------------------------

(vii) विनियोग के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)			
वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2012-13	3,88.00	2,85.91	1,02.09
2013-14	4,33.00	2,58.05	1,74.95
2014-15	4,99.00	27.61	4,71.39
2015-16	5,09.00	0.26	5,08.74
2016-17	7,40.00	6,01.77	1,38.23

(viii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**2059 लोक निर्माण कार्य**

01 कार्यालय भवन-

053 रख-रखाव तथा मरम्मत

(1) 03 रख रखाव मरम्मत (भारित)

मूल 3,50.00

2,39.15 2,31.08 (-)8.07

पुनर्वि० (-)1,10.85

दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 1,10.85 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में मुख्यतः विद्युत देय तथा अनुरक्षण में हुई बचत के कारण किए गए।

**2216 आवास**

01 सरकारी रिहायसी भवन

700 अन्य आवास

(2) 03 निर्माण

मूल 80.00

66.68 67.18 (+)0.50

पुनर्वि० (-)13.32

दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 13.32 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए।

**3054 सड़क तथा सेतु**

04 जिला एवं अन्य सड़के

**अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
337 सड़क निर्माण कार्य			
(3) 06 न्यायालय की आज्ञापतियों का भुगतान (भारित)			
मूल	3,00.00	3,00.00	36.53 (-)2,63.47

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (2) पर अंतिम आधिक्य तथा क्रम संख्या (1) एवं (3) पर अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

**पूँजीगत:  
दत्तमत-**

- (ix) पूँजीगत दत्तमत अनुदान में ₹ 26,07.64 लाख का व्ययाधिक्य है। यदि इस अनुदान के अंतर्गत प्राप्त ₹ 51,38.13 लाख की वसूली को लेखे में सम्मिलित कर लिया जाए, तब व्ययाधिक्य नहीं होगा।
- (x) ₹ 26,07.64 लाख के व्ययाधिक्य को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 1,25,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुए।
- (xi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय**

80 सामान्य

051 निर्माण

(1) 02 लोक निर्माण (नए कार्य)				
मूल	20.00	20.00	27.05	(+)7.05
(2) 03 लोक निर्माण (नए कार्य)				
मूल	2,00.00	7,00.00	4,04.58	(-)2,95.42
पुनर्वि०	5,00.00			
प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर 2017 को ₹ 5,00.00 लाख की वृद्धि वृहद् निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				

**5054 सड़क तथा सेतु पर पूँजीगत परिव्यय**

03 राजमार्ग

799 उचन्त

**अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(3)	03 भण्डार मूल	0.00	0.00	25,20.75 (+)25,20.75
(4)	04 विभिन्न अग्रिम कार्य मूल	0.00	0.00	22,07.56 (+)22,07.56
	<i>04 जिला तथा अन्य सड़कें</i>			
	337 सड़क निर्माण कार्य			
(5)	03 स्टेट सेक्टर मूल	3,32,00.00		
	पूरक	1,05,00.00	4,92,18.33	5,33,71.58 (+)41,53.25
	पुनर्वि०	55,18.33		
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 23 अक्टूबर 2017 को ₹ 60,00.00 लाख की वृद्धि वृहद् निर्माण कार्य हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई   दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 4,81.67 लाख के अभ्यर्पण वृहद् निर्माण कार्य में हुई बचत के कारण किए गए   यद्यपि प्रावधान का अभ्यर्पण किया जाना तत्पश्चात अन्तिम आधिक्य का प्राप्त होना प्रावधान के त्रुटिपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है			
(6)	05 बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनर्निर्माण मूल	10,00.00	10,00.00	27,32.77 (+)17,32.77

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1) एवं (5) पर अंतिम आधिक्य तथा क्रम संख्या (2) पर अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

(xii) **उचन्त लेन-देन "उचन्त"**

लघु शीर्ष "उचन्त" अंतिम लेखा शीर्ष नहीं है | लेन-देन पूरे समझे जाने तथा अंतिम रूप से लेखे में दर्ज किए जाने से पूर्व जहाँ और अदायगियाँ या मूल्य के समायोजन आवश्यक होते हैं वहाँ अन्तरिम लेन-देन इसके अंतर्गत होते हैं | तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत जो लेन-देन अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हो पाते वे वर्षानुवर्ष आगे ले जाते हैं | उचन्त के तीन प्रभाग होते हैं, अर्थात् (1) स्टॉक (2) विविध निर्माण कार्य पेशगियाँ और (3) वर्कशॉप उचन्त |

**अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...**

**क्रम. शीर्ष  
सं०**

**कुल अनुदान      वास्तविक      आधिक्य (+)  
व्यय      बचत (-)  
(₹ लाख में )**

उचन्त लेन-देनों की प्रकृति और उनकी लेखा पद्धति नीचे दी जा रही है:-

(1) **स्टॉक-** इस शीर्ष में उस सामग्री को मुख्य नामे डाला जाता है जो स्टॉक के लिए प्राप्त होती है, किसी विशिष्ट कार्य के लिए नहीं। इसमें उस सामग्री का मूल्य जमा कर दिया जाता है जो निर्माण कार्य के लिए दे दी जाती है या बेच दी जाती है या अन्य मण्डलों को अन्तरित कर दी जाती है। अतः यह शीर्ष नामे शेष दिखलायेगा जो स्टॉक में रखी गयी सामग्री खाता मूल्य तथा सामग्री के निर्माण से सम्बंधित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, का सूचक होगा।

(2) **विविध निर्माण कार्य पेशगियाँ-** इस शीर्ष में उधार बेचीं गयी सामग्री के मूल्य, जमा राशि निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमाराशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गयी नकद या सामग्री की हानि, सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशि का सूचक है।

(3) **वर्कशॉप उचन्त-** विभागीय वर्कशॉपों में किए गए कार्यों या अन्य कार्य प्रचलनों के प्रभार उनकी वसूली या उसके समायोजन हो जाने तक इस शीर्ष में नामे डाले जाते हैं।

2017-18 तक की अवधि के लोक निर्माण विभाग के राजस्व प्रभाग के उचन्त लेन-देन का विश्लेषण और आदि तथा अंत शेष का ब्यौरा परिशिष्ट-V में दिया गया है।

(xiii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय**

80 सामान्य

051 निर्माण

(1) 04 पुलड आवास योजना (चालू कार्य)

मूल	1,00.00	1,00.00	49.66	(-)50.34
-----	---------	---------	-------	----------

**5054 सड़क तथा सेतु पर पूंजीगत परिव्यय**

04 जिला तथा अन्य सड़कें

337 सड़क निर्माण कार्य

**अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(2) 01 केन्द्र पुरोनिधानित योजना			
मूल	1,05,00.00		
पूरक	20,00.00	80,55.37	63,38.13 (-)17,17.24
पुनर्वि०	(-)44,44.63		
प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 23 अक्टूबर 2017 को ₹ 15,00.00 लाख, दिनांक 22 दिसम्बर 2017 को ₹ 5,00.00 लाख तथा दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 24,44.63 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए			
(3) 04 पुल/सड़क/भवन हेतु भूमि क्रय			
मूल	30,00.00	30,00.00	20,45.67 (-)9,54.33
(4) 06 क्रोनिक स्लिप जोन के ट्रीटमेंट हेतु प्रावधान			
मूल	5,00.00		
		4,16.81	3,09.05 (-)1,07.76
पुनर्वि०	(-)83.19		
दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 83.19 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए			
(5) 97 वाह्य सहायतित परियोजनाओ का सशक्तीकरण/ ए.डी.बी./विश्व बैंक सहायतित परियोजना			
मूल	3,30,00.00		
		2,80,66.27	2,80,76.58 (+)10.31
पुनर्वि०	(-)49,33.73		
प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 23 अक्टूबर 2017 को ₹ 45,00.00 लाख तथा दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 4,33.73 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए			

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1) से (4) पर अंतिम बचत तथा क्रम संख्या (5) पर अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018) |

(xiv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

**5054 सड़क तथा सेतु पर पूंजीगत परिव्यय**

05 सड़कें

**अनुदान सं० 22 लोक निर्माण कार्य समाप्त.**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
337 सड़क निर्माण कार्य			
(1)	03 मुख्य नगरीय क्षेत्रों में सड़क किनारे डकट का निर्माण मूल	5,00.00	
		0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-),5,00.00	
80 सामान्य			
190 सरकारी क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(2)	03 उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम को अंशपूजी मूल	2,00.00	
		0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-),2,00.00	

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

**अनुदान सं० 23 उद्योग**

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में )
------------------	------------	------------------	----------------------------------------

**राजस्व:**

2058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण
2851	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग
2853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग
3425	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान

**दत्तमत-**

मूल	1,59,29,97			
		1,83,45,47	1,40,44,13	(-)43,01,34
पूरक	24,15,50			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)				...

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 5,00,00 हजार सम्मिलित है जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2017-18 की अवधि में हुई।

**पूँजीगत:**

4058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय
4851	ग्राम तथा लघु उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय
4859	दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय
4860	उपभोक्ता उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय

**दत्तमत-**

मूल	52,83,01			
		63,74,28	5,97,59	(-)57,76,69
पूरक	10,91,27			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)				...

**टिप्पणियां एवं टीकार्यें**

**राजस्व:**

**दत्तमत-**

- (i) ₹ 43,01.34 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

**अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(ii) ₹ 43,01.34 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 24,15.50 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए ।

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2012-13	71,39.02	60,06.72	11,32.30
2013-14	92,16.28	71,27.74	20,88.54
2014-15	93,59.50	79,57.12	14,02.38
2015-16	1,59,90.24	1,25,24.40	34,65.84
2016-17	2,30,57.76	1,24,17.98	1,06,39.78

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**2058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण**

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(1) 03 राजकीय मुद्रणालय, रुड़की अधिष्ठान

मूल 12,79.14

12,80.14 11,27.68 (-)1,52.46

पूरक 1.00

**2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग**

00

102 लघु उद्योग

(2) 18 उत्तराखण्ड परिवहन और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कार्यालय की स्थापना

मूल 11.10 11.10 1.29 (-)9.81

(3) 33 कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण योजना

मूल 50.00 50.00 25.00 (-)25.00

(4) 34 एम.एस.एम.ई. परियोजना प्रबंधन (पी.एम.यू.) की स्थापना

मूल 50.00 50.00 25.00 (-)25.00

(5) 35 स्टार्टर एवं स्टैंडअप उद्यमिता विकास

मूल 1,00.00 1,00.00 30.00 (-)70.00



## अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )	
(6)	38 इज ऑफ़ इंडिंग बिजनेस मूल 5,00.00	7,00.00	4,99.11	(-)2,00.89
	पूरक 2,00.00			
(7)	98 नाबार्ड पोषित मूल 10,00.00	10,00.00	8,33.55	(-)1,66.45
(8)	103 हथकरघा उद्योग 12 शिल्पियों हेतु पेंशन योजना मूल 20.00	20.00	10.00	(-)10.00
(9)	16 हथकरघा कताई-बुनाई महिला कर्मकारों को सहायता मूल 10.00	10.00	5.00	(-)5.00
<b>2853 अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग</b>				
<i>02 खानों का विनियमन तथा विकास</i>				
001 निदेशन तथा प्रशासन				
(10)	03 खनन प्रशासन का अधिष्ठान मूल 9,41.22	9,70.72	8,12.26	(-)1,58.46
	पूरक 29.50			
(11)	102 खनिज खोज 03 पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन व प्रबन्ध योजना मूल 1,42.00	1,42.00	31.50	(-)1,10.50
(12)	04 खनन सर्विलांश मूल 2,64.02	2,64.02	34.64	(-)2,29.38
<b>3425 अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान</b>				
<i>60 अन्य</i>				
004 अनुसंधान और विकास				

## अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(13)	05 अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र को सहायता मूल 2,00.00	2,00.00	1,00.00 (-1,00.00)
(14)	09 उत्तराखण्ड विज्ञान एवं शिक्षण अनुसंधान केंद्र की स्थापना मूल 1,00.00 पूरक 1,25.00	2,25.00	1,60.33 (-64.67)
600 अन्य सेवार्ये			
(15)	03 क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क (स्वान) का क्रियान्वयन मूल 15,00.01	15,00.01	8,33.33 (-6,66.68)
उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।			

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

## 2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग

00

## 101 औद्योगिक परिसम्पत्ति

(1)	02 मेगा टेक्सटाइल पॉलिसी 2014 मूल 7,00.00	7,00.00	0.00 (-7,00.00)
(2)	03 मेगा इन्डस्ट्रियल पॉलिसी 2015 मूल 14,00.00	14,00.00	0.00 (-14,00.00)
103 हथकरघा उद्योग			
(3)	10 नंदा देवी योजना मूल 50.00	50.00	0.00 (-50.00)
(4)	11 खादी संस्थाओं को सहयोग मूल 10.00	10.00	0.00 (-10.00)

**अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(5)	13 समाज के निर्धन कर्मकारों हेतु बुनकर/शिल्पकार इत्यादि विकास योजना			
	मूल	10.00	10.00	0.00
	वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			(-)10.00

(6)	15 जयानन्द भारती दस्तकार प्रशिक्षण योजना			
	मूल	10.00	10.00	0.00
	वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			(-)10.00

	105 खादी ग्रामोद्योग			
(7)	20 कताई बुनाई बुनकरों को आर्थिक सहायता			
	मूल	7.00	7.00	0.00
	वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			(-)7.00

(8)	22 रेशा खरीद हेतु अनुदान			
	मूल	50.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)50.00	0.00	0.00

**2853 अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग**

02 खानों का विनियमन तथा विकास

001 निदेशन तथा प्रशासन

(9)	04 राज्य खनिज विकास परिषद			
	मूल	40.00	40.00	0.00
				(-)40.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018) |

(vi) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग**

00

105 खादी ग्रामोद्योग

**अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

03 खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद को सहायता

मूल	6,50.00		
पूरक	50.00	8,80.00	8,80.00
पुनर्वि०	1,80.00		0.00

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 22 मार्च 2018 को ₹ 1,80.00 लाख की वृद्धि वेतन एवं भत्तों के लिए सहायक अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

**पूँजीगत:  
दत्तमत-**

- (vii) ₹ 57,76.69 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (viii) ₹ 57,76.69 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 10,91.27 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (ix) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2012-13	40,55.00	16,86.00	23,69.00
2013-14	37,61.81	9,40.76	28,21.05
2014-15	38,78.87	12,98.25	25,80.62
2015-16	76,89.04	60,59.95	16,29.09
2016-17	1,73,51.01	1,38,84.53	34,66.48

- (x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**4851 ग्राम तथा लघु उद्योग पर पूँजीगत परिव्यय**

00

102 लघु उद्योग

- (1) 01 केन्द्र प्रावधानित योजना

मूल	0.00		
		9,55.27	3,41.92
पूरक	9,55.27		(-)6,13.35

## अनुदान सं० 23 उद्योग क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

## 4859 दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय

02 इलेक्ट्रॉनिक्स

800 अन्य व्यय

(2)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	20,00.01	20,00.01	2,05.67 (-)17,94.34

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

## 4058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय

00

103 सरकारी मुद्रणालय

(1)	03 सरकारी प्रेस में मशीन, कलपुर्जे और यंत्रों की खरीद			
	मूल	1,50.00	1,50.00	0.00 (-)1,50.00

## 4851 ग्राम तथा लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय

00

102 लघु उद्योग

(2)	08 मेसर्स नेपा लिमिटेड की भूमि हस्तान्तरण हेतु धनराशि			
	मूल	26,75.00	26,75.00	0.00 (-)26,75.00

103 हथकरघा उद्योग

(3)	02 हरिराम टम्टा परम्परागत शिल्प उन्नयन संस्थान की स्थापना तथा सहायता			
	मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00

## 4859 दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय

02 इलेक्ट्रॉनिक्स

800 अन्य व्यय

(4)	03 राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सशक्तीकरण			
	मूल	57.00	57.00	0.00 (-)57.00

**अनुदान सं० 23 उद्योग समाप्त.**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(5)	12 राज्य के सार्वजनिक स्थानों पर वाई-फाई जोन स्थापित किया जाना		
	मूल	2,00.00	2,00.00
			0.00
	वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		(-),2,00.00
(6)	13 तहसील और ब्लॉक स्तर पर विडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा		
	मूल	1,00.00	
		2,36.00	0.00
	पूरक	1,36.00	(-),2,36.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

## अनुदान सं० 24 परिवहन

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में )
------------------	------------	---------------	----------------------------------------

## राजस्व:

2041	वाहन कर
3053	नगर विमानन
3055	सड़क परिवहन

## दत्तमत-

मूल	51,95,02			
		59,02,65	49,59,37	(-)9,43,28
पूरक	7,07,63			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)				...

## पूंजीगत:

5053	नागरिक विमानन पर पूंजीगत परिव्यय
5055	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय
7055	सड़क परिवहन के लिए कर्ज

## दत्तमत-

मूल	31,95,06			
		1,52,13,06	1,32,90,41	(-)19,22,65
पूरक	1,20,18,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)				...

## टिप्पणियां एवं टीकार्यें

## राजस्व:

## दत्तमत-

- (i) ₹ 9,43.28 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (ii) ₹ 9,43.28 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 7,07.63 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |

**अनुदान सं० 24 परिवहन क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)			
वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2012-13	32,90.28	27,00.00	5,90.28
2013-14	45,61.98	42,39.51	3,22.47
2014-15	49,21.89	43,94.62	5,27.27
2015-16	47,04.43	41,44.65	5,59.78
2016-17	65,26.11	53,56.98	11,69.13

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**2041 वाहन कर**

00

800 अन्य व्यय

(1)	03 स्टेट ट्रान्सपोर्ट अपीलेट अधिष्ठान				
	मूल	52.83			
			66.46	35.89	(-)30.57
	पूरक	13.63			

**3053 नगर विमानन**

02 विमान पत्तन

102 हवाई अड्डा

(2)	09 उत्तराखण्ड सिविल उड्डयन विकास अधिकरण				
	मूल	16,30.04	16,30.04	10,00.00	(-)6,30.04

80 सामान्य

003 प्रशिक्षण तथा शिक्षा

(3)	03 नागरिक उड्डयन				
	मूल	1,15.64	1,15.64	1,02.95	(-)12.69

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।



**अनुदान सं० 24 परिवहन क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
--------------------	------------	------------------	---------------------------------------

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

**3053 नगर विमानन**

02 विमान पत्तन

102 हवाई अड्डा

(1) 03 हवाई पट्टियों का अनुरक्षण

मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00
-----	-------	-------	------	----------

वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।

(2) 04 पर्वतीय क्षेत्र में स्थित हवाई पट्टियों की सुरक्षा व्यवस्था

मूल	30.00	30.00	0.00	(-)30.00
-----	-------	-------	------	----------

वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे

**3055 सड़क परिवहन**

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(3) 07 उत्तराखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा परिषद संबन्धी अधिष्ठान

मूल	12.50			
		0.00	0.00	0.00

पुनर्वि० (-)12.50

वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।

190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता

(4) 08 उत्तराखण्ड राज्य के वरिष्ठ नागरिकों श्रधालुओं को चार धाम यात्रा/धार्मिक

मूल	50.00			
		0.00	0.00	0.00

पुनर्वि० (-)50.00

**अनुदान सं० 24 परिवहन क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(5) 09 मुख्यमंत्री व्यावसायिक चालक बीमा योजना	5.00	0.00	0.00
मूल			
पुनर्वि०	(-)5.00		
वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018) |

**पूंजीगत:  
दत्तमत-**

- (vi) ₹ 19,22.65 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (vii) ₹ 19,22.65 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 1,20,18.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए |
- (viii) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	(₹ लाख में)		
	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2012-13	1,65,20.04	1,21,24.74	43,95.30
2013-14	1,22,90.05	27,71.72	95,18.33
2014-15	1,18,44.84	88,45.29	29,99.55
2015-16	70,96.01	11,75.24	59,20.77
2016-17	70,00.03	25,58.65	44,41.38

- (ix) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**5053 नागरिक विमानन पर पूंजीगत परिव्यय**

02 विमान पत्तन

800 अन्य व्यय

- (1) 03 हवाई पट्टी के निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि के प्रतिकर का भुगतान
- |     |       |       |       |          |
|-----|-------|-------|-------|----------|
| मूल | 50.00 | 50.00 | 28.22 | (-)21.78 |
|-----|-------|-------|-------|----------|

**5055 सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय**

## अनुदान सं० 24 परिवहन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

00

050 भूमि तथा भवन

(2)	03 उत्तराखण्ड परिवहन निगम हेतु बस स्टैण्ड के निर्माण हेतु अनुदान			
	मूल	80.00		
			94.00	80.00
				(-)14.00

पूरक 14.00

(3)	15 बस अड्डो का निर्माण			
	मूल	1,00.00	1,00.00	60.00
				(-)40.00

## 7055 सड़क परिवहन के लिए कर्ज

00

101 सड़क परिवहन निगम को स्थायी ऋण

(4)	05 बसों के क्रय हेतु ऋण के ब्याज भुगतान हेतु अनुदान			
	मूल	10,00.00	10,00.00	8,23.61
				(-)1,76.39

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

## 5053 नागरिक विमानन पर पूंजीगत परिव्यय

02 विमान पत्तन

102 हवाई अड्डा

(1)	02 हवाई पट्टी का सुदृढीकरण एवं अन्य सम्बद्ध निर्माण कार्य			
	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00
				(-)2,00.00

(2)	03 हैलीपैड एवं हेंगर का निर्माण			
	मूल	50.00	50.00	0.00
				(-)50.00

(3)	06 नैनीसैनी हवाई पट्टी का विस्तारीकरण			
	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00
				(-)2,00.00

## 5055 सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय

**अनुदान सं० 24 परिवहन समाप्त.**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
00			
050 भूमि तथा भवन			
(4) 08 हल्द्वानी में चालक प्रशिक्षण संस्थान हेतु भूमि क्रय/भवन निर्माण			
मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00
वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			
(5) 09 चालक परीक्षण हेतु सिमुलेटर का क्रय			
मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00
(6) 10 आइ.एस.बी.टी. हल्द्वानी की स्थापना			
मूल	8,00.00	8,00.00	0.00 (-)8,00.00
(7) 13 रामनगर में अन्तर्राष्ट्रीय बस अड्डे की स्थापना			
मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00
(8) 16 नरेन्द्र नगर में बस अड्डे का निर्माण			
मूल	2,00.00	2,00.00	0.00 (-)2,00.00
800 अन्य व्यय			
(9) 03 देहरादून में चालक परीक्षण संस्थान में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए शूल्क रहित प्रशिक्षण			
मूल	1,50.00	1,50.00	0.00 (-)1,50.00
वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018) |

## अनुदान सं० 25 खाद्य

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में )
------------------	------------	---------------	----------------------------------------

## राजस्व:

2408	खाद्य भण्डारण तथा भण्डारागारण
3456	सिविल पूर्ति
3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ

## दत्तमत-

मूल	2,34,35,76			
		2,37,70,61	1,82,35,07	(-)55,35,54
पूरक	3,34,85			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)				...

## पूंजीगत:

4408	खाद्य भण्डारण तथा भण्डार गृह पर पूंजीगत परिव्यय
------	-------------------------------------------------

## दत्तमत-

मूल	18,27,20			
		19,27,20	13,41,66,52	(+)13,22,39,32
पूरक	1,00,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)				...

## टिप्पणियां एवं टीकायें

## राजस्व:

## दत्तमत-

- (i) ₹ 55,35.54 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (ii) ₹ 55,35.54 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 3,34.85 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |

**अनुदान सं० 25 खाद्य क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2012-13	3,83,21.27	1,52,37.63	2,30,83.64
2013-14	2,53,31.83	26,77.18	2,26,54.65
2014-15	4,28,45.50	2,03,73.26	2,24,72.24
2015-16	3,32,02.61	2,02,94.73	1,29,07.88
2016-17	3,77,26.58	2,05,60.29	1,71,66.29

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**2408 खाद्य भण्डारण तथा भण्डारागारण**

*01 खाद्य*

(1)	001 निदेशन तथा प्रशासन				
	04 राज्य खाद्य आयोग				
	मूल	59.53	59.53	50.29	(-)9.24

102 खाद्य सहायता

(2)	01 केंद्र पुरोनिधानित योजना				
	मूल	1,00,00.00	1,00,00.00	65,61.70	(-)34,38.30

(3)	06 राज्य खाद्य योजना				
	मूल	80,00.00			
			77,49.00	64,22.68	(-)13,26.32

पुनर्वि० (-)2,51.00

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा 12 अक्टूबर 2017 को ₹ 6.00 लाख तथा दिनांक 16 मार्च 2018 को ₹ 2,45.00 लाख की कमी सब्सिडी में हुई बचत के कारण किए गए।

**3456 सिविल पूर्ति**

*00*

(4)	001 निदेशन तथा प्रशासन				
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएँ				
	मूल	40.01	40.01	6.10	(-)33.91

**अनुदान सं० 25 खाद्य क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(5)	04 उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित निदेशालय		
	मूल	5,00.42	
		6,35.27	5,02.13
	पूरक	1,34.85	(-),1,33.14
(6)	102 सिविल आपूर्ति योजना		
	02 निर्धन पूर्ति योजना		
	मूल	30.00	
		2,30.00	23.92
	पूरक	2,00.00	(-),2,06.08
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।		

**पूँजीगत:  
दत्तमत-**

- (v) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत अनुभाग के अंतर्गत ₹ 13,22,39.32 लाख का व्ययाधिक्य है, व्ययाधिक्य की नियमितीकरण की आवश्यकता है। यदि इस अनुदान के अंतर्गत प्राप्त ₹ 6,10,56.32 लाख की वसूली को लेखे में सम्मिलित कर लिया जाए, तब भी ₹ 7,11,83.00 लाख का आधिक्य है।
- (vi) ₹ 13,22,39.32 लाख के व्ययाधिक्य को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 1,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुए।
- (vii) बिना बजट प्रावधान के व्यय निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई।

**4408 खाद्य भण्डारण तथा भण्डार गृह पर पूँजीगत परिव्यय**

*01 खाद्य*

101 खरीद और पूर्ति

(1)	03 खाद्य आपूर्ति योजना				
	मूल	0.00	0.00	13,26,32.86	(+),13,26,32.86

800 अन्य व्यय

(2)	03 गोदामों का निर्माण				
	मूल	0.00	0.00	8,54.58	(+),8,54.58
	उक्त शीर्षों के अंतर्गत ₹ 6,10,56.32 लाख की वसूली प्राप्त हुई है।				
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत निधि के प्रावधान के बिना व्यय के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।				

## अनुदान सं० 25 खाद्य समाप्त.

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (र लाख में )
--------------------	------------	------------------	---------------------------------------

(viii) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

## 4408 खाद्य भण्डारण तथा भण्डार गृह पर पूंजीगत परिव्यय

01 खाद्य

800 अन्य व्यय

(1)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	11,07.20	11,07.20	27.20	(-)10,80.00
(2)	04 आयुक्त, खाद्य भवन का निर्माण मूल	3,50.00			
	पूरक	1,00.00	4,50.00	3,50.00	(-)1,00.00
(3)	06 खाद्य गोदामों/भवनों की मरम्मत एवं रख-रखाव मूल	1,00.00	1,00.00	31.89	(-)68.11

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।



**अनुदान सं० 26 पर्यटन**

<b>मुख्य लेखा शीर्ष</b>	<b>कुल अनुदान</b>	<b>वास्तविक व्यय</b>	<b>आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में )</b>
-------------------------	-------------------	----------------------	-------------------------------------------------

**राजस्व:**

**3452 पर्यटन**

**दत्तमत-**

मूल	48,90,71		
		66,77,14	58,36,84
			(-)8,40,30
पूरक	17,86,43		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)			...

**पूंजीगत:**

**5452 पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय**

**दत्तमत-**

मूल	62,30,04		
		63,30,04	58,08,30
			(-)5,21,74
पूरक	1,00,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)			...

**टिप्पणियां एवं टीकायें**

**राजस्व:**

**दत्तमत-**

- (i) ₹ 8,40.30 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (ii) ₹ 8,40.30 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 17,86.43 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए |
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

**(₹ लाख में)**

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2012-13	72,74.70	42,69.51	30,05.19
2013-14	69,90.16	56,47.13	13,43.03
2014-15	1,10,80.64	68,34.17	42,46.47
2015-16	52,92.48	48,75.67	4,16.81
2016-17	58,68.03	39,98.78	18,69.25

## अनुदान सं० 26 पर्यटन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(iv)	बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:		
<b>3452 पर्यटन</b>			
80 सामान्य			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(1)	11 पं० दीनदयाल उपाध्याय मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना		
	मूल	2,50.00	2,50.00
			75.82
			(-),1,74.18
(2)	12 होटल प्रबंधन संस्थान, नई टिहरी		
	मूल	1,27.14	
			1,58.84
			1,37.75
	पूरक	31.70	
			(-),21.09
(3)	13 एफ.आई.एस. रेस 2018		
	मूल	0.00	
			12,00.00
			9,00.61
	पूरक	12,00.00	
			(-),2,99.39
104 संवर्धन तथा प्रचार			
(4)	18 राजकीय होटल मैनेजमेन्ट एवं कैटरिंग संस्थान अधिष्ठान		
	मूल	3,98.72	
			4,36.72
			3,82.53
	पूरक	38.00	
			(-),54.19
(5)	23 उत्तराखण्ड ग्रामीण पर्यटन उत्थान योजना (व्यक्तिगत लाभार्थी)		
	मूल	70.00	70.00
			15.26
			(-),54.74

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

**पूँजीगत:  
दत्तमत-**

- (v) ₹ 5,21.74 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

**अनुदान सं० 26 पर्यटन समाप्त.**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

- (vi) ₹ 5,21.74 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 1,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (vii) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)	
			व्यय	बचत
2012-13	74,34.21	19,02.71	55,31.50	
2013-14	78,09.44	30,41.08	47,68.36	
2014-15	2,68,26.09	88,30.64	1,79,95.45	
2015-16	1,57,03.03	93,92.78	63,10.25	
2016-17	1,89,90.03	1,18,25.96	71,64.07	

- (viii) बचत निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**5452 पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय**

80 सामान्य

104 संवर्द्धन तथा प्रचार

04 राज्य क्षेत्र

मूल	10,80.01	व्यय	7,58.30	बचत	(-),4,21.71
पूरक	1,00.00	11,80.01			

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

- (ix) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

**5452 पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय**

80 सामान्य

104 संवर्द्धन तथा प्रचार

01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	1,00.01	व्यय	0.00	बचत	(-),1,00.01
		1,00.01			

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

मुख्य लेखा शीर्ष	अनुदान सं० 27 वन		वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में )
	कुल अनुदान			

## राजस्व:

2406 वानिकी तथा वन्य जीवन

2407 बागान

## दत्तमत-

मूल 6,21,69,91

6,33,79,87 5,50,89,43 (-)82,90,44

पूरक 12,09,96

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018) ...

## पूंजीगत:

4406 वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय

## दत्तमत-

मूल 53,95,08

53,95,08 57,55,59 (+)3,60,51

पूरक ...

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018) ...

## टिप्पणियां एवं टीकायें

## राजस्व:

## दत्तमत-

- ₹ 82,90.44 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- ₹ 82,90.44 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 12,09.96 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2012-13	3,72,89.78	3,45,80.07	27,09.71
2013-14	4,01,78.42	3,70,78.21	31,00.21
2014-15	5,95,57.13	4,75,64.22	1,19,92.91
2015-16	5,16,36.70	4,35,64.69	80,72.01
2016-17	6,48,38.35	4,38,30.77	2,10,07.58

## अनुदान सं० 27 वन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

## 2406 वानिकी तथा वन्य जीवन

00

101 वन संरक्षण विकास तथा सम्पोषण

(1)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	5,30.12	5,30.12	3,71.92
				(-),158.20

01 वानिकी

001 निदेशन तथा प्रशासन

(2)	04 वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति			
	मूल	7.87	7.87	1.14
				(-),6.73
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 12,550 भी सम्मिलित है ।			

(3)	05 उत्तराखण्ड वन विकास निधि का गठन			
	मूल	20.00	20.00	12.00
				(-),8.00

(4)	08 कार्य योजना का निर्माण एवं पुनरीक्षण कार्य			
	मूल	20.00		
			37.00	15.43
	पूरक	17.00		(-),21.57

003 शिक्षा तथा प्रशिक्षण

(5)	02 अधिकारियों और कर्मचारियों का मानव संसाधन विकास			
	मूल	69.60	69.60	54.03
				(-),15.57

004 अनुसंधान

(6)	03 वन संचार साधन-पुल, टेलीफोन तथा भवन			
	मूल	0.00		
			50.00	2.24
	पूरक	50.00		(-),47.76

101 वन संरक्षण विकास तथा सम्पोषण

## अनुदान सं० 27 वन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(7)	03 वनों की सुरक्षा मूल	1,30.00	
	पुनर्वि०	53.00	(-)11.40
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन के द्वारा दिनांक 29 मार्च 2018 को ₹ 77.00 लाख की कमी योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण की गई ।	41.60	
(8)	06 बहुउद्देश्य वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण मूल	3,30.23	
	पूरक	6,30.23	(-)3,03.26
	3,00.00		
(9)	102 समाज तथा फार्म वानिकी 08 वामेन कंपोनेंट के अंतर्गत नर्सरी विकास कार्य मूल	35.00	35.00
		29.29	(-)5.71
(10)	97 वानिकी परियोजना (विश्व बैंक पोषित) मूल	1,00,00.01	
	पुनर्वि०	91,47.03	(-)41,47.03
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन के द्वारा दिनांक 29 मार्च 2018 को ₹ 8,52.98 लाख की कमी सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण की गई ।	50,00.00	
(11)	105 वन उत्पाद 03 इमारती लकड़ी कोयला आदि वन उपज मूल	60.00	60.00
		53.73	(-)6.27
(12)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	3,45.67	3,45.67
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 17,550 भी सम्मिलित है ।	1,83.81	(-)1,61.86
(13)	14 मुठभेड़ में मृत्यु होने तथा शासकीय कार्यो हेतु वनाधिकारियों/कर्मचारियों को सहायता/पुरस्कार मूल	20.00	20.00
		3.00	(-)17.00

## अनुदान सं० 27 वन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(14)	46 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड राज्य वन्य जीवों से खेती सुरक्षा योजना मूल 80.00 पूरक 1,00.00	1,80.00	49.35 (-1,30.65)
(15)	50 मानव-वानर संघर्ष न्यूनीकरण योजना मूल 2,74.65	2,74.65	1,96.50 (-78.15)
(16)	97 वाह्य सहायतित परियोजनाएं मूल 10,00.00	10,00.00	4,60.00 (-5,40.00)
	02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव		
	110 वन्य जीवन परीक्षण		
(17)	03 वाईल्ड लाईफ बोर्ड को सहायता मूल 1,00.04	1,00.04	26.73 (-73.31)
(18)	05 पर्यावरण निदेशालय का गठन मूल 49.54	49.54	25.00 (-24.54)
(19)	06 मानव वन्य जीव संघर्ष रोकथाम मूल 3,71.50	3,71.50	2,44.77 (-1,26.73)
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।		

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

## 2406 वानिकी तथा वन्य जीवन

## 01 वानिकी

## 001 निदेशन तथा प्रशासन

(1)	07 उत्तराखण्ड पारिस्थितिकीय पर्यटन सलाहकार परिषद मूल 5.87	5.87	0.00 (-5.87)
-----	--------------------------------------------------------------	------	-----------------

## 800 अन्य व्यय

**अनुदान सं० 27 वन क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(2)	18 गुजर पुनर्वास योजना मूल	1,49.00	1,49.00	0.00	(-)1,49.00
	वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।				

(3)	54 जंगली सुअरों के आखेट हेतु कारतूसों का वितरण योजना मूल	20.50	20.50	0.00	(-)20.50
	वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।				

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

(vi) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**2406 वानिकी तथा वन्य जीवन**

02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव

110 वन्य जीवन परीक्षण

01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें

मूल 22,74.63

32,04.61 28,44.83 (-)3,59.78

पुनर्वि० 9,29.98

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 16 मार्च 2018 को ₹ 8,52.98 लाख तथा दिनांक 29 मार्च 2018 को ₹ 77.00 लाख की वृद्धि गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल का क्रय, व्ययावसायिक एवं विशेष सेवाओं हेतु भुगतान, सहायक अनुदान, लघु निर्माण कार्य, मशीने एवं सज्जा/उपकरण एवं सयंत्र, अनुरक्षण, अन्य व्यय तथा प्रशिक्षण व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई ।

**पूँजीगत:**

**दत्तमत-**

(vii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत अनुभाग के अंतर्गत ₹ 3,60.51 लाख का व्ययाधिक्य है, व्ययाधिक्य का नियमितीकरण की आवश्यकता है ।



**अनुदान सं० 27 वन क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(viii) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)			
वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2012-13	57,75.82	41,43.48	16,32.34
2013-14	67,81.41	48,99.12	18,82.29
2014-15	59,10.07	50,73.04	8,37.03
2015-16	1,71,37.08	1,00,02.37	71,34.71
2016-17	1,65,15.07	1,00,68.79	64,46.28

(ix) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**4406 वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय**

02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव

110 वन्य जीव परिरक्षण

01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं

मूल	4,00.02	4,00.02	17,28.96	(+)13,28.94
-----	---------	---------	----------	-------------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

(x) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**4406 वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय**

01 वानिकी

101 वन संरक्षण, संवर्धन और विकास

(1) 03 वन मोटर मार्गों का सुदृढीकरण

मूल	3,70.00	3,70.00	2,63.09	(-)1,06.91
-----	---------	---------	---------	------------

(2) 04 वन विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण

मूल	3,60.00	3,60.00	2,88.96	(-)71.04
-----	---------	---------	---------	----------

(3) 08 आग से वनों की सुरक्षा

मूल	3,00.00	3,00.00	2,37.08	(-)62.92
-----	---------	---------	---------	----------

## अनुदान सं० 27 वन क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )	
(4)	10 अनुसन्धान एवं प्रौद्योगिकी विकास मूल 75.00	75.00	38.00 (-)37.00	
(5)	11 वनों कि सुरक्षा योजना मूल 1,00.00	1,00.00	76.00 (-)24.00	
(6)	102 समाज तथा फार्म वानिकी 03 औषधीय पौधों का संरक्षण मूल 1,00.00	1,00.00	16.19 (-)83.81	
	02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
(7)	110 वन्य जीव 03 आकस्मिक पर्यटन निगम मूल 30.00	30.00	24.85 (-)5.15	
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।			
(xi)	दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:			
	<b>4406 वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
	01 वानिकी			
	070 संचार तथा भवन			
(1)	02 आई.टी.पार्क. देहरादून में एन.टी.एफ.पी. सेंटर फार एक्सीलेंस का निर्माण मूल 2,00.00	2,00.00	0.00 (-)2,00.00	
(2)	101 वन संरक्षण, संवर्धन और विकास 06 इको टूरिज्म मूल 40.00	40.00	0.00 (-)40.00	
	वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(3)	800 अन्य व्यय 09 इको टूरिज्म मूल 20.00	20.00	0.00 (-)20.00	

**अनुदान सं० 27 वन समाप्त.**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(4)	11 मानव-वानर संघर्ष न्यूनीकरण योजना के पूंजीगत कार्य		
	मूल 2,00.00	2,00.00	0.00 (-)2,00.00
	वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
	02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव		
	800 अन्य व्यय		
(5)	03 पारिस्थितिकीय पर्यटन निगम		
	मूल 20.00	20.00	0.00 (-)20.00
	वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

**अनुदान सं० 28 पशुपालन संबंधी कार्य**

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में )
------------------	------------	------------------	----------------------------------------

**राजस्व:**

2403	पशु पालन
2404	डेरी विकास
2405	मछली पालन

**दत्तमत-**

मूल	2,50,49,38			
		2,60,82,30	2,38,49,63	(-)22,32,67
पूरक	10,32,92			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)				19,02,18

**पूंजीगत:**

4403	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय
4405	मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय

**दत्तमत-**

मूल	7,34,41			
		7,84,41	3,63,85	(-)4,20,56
पूरक	50,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)				4,20,56

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,65,71 हजार सम्मिलित है जो कि पूर्व वर्षों में आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष 2017-18 की अवधि में हुई।

**टिप्पणियां एवं टीकार्यें**

**राजस्व:**

**दत्तमत-**

- (i) ₹ 22,32.67 लाख की अंतिम बचत में से, ₹ 19,02.18 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 22,32.67 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 10,32.92 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

**अनुदान सं० 28 पशुपालन संबंधी कार्य क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2012-13	1,33,31.57	1,24,27.44	9,04.13
2013-14	1,60,62.34	1,35,69.65	24,92.69
2014-15	2,06,56.69	1,72,64.39	33,92.30
2015-16	2,07,06.01	1,82,85.43	24,20.58
2016-17	2,77,68.35	2,03,81.39	73,86.96

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**2403 पशु पालन**

00

101 पशु चिकित्सा सेवार्यें तथा पशु स्वास्थ्य

(1) 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं

मूल	7,19.72			
पूरक	2,31.11	6,10.45	6,11.27	(+)0.82
पुनर्वि०	(-)3,40.38			

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर 2017 को ₹ 17.46 लाख तथा दिनांक 27 दिसम्बर 2017 को ₹ 5.63 लाख की वृद्धि अन्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई | यद्यपि दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 3,63.47 लाख के अभ्यर्पण का कारण निधि का वास्तविक भुगतान तथा भारत सरकार से केन्द्रांश का प्राप्त न होना बताया गया |

(2) 09 पशु चिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना

मूल	1,90.58			
		1,71.38	1,71.38	0.00
पुनर्वि०	(-)19.20			

दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 19.20 लाख के अभ्यर्पण का कारण निधि का वास्तविक भुगतान किया जाना बताया गया |

102 पशु तथा भैंस विकास

**अनुदान सं० 28 पशुपालन संबंधी कार्य क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(3) 08 बट्टी नस्ल की गायों के संरक्षण एवं संवर्धन की योजना (नारियाल गावं)	मूल 70.00	39.96	39.96 0.00
	पुनर्वि० (-)30.04		
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 07 मार्च 2018 को ₹ 14.31 लाख, दिनांक 21 मार्च 2018 को ₹ 12.73 लाख तथा अभ्यर्पण के द्वारा दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 3.00 लाख की कमी योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए		
(4) 106 अन्य पशुधन विकास			
07 गौ सदनों की स्थापना	मूल 40.00	52.36	52.36 0.00
	पूरक 20.00		
	पुनर्वि० (-)7.64		
	दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 7.64 लाख के अभ्यर्पण का कारण सरकार से निधि की स्वीकृति प्राप्त न होना बताया गया		
(5) 113 प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकीय			
01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं	मूल 1,17.15	88.26	88.26 0.00
	पुनर्वि० (-)28.89		
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 29 मार्च 2018 को ₹ 4.09 लाख की वृद्धि अन्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई   दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 32.98 लाख के अभ्यर्पण का कारण रिक्त पद का न भरा जाना, सरकार से निधि की स्वीकृति प्राप्त न होना तथा निधि का वास्तविक भुगतान किया जाना बताया गया		
<b>2404 डेरी विकास</b>			
00			
102 डेयरी विकास परियोजनाएं			
(6) 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं	मूल 3,00.01	1,84.87	1,53.29 (-)31.58
	पुनर्वि० (-)1,15.14		
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 14 मार्च 2018 को ₹ 1,15.14 लाख की कमी सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण किए गए		

**अनुदान सं० 28 पशुपालन संबंधी कार्य क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )	
(7)	10 सुदृढीकरण डेयरी मूल	25.00	25.00	16.40	(-)8.60
(8)	11 दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन मूल	13,00.00			
	पूरक	2,00.00	15,00.00	13,00.00	(-)2,00.00

**2405 मछली पालन**

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

(9)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना (75 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता) मूल	30.00			
	पुनर्वि०	(-)28.32	1.68	1.68	0.00

दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 1,86.59 लाख के अभ्यर्पण का कारण भारत सरकार से केन्द्रांश की स्वीकृति न होना बताया गया ।

101 अन्तर्देशीय मछली पालन

(10)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल	6,63.13			
	पुनर्वि०	(-)1,86.59	4,76.54	4,76.55	(+)0.01

दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 28.32 लाख के अभ्यर्पण का कारण भारत सरकार से केन्द्रांश की स्वीकृति प्राप्त न होना बताया गया ।

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (6) से (8) पर अंतिम बचत तथा क्रम संख्या (1) पर अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

**2403 पशु पालन**

00

106 अन्य पशुधन विकास

**अनुदान सं० 28 पशुपालन संबंधी कार्य क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(1) 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
मूल	5,00.00		
पुनर्वि०	(-4,99.18)	0.82	0.00
			(-)0.82
<p>प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर 2017 को ₹ 18.07 लाख, दिनांक 27 दिसम्बर 2017 को ₹ 5.02 लाख, दिनांक 29 मार्च 2018 को ₹ 4.09 लाख तथा अभ्यर्पण के द्वारा दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 4,72.00 लाख की कमी का कारण विभाग के द्वारा शीर्ष के अंतर्गत मांग न होने के बावजूद वित्त विभाग द्वारा सम्बंधित शीर्ष के अंतर्गत बजट प्रावधान किया जाना बताया गया  </p> <p>वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे  </p>			
(2) 15 राज्य में उन कतरन एवं विपणन योजना			
मूल	25.00		
पुनर्वि०	(-)25.00	0.00	0.00
			0.00
107 चारा और चारागाह विकास			
(3) 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
मूल	1,40.00		
पुनर्वि०	(-)1,40.00	0.00	0.00
			0.00
<b>2404 डेरी विकास</b>			
00			
102 डेयरी विकास परियोजनाएं			
(4) 08 सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना			
मूल	70.00	70.00	0.00
			(-)70.00
<p>उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)  </p>			
(vi)	आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:		

**2403 पशु पालन**



**अनुदान सं० 28 पशुपालन संबंधी कार्य क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

00

106 अन्य पशुधन विकास

(1)	12 केदार नाथ आपदा 2013 में विधवा हुई महिलाओं को गाय वितरण योजना			
	मूल	0.01		
		14.31	14.31	0.00

पुनर्वि० 14.30

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 07 मार्च 2018 को ₹ 14.31 लाख की वृद्धि अन्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई | यद्यपि दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 0.01 लाख के अभ्यर्पण योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए |

**2404 डेरी विकास**

00

102 डेयरी विकास परियोजनाएं

(2)	04 महिला डेरी विकास योजना			
	मूल	3,65.71		
		4,80.85	4,78.87	(-)1.98

पुनर्वि० 1,15.14

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 14 मार्च 2018 को ₹ 1,15.14 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई | शीर्ष के अंतर्गत ₹ 1.98 लाख के अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018) |

**पूँजीगत:**

**दत्तमत-**

- (vii) ₹ 4,20.56 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 50.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (viii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में)
			बचत
2012-13	6,92.83	6,16.50	76.33
2013-14	8,01.63	7,82.63	19.00
2014-15	2,72.79	2,66.94	5.85
2015-16	5,44.01	3,13.72	2,30.29
2016-17	11,38.51	8,31.92	3,06.59

**अनुदान सं० 28 पशुपालन संबंधी कार्य क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(ix) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**4403 पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय**

00

101 पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य

(1) 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं

मूल 40.02

16.65 16.65 0.00

पुनर्वि० (-)23.37

दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 23.37 लाख के अभ्यर्पण का कारण भारत सरकार से केन्द्रांश की स्वीकृति प्राप्त न होना बताया गया ।

(2) 10 पशु चिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों के भवन निर्माण

मूल 1,00.00

पूरक 50.00 80.32 80.32 0.00

पुनर्वि० (-)69.68

दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 69.68 लाख के अभ्यर्पण का कारण भारत सरकार से निधि की स्वीकृति प्राप्त न होना बताया गया ।

(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

**4403 पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय**

00

101 पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य

(1) 09 पशुपालन विभाग में राज्य सेक्टर योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य

मूल 1,50.00

0.00 0.00 0.00

पुनर्वि० (-)1,50.00

दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 1,50.00 लाख के अभ्यर्पण का कारण सरकार से निधि की स्वीकृति प्राप्त न होना बताया गया । वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।

102 पशु तथा भैंस का विकास

**अनुदान सं० 28 पशुपालन संबंधी कार्य समाप्त.**

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(2)	02 बट्टी नस्ल की गायों के संरक्षण एवं संवर्धन की योजना (नारियल गावं)			
	मूल	50.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)50.00		
<b>4405 मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय</b>				
<i>00</i>				
001 निदेशन तथा प्रशासन				
(3)	03 मत्स्य विभाग के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण			
	मूल	25.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)25.00		
101 अन्तर्देशीय मत्स्य पालन				
(4)	98 नाबार्ड पोषित योजनाएं			
	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

**अनुदान सं० 29 औद्योगिक विकास**

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में )
------------------	------------------------	------------------	----------------------------------------

**राजस्व:**

2401 फसल कृषि कर्म

**दत्तमत-**

मूल	2,55,28,50			
		2,71,10,74	2,15,63,47	(-)55,47,27
पूरक	15,82,24			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)				...

**भारित-**

मूल	82,42			
		82,42	80,69	(-)1,73
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)				...

**पूंजीगत:**

4401 फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय

**दत्तमत-**

मूल	8,00,00			
		8,00,00	6,54,49	(-)1,45,51
पूरक	...			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)				...

**टिप्पणियां एवं टीकायें**

**राजस्व:**

**दत्तमत-**

- (i) ₹ 55,47.27 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |
- (ii) ₹ 55,47.27 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 15,82.24 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |

**अनुदान सं० 29 औद्योगिक विकास क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2012-13	1,08,90.78	1,01,72.28	7,18.50
2013-14	1,57,56.91	1,16,69.91	40,87.00
2014-15	1,92,70.93	1,51,39.69	41,31.24
2015-16	2,18,98.32	1,57,53.13	61,45.19
2016-17	2,59,67.56	2,10,21.30	49,46.26

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**2401 फसल कृषि कर्म**

00

119 बागवानी और सब्जियों की फसलें

(1)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं				
	मूल	71,31.81			
	पुनर्वि०	(-1,83.00)	69,48.81	35,20.86	(-34,27.95)

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 21 मार्च 2018 को ₹ 1,50.00 लाख तथा दिनांक 28 मार्च 2018 को ₹ 33.00 लाख की कमी राष्ट्रीय औद्योगिक बोर्ड के लिए सब्सिडी में हुई बचत के कारण की गई।

(2)	09 जड़ी बूटी शोध संस्थान को अनुदान				
	मूल	3,50.00			
	पूरक	50.00	4,00.00	3,50.00	(-50.00)
(3)	16 मानव संसाधन विकास की योजना				
	मूल	9.50	9.50	3.73	(-5.77)
(4)	26 सगन्ध पौधा केन्द्र को अनुदान एवं सगन्ध पौधा के कलस्टर विकास (09 से स्थानांतरित)				
	मूल	5,21.00			
	पूरक	1,00.00	6,21.00	3,71.00	(-2,50.00)

**अनुदान सं० 29 औद्योगिक विकास क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
-----------------	--	------------	---------------	---------------------------------------

(5)	27 जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान को अनुदान/ओषधियों एवं सगन्ध पौधा के कलस्टर विकास			
	मूल	1,20.00	1,20.00	60.00 (-)60.00
(6)	29 रवाई घाटी में उधान प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना			
	मूल	10.00	10.00	1.23 (-)8.77

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

**2401 फसल कृषि कर्म**

00

	119 बागवानी और सब्जियों की फसलें			
(1)	21 मिर्च मसाला खेती कि योजना हेतु राज्यांश			
	मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00
(2)	22 वर्मी कम्पोस्ट इकाई निर्माण की योजना हेतु राज्यांश			
	मूल	70.00	70.00	0.00 (-)70.00
(3)	23 एंटी हेल नेट की योजना			
	मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00
(4)	28 कृषि एवं इंधन उत्पादों के समर्थन मूल्य की स्थापना (माल्टा, पहाड़ी निम्बू, गलगल आदि)			
	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00 (-)2,00.00
(5)	31 मिशन एप्पल योजना			
	मूल	80.00	80.00	0.00 (-)80.00
(6)	98 नाबाई पोषित			
	मूल	2,00.00	2,00.00	0.00 (-)2,00.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

**अनुदान सं० 29 औद्योगिक विकास क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
-----------------	------------------------	------------------	---------------------------------------

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**2401 फसल कृषि कर्म**

00

119 बागवानी और सब्जियों की फसलें

(1) 06 चाय विकास योजना

मूल 7,00.00

पूरक 2,00.00 10,50.00 10,50.00 0.00

पुनर्वि० 1,50.00

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 21 मार्च 2018 को ₹ 1,50.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

(2) 13 मशरूम उत्पादन एवं विपणन योजना

मूल 31.73 31.73 41.39 (+)9.66

(3) 18 भेषज कृषि विकास

मूल 15.00

41.11 40.73 (-)0.38

पुनर्वि० 26.11

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 20 मार्च 2018 को ₹ 26.11 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (2) पर अंतिम आधिक्य तथा क्रम संख्या (3) पर अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018) |

**राजस्व:**

**भारित-**

(vii) ₹ 1.73 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |

**पूजीगत:**

**दत्तमत-**

**अनुदान सं० 29 औद्योगिक विकास समाप्त.**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(viii) ₹ 1,45.51 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी |

(ix) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

**4401 फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय**

00

119 बागवानी और सब्जियों की फसलें

98 नाबार्ड

मूल	8,00.00	8,00.00	0.00	(-)8,00.00
-----	---------	---------	------	------------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018) |

(x) आधिक्य निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**4401 फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय**

00

119 बागवानी और सब्जियों की फसलें

04 रोग रहित आलू के बीज/कीटनाशकों की लागत

मूल	0.00	0.00	6,54.49	(+)6,54.49
-----	------	------	---------	------------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018) |



अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में )
------------------	------------	---------------	----------------------------------------

राजस्व:

2202	सामान्य शिक्षा		
2203	तकनीकी शिक्षा		
2204	खेल कूद तथा युवा सेवाएं		
2205	कला तथा संस्कृति		
2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य		
2211	परिवार कल्याण		
2215	जल पूर्ति तथा सफाई		
2217	शहरी विकास		
2220	सूचना तथा प्रचार		
2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण		
2230	श्रम एवं रोजगार		
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		
2401	फसल कृषि कर्म		
2403	पशु पालन		
2404	डेरी विकास		
2405	मछली पालन		
2406	वानिकी तथा वन्य जीवन		
2425	सहकारिता		
2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम		
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम		
2801	बिजली		
2810	नई एवं नवीनीकरणीय उर्जा		
2851	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग		
3452	पर्यटन		

दत्तमत-

मूल	8,57,26,61		
		10,06,20,97	7,61,08,62 (-)2,45,12,35
पूरक	1,48,94,36		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)			8,13,58

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 61,07 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में )
-----------------	------------	---------------	----------------------------------------

पूँजीगत:

4202	शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय		
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय		
4211	परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय		
4215	जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय		
4217	शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय		
4225	अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय		
4235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय		
4403	पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय		
4406	वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय		
4515	अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय		
4700	मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय		
4702	लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय		
4711	बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय		
4801	विद्युत परियोजना श्रोत पर पूँजीगत परिव्यय		
5054	सड़क तथा सेतु पर पूँजीगत परिव्यय		
5055	सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय		
6801	बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज		

दत्तमत-

मूल	2,63,24,93		
		3,06,23,93	2,44,35,21 (-)61,88,72
पूरक	42,99,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)			1,28,71

अनुदान के पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 3,82,92 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 2,45,12.35 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 8,13.58 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।

**अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...**

<b>क्रम. शीर्ष सं०</b>	<b>कुल अनुदान</b>	<b>वास्तविक व्यय</b>	<b>आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)</b>
------------------------	-------------------	----------------------	-----------------------------------------------

(ii) ₹ 2,45,12.35 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 1,48,94.36 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2012-13	5,07,17.37	3,92,78.56	1,14,38.81
2013-14	6,47,89.74	4,37,88.93	2,10,00.81
2014-15	11,25,38.01	8,55,88.08	2,69,49.93
2015-16	12,70,86.46	7,80,47.80	4,90,38.66
2016-17	12,41,11.21	6,98,90.43	5,42,20.78

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**2202 सामान्य शिक्षा**

*02 माध्यमिक शिक्षा*

105 शिक्षकों का प्रशिक्षण

(1) 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल	50.00			
		45.00	45.00	0.00
पुनर्वि०	(-5.00)			

दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 5.00 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्यय के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।

800 अन्य व्यय

(2) 03 9वीं से 12वीं तक के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए निशुल्क पाठ्य

पुस्तक				
मूल	2,00.00	2,00.00	1,20.52	(-)79.48

*03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा*

001 निदेशन तथा प्रशासन

(3) 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं

मूल	3,50.00	3,50.00	24.88	(-)3,25.12
-----	---------	---------	-------	------------

103 राजकीय कालेज तथा संस्थान

**अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(4)	03 प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु प्रशिक्षण मूल	40.00	40.00	33.49 (-)6.51
<b>2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य</b>				
06 लोक स्वास्थ्य				
101 रोगों का निवारण तथा नियन्त्रण				
(5)	99 राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन मूल	2,00.00	2,00.00	1,52.00 (-)48.00
<b>2217 शहरी विकास</b>				
03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास				
191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता				
(6)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	17,00.00	17,00.00	51.00 (-)16,49.00
(7)	03 नगरों का सामेकित विकास मूल	1,00.00	1,00.00	54.39 (-)45.61
800 अन्य व्यय				
(8)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल	4,20.02	4,20.02	1,28.07 (-)2,91.95
<b>2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण</b>				
01 अनुसूचित जातियों का कल्याण				
001 निदेशन तथा प्रशासन				
(9)	07 एस.सी.पी/टी.एस.पी नियोजन प्रकोष्ठ का अधिष्ठान मूल	84.92	84.92	69.60 (-)15.32
(10)	08 अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग का अधिष्ठान व्यय मूल	56.99	56.99	49.81 (-)7.18

**अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
<b>277 शिक्षा</b>			
(11)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं		
	मूल	1,37,30.00	1,37,30.00
			90,02.47
			(-)47,27.53
(12)	03 औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन		
	मूल	2,89.63	2,89.63
			2,38.27
			(-)51.36
(13)	06 अनुसूचित जातियों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन		
	मूल	4,16.57	4,16.57
			3,57.04
			(-)59.53
(14)	07 अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिए विभिन्न सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण योजना		
	मूल	40.00	
			31.55
			10.48
			(-)21.07
	पुनर्वि०	(-)8.45	
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन के द्वारा दिनांक 29 मार्च 2018 को ₹ 8.45 लाख की कमी योजना के अंतर्गत हुई बचत के कारण की गई ।		
(15)	12 अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास		
	मूल	2,16.32	2,16.32
			1,64.54
			(-)51.78
(16)	16 कक्षा 1 से 10 तक के तथा औद्योगिक प्रशिक्षण के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति		
	मूल	20,00.00	20,00.00
			6,65.24
			(-)13,34.76
(17)	18 अनुसूचित जातियों के छात्रों हेतु आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना		
	मूल	1,09.05	1,09.05
			89.11
			(-)19.94
<b>283 भवन</b>			
(18)	02 अटल आवास योजना		
	मूल	3,00.00	3,00.00
			1,00.00
			(-)2,00.00
<b>2230 श्रम एवं रोजगार</b>			
<b>02 रोजगार सेवाएं</b>			

**अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
101 रोजगार सेवार्ये			
(19) 02 शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों की स्थापना			
मूल	64.54	64.54	50.87 (-)13.67
03 प्रशिक्षण			
003 दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण			
(20) 02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण			
मूल	3,56.00	3,56.00	86.87 (-)2,69.13
<b>2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण</b>			
02 समाज कल्याण			
102 बाल कल्याण			
(21) 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
मूल	45,43.00	45,43.00	22,87.38 (-)22,55.62
60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
800 अन्य व्यय			
(22) 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
मूल	26,40.00	26,40.00	22,87.79 (-)3,52.21
<b>2401 फसल कृषि कर्म</b>			
00			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
(23) 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
मूल	39,36.05		
		33,66.08	16,13.20 (-)17,52.88
पुनर्वि०	(-)5,69.97		
प्रावधान में पुनर्विनियोजन के द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर 2017 को ₹ 84.99 लाख, दिनांक 16 फरवरी 2018 को ₹ 58.70 लाख, दिनांक 28 मार्च 2018 को ₹ 84.99 लाख दिनांक 29 मार्च 2018 को ₹ 1,09.79 लाख तथा अभ्यर्पण के द्वारा दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 2,31.50 लाख की कमी का कारण निधि का उपयोग न होना बताया गया			
114 तिलहन विकास			

**अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )	
(24)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	30.00	22.55	3.77	(-)18.78
	पुनर्वि० दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 7.45 लाख के अभ्यर्पण का कारण निधि का उपयोग न होना बताया गया	(-)7.45			
(25)	119 बागवानी और सब्जियों की फसलें 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	7,70.00	7,70.00	2,77.20	(-)4,92.80
<b>2403 पशु पालन</b>					
00					
(26)	101 पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	2,81.95	51.80	51.80	0.00
	पुनर्वि० दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 2,30.15 लाख के अभ्यर्पण का कारण भारत सरकार से निधि का प्राप्त न होना तथा निधि का वास्तविक भुगतान किया जाना बताया गया	(-)2,30.15			
(27)	106 अन्य पशुधन विकास 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल	5,56.50	3,48.92	3,48.91	(-)0.01
	पुनर्वि० दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 2,07.58 लाख के अभ्यर्पण का कारण जिला सैक्टर की योजना होने तथा जनपदों में ट्रांसपोर्ट से हुई बचत का होना बताया गया	(-)2,07.58			
<b>2404 डेरी विकास</b>					
00					
	102 डेयरी विकास परियोजनाएं				

**अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(28)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल	4,20.00	4,20.00	3,39.53 (-)80.47
<b>2405 मत्स्य पालन</b>				
00				
101 अन्तर्देशीय मछली पालन				
(29)	03 मत्स्य पालन सम्बन्धी कार्यक्रम मूल	1,00.00	80.12	80.12 0.00
	पुनर्वि० दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 19.88 लाख के अभ्यर्पण का कारण योजना के अंतर्गत बचत का होना बताया गया	(-)19.88		
<b>2406 वानिकी तथा वन्य जीवन</b>				
04 वन रोपण तथा पारिस्थितिकी विकास				
101 राष्ट्रीय वनरोपण तथा पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम				
(30)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	1,20.01	1,20.01	1,00.00 (-)20.01
<b>2425 सहकारिता</b>				
00				
108 अन्य सहकारी समितियों का सहायता				
(31)	03 सहकारी विभाग की सहकारी उपभोक्ता समितियों को सहायता मूल	3,00.00	3,00.00	2,20.28 (-)79.72
<b>2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम</b>				
01 समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम				
003 प्रशिक्षण				
(32)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	90,00.03	90,05.03	59,27.21 (-)30,77.82
	पूरक	5.00		
800 अन्य व्यय				



**अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(33) 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
मूल	40,00.00		
	53,09.30	7,92.08	(-)45,17.22
पूरक	13,09.30		

**2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम**

00

102 सामुदायिक विकास

(34) 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पोशल कम्पोनेन्ट प्लान			
मूल	11,20.03	11,20.03	10,00.00
			(-)1,20.03

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

**2202 सामान्य शिक्षा**

02 माध्यमिक शिक्षा

109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय

(1) 03 बालक एवं बालिका			
मूल	1,00.00	1,00.00	0.00
			(-)1,00.00

03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा

800 अन्य व्यय

(2) 02 इंजीनियरिंग व मेडिकल कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु लैपटॉप वितरण			
मूल	10.00	10.00	0.00
			(-)10.00
वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

80 सामान्य

003 प्रशिक्षण

(3) 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
मूल	20.00	20.00	0.00
			(-)20.00

**अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
<b>2203 तकनीकी शिक्षा</b>			
	00		
	112 इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान		
(4)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	2,00.00	2,00.00
			0.00
			(-)2,00.00
(5)	04 इंजी० कॉलेज, द्वाराहाट, अल्मोडा को सहायक अनुदान		
	मूल	20.00	20.00
			0.00
			(-)20.00
<b>2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण</b>			
	01 अनुसूचित जातियों का कल्याण		
	001 निदेशन तथा प्रशासन		
(6)	06 राज्य समाज कल्याण सलाहाकार बोर्ड (50 प्रतिशत के०पो०)		
	मूल	20.00	20.00
			0.00
			(-)20.00
	102 आर्थिक विकास		
(7)	04 अनुसूचित जातियों हेतु आजीविका अवसर प्रोत्साहन योजना		
	मूल	40.00	40.00
			0.00
			(-)40.00
(8)	05 शिल्पी ग्राम योजना		
	मूल	25.00	25.00
			0.00
			(-)25.00
(9)	08 सफाई कर्मचारियों की सीवर एवं सेफ्टीक टैंक की सफाई करते समय मृत्यु होने पर अनुदान		
	मूल	20.00	
			14.00
			0.00
			(-)14.00
	पुनर्वि०	(-)6.00	
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन के द्वारा दिनांक 20 मार्च 2018 को ₹ 6.00 लाख की कमी योजना के अंतर्गत बचत के कारण की गई ।		
	793 अनुसूचित जाति की संघटक योजना के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता		
(10)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं		
	मूल	5,00.00	5,00.00
			0.00
			(-)5,00.00

**अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )		
<b>2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण</b>					
60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम					
800 अन्य व्यय					
(11)	04 आदिम जनजाति आदि हेतु जनश्री योजना के अधीन बीमा कम्पनी को प्रीमियम मूल	8.00	8.00	0.00	(-)8.00
	वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।				
<b>2403 पशु पालन</b>					
00					
104 भेड़ तथा ऊन विकास					
(12)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल	8.33			
			0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)8.33			
107 चारा और चारागाह विकास					
(13)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल	71.33			
			0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)71.33			
<b>2406 वानिकी तथा वन्य जीवन</b>					
01 वानिकी					
101 वन संरक्षण विकास तथा सम्पोषण					
(14)	01 केन्द्रीय पुरोनिधानित मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00
	वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।				
<b>2425 सहकारिता</b>					
00					
108 अन्य सहकारी समितियों का सहायता					

**अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(15) 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल	1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
(16) 05 सहकारी क्रय-विक्रय योजनान्तर्गत सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता मूल	20.00	20.00	0.00 (-)20.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

(vi) बिना बजट प्रावधान के व्यय निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुईं।

**2203 तकनीकी शिक्षा**

00

800 अन्य व्यय

97 बाह्य सहायतित परियोजनाएँ

मूल	0.00	0.00	5.73	(+)5.73
-----	------	------	------	---------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत निधि के प्रावधान के बिना व्यय के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

(vii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुईं:

**2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण**

01 अनुसूचित जातियों का कल्याण

277 शिक्षा

(1) 19 पुस्तकालयों, छात्रावासों और पाठशालाओं हेतु सहायता

मूल	80.00	1,02.45	1,26.48	(+)24.03
-----	-------	---------	---------	----------

पुनर्वि० 22.45

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 29 मार्च 2018 को ₹ 22.45 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

**2401 फसल कृषि कर्म**

00

109 विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण

**अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

(2) 01 केन्द्रीय पुरोनिधानित/प्रायोजित योजनाएँ			
मूल	4,00.03		
		7,14.53	7,09.74
			(-)4.79

पुनर्वि० 3,14.50

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर 2017 को ₹ 84.99 लाख, दिनांक 16 फरवरी 2018 को ₹ 58.70 लाख, दिनांक 28 मार्च 2018 को ₹ 84.99 लाख तथा दिनांक 29 मार्च 2018 को ₹ 1,09.79 लाख की वृद्धि अन्य व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई | दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 23.97 लाख के अभ्यर्पण का कारण निधि का उपयोग न होना बताया गया |

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1) पर अंतिम आधिक्य तथा क्रम संख्या (2) पर अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

**पूँजीगत:  
दत्तमत-**

- (viii) ₹ 61,88.72 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 1,28.71 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके |
- (xi) ₹ 61,88.72 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 42,99.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (x) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2012-13	3,61,59.89	1,57,89.06	2,03,70.83
2013-14	5,41,25.81	2,40,31.47	3,00,94.34
2014-15	5,67,29.30	2,67,61.75	2,99,67.55
2015-16	3,12,68.66	1,77,91.75	1,34,76.91
2016-17	3,25,23.18	2,07,27.58	1,17,95.60

- (xi) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**4202 शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय**

01 सामान्य शिक्षा

202 माध्यमिक शिक्षा

**अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(1)	02 अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल	2,50.00	2,50.00	32.41 (-)2,17.59
<b>4215 जल आपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय</b>				
<i>01 जल आपूर्ति</i>				
(2)	102 ग्रामीण जल आपूर्ति 02 हैण्ड पम्पों की स्थापना मूल	3,00.00	3,00.00	1,48.64 (-)1,51.36
<i>02 मल-जल तथा सफाई</i>				
(3)	105 स्वच्छता सेवाएँ 01 केन्द्रीय पुरोनिधानित/प्रायोजित योजनाएँ मूल	50,00.00	65,00.00	50,00.00 (-)15,00.00
	पूरक	15,00.00		
<b>4406 वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय</b>				
<i>01 वानिकी</i>				
(4)	101 वन संरक्षण, संवर्धन और विकास 04 बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण मूल	1,00.00	1,00.00	31.65 (-)68.35
<b>4515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय</b>				
<i>00</i>				
(5)	102 सामुदायिक विकास 02 अनुसूचित जनजाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल	13,50.00	13,50.00	10,33.25 (-)3,16.75
<b>4711 बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय</b>				
<i>01 बाढ़ नियंत्रण</i>				
	103 सिविल निर्माण कार्य			

**अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(6)	02 अनुसूचित जनजाति के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान मूल	1,00.00	1,00.00	64.20 (-35.80)
<b>4801 विद्युत परियोजना श्रोत पर पूंजीगत परिव्यय</b>				
<i>05 पारेषण एवं वितरण</i>				
(7)	190 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश 97 बाह्य सहायतित परियोजनाएं मूल	5,00.00	5,00.00	85.83 (-4,14.17)
<b>5054 सड़क तथा सेतु पर पूंजीगत परिव्यय</b>				
<i>04 जिला तथा अन्य सड़कें</i>				
337 सड़क निर्माण कार्य				
(8)	02 अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान मूल	42,80.00	41,55.17	36,68.25 (-4,86.92)
	पुनर्वि०	(-1,24.83		
	दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 1,24.83 लाख के अभ्यर्पण का कारण योजना के अंतर्गत बचत का होना बताया गया			
<b>6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज</b>				
<i>05 पारेषण एवं वितरण</i>				
(9)	190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश 97 बाह्य सहायतित योजना मूल	10,00.00	10,00.00	92.00 (-9,08.00)
	उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)			

(xii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

**4202 शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय**

*02 तकनीकी शिक्षा*

105 इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान

**अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(1)	04 तकनीकी विश्वविद्यालय को अनुदान मूल 50.00	50.00	0.00 (-)50.00
	वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		
	03 खेलकूद तथा युवा सेवा		
	102 खेलकूद स्टेडियम		
(2)	04 स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण (नए कार्य) मूल 50.00	50.00	0.00 (-)50.00
	वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		
	04 कला और संस्कृति		
	800 अन्य व्यय		
(3)	03 कला और संस्कृति का संवर्द्धन मूल 15.00	15.00	0.00 (-)15.00
	4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय		
	02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति		
	104 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र		
(4)	03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना मूल 1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
	वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		
	110 अस्पताल तथा औषधालय		
(5)	02 अनुसूचित जातियों हेतु स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल 1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
	वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		
(6)	03 शव गृहों का निर्माण मूल 20.00	20.00	0.00 (-)20.00
	वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		



**अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(7)	04 अनावासीय भवनों का निर्माण		
	मूल 50.00	50.00	0.00 (-)50.00
	वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
	800 अन्य व्यय		
(8)	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान		
	मूल 30.00	30.00	0.00 (-)30.00
	वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
	03 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान		
	105 एलोपैथी		
(9)	06 अल्मोडा में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु बेस चिकित्सालय का उच्चीकरण		
	मूल 1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
	वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
(10)	07 एम्स की स्थापना हेतु आधारभूत संरचना के लिए राज्य सरकार की सहायता		
	मूल 2,00.00	2,00.00	0.00 (-)2,00.00
	वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
	4211 परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय		
	00		
	101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवा		
(11)	03 उपकेन्द्र के लिए भवनों का निर्माण		
	मूल 50.00	50.00	0.00 (-)50.00
	वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे		
	4217 शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय		
	03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास		
	800 अन्य व्यय		

**अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(12)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 1,50.00	1,50.00	0.00 (-)1,50.00
	वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		
(13)	02 खुशी राम भूमिहीन आवास योजना मूल 40.00	40.00	0.00 (-)40.00
	वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		
<b>4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
<i>01 अनुसूचित जातियों का कल्याण</i>			
190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
(14)	03 स्वरोजगार के लिए अनुसूचित जाति विकास निगम शेयर कैपिटल मूल 30.00	30.00	0.00 (-)30.00
	वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		
277 शिक्षा			
(15)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 50.00	50.00	0.00 (-)50.00
	वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		
(16)	05 अनुसूचित जातियों के बालक/बालिकाओं हेतु प्रत्येक जनपद में आवासीय विद्यालय का निर्माण मूल 1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00
	वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।		
800 अन्य व्यय			
(17)	08 मुंशी एच०पी० टम्टा की स्मृति में मल्टी शिल्प संस्थान गुरुन्दिबाज का निर्माण मूल 1,00.00	1,00.00	0.00 (-)1,00.00

**अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
<b>4406 वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
01 वानिकी			
101 वन संरक्षण, संवर्धन और विकास			
(18)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें		
	मूल	1,00.01	1,00.01
		0.00	(-)1,00.01
<b>4515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
00			
102 सामुदायिक विकास			
(19)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें		
	मूल	2,00.01	2,00.01
		0.00	(-)2,00.01
<b>4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
06 निर्माणाधीन सिंचाई नहरें/ अन्य योजनाएं			
800 अन्य व्यय			
(20)	02 अन्य रख-रखाव व्यय		
	मूल	1,00.00	1,00.00
		0.00	(-)1,00.00
<b>4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
00			
800 अन्य व्यय			
(21)	02 अनुसूचित जनजाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान		
	मूल	2,00.00	2,00.00
		0.00	(-)2,00.00
<b>5055 सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
00			
800 अन्य व्यय			
(22)	03 देहरादून में चालक परीक्षण संस्थान में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए शूल्क रहित प्रशिक्षण		
	मूल	30.00	30.00
		0.00	(-)30.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

**अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण समाप्त.**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(xiii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**4202 शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय**

*01 सामान्य शिक्षा*

201 प्रारम्भिक शिक्षा भवन-

(1) 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं

मूल	10,00.00			
पूरक	4,50.00	15,50.00	15,50.00	0.00
पुनर्वि०	1,00.00			

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 20 मार्च 2018 को ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई |

**4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय**

*00*

800 अन्य व्यय

(2) 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं

मूल	2,00.00	2,00.00	2,13.02	(+)13.02
-----	---------	---------	---------	----------

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (2) पर अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018) |

**अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण**

मुख्य लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में )
------------------	------------	------------------	----------------------------------------

**राजस्व:**

2202	सामान्य शिक्षा		
2203	तकनीकी शिक्षा		
2204	खेल कूद तथा युवा सेवाएं		
2205	कला तथा संस्कृति		
2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य		
2211	परिवार कल्याण		
2215	जलापूर्ति तथा सफाई		
2217	शहरी विकास		
2220	सूचना तथा प्रचार		
2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण		
2230	श्रम एवं रोजगार		
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		
2401	फसल कृषि कर्म		
2403	पशु पालन		
2404	डेरी विकास		
2405	मछली पालन		
2406	वानिकी तथा वन्य जीवन		
2425	सहकारिता		
2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम		
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम		
2810	नई एवं नवीनीकरणीय उर्जा		
2851	ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग		
3452	पर्यटन		

**दत्तमत-**

मूल	2,77,60,66			
		3,15,42,40	2,25,08,42	(-)90,33,98
पूरक	37,81,74			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)				5,23,99

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 79,52 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में )
-----------------	------------	---------------	----------------------------------------

पूँजीगत:

4202	शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय		
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय		
4215	जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय		
4217	शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय		
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय		
4403	पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय		
4406	वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय		
4408	खाद्य भण्डारण तथा भण्डार गृह पर पूँजीगत परिव्यय		
4515	अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय		
4700	मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय		
4702	लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय		
4711	बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय		
4801	विद्युत परियोजना श्रोत पर पूँजीगत परिव्यय		
5054	सड़क तथा सेतु पर पूँजीगत परिव्यय		
5055	सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय		
6801	बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज		

दत्तमत-

मूल	89,45,63			
		1,09,16,63	72,51,67	(-) 36,64,96
पूरक	19,71,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च 2018)				1,49,02

अनुदान के पूँजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 16,00,00 हजार नहीं लिए गये हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गये थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अंत तक नहीं हुई (परिशिष्ट-I)।

टिप्पणियां एवं टीकार्यें

राजस्व:

दत्तमत-

- ₹ 90,33.98 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 5,23.99 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- ₹ 90,33.98 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 37,81.74 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

**अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...**

<b>क्रम. शीर्ष सं०</b>	<b>कुल अनुदान</b>	<b>वास्तविक व्यय</b>	<b>आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )</b>
------------------------	-------------------	----------------------	------------------------------------------------

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2012-13	1,53,53.68	1,16,85.39	36,68.29
2013-14	1,91,48.57	1,32,49.97	58,98.60
2014-15	2,94,23.92	1,98,65.23	95,58.69
2015-16	3,12,91.70	1,95,06.70	1,17,85.00
2016-17	3,44,48.80	2,06,33.71	1,38,15.09

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**2202 सामान्य शिक्षा**

*01 प्रारम्भिक शिक्षा*

800 अन्य व्यय

(1)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
	मूल	10,00.01		
			25,00.01	17,61.66
	पूरक	15,00.00		(-7,38.35)

*02 माध्यमिक शिक्षा*

796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना

(2)	03 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना			
	मूल	1,16.95		
			1,39.90	1,25.33
	पूरक	22.95		(-14.57)

800 अन्य व्यय

(3)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	8,45.40		
			10,45.40	4,98.27
	पूरक	2,00.00		(-5,47.13)

(4)	03 9वीं से 12वीं कक्षा तक के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक			
	मूल	1,00.00	1,00.00	17.49
				(-82.51)

**अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
<b>03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा</b>			
800 अन्य व्यय			
(5)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना		
	मूल	1,00.00	1,00.00
			51.21
			(-)48.79
<b>2203 तकनीकी शिक्षा</b>			
00			
105 बहु शिल्प (पालीटेक्निकल) विद्यालय			
(6)	03 सामान्य पोलटेक्निक		
	मूल	29.00	29.00
			23.51
			(-)5.49
<b>2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य</b>			
03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ - पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति			
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(7)	05 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना		
	मूल	19.01	19.01
			13.97
			(-)5.04
04 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ			
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(8)	05 कालसी देहरादून में होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना		
	मूल	20.27	
			35.27
			22.36
			(-)12.91
	पूरक	15.00	
06 लोक स्वास्थ्य			
101 रोगों का निवारण तथा नियन्त्रण			
(9)	99 राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन पीपीपी		
	मूल	1,00.00	1,00.00
			32.00
			(-)68.00
<b>2211 परिवार कल्याण</b>			
00			
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			



**अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )	
(10)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल	6,27.24	6,27.24	2,77.10	(-)3,50.14
	<b>2215 जल पूर्ति तथा सफाई</b>				
	01 जलापूर्ति				
	102 ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम				
(11)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल	2,50.00	2,50.00	1,09.70	(-)1,40.30
	<b>2217 शहरी विकास</b>				
	03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास				
	191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता				
(12)	03 नगरों का सामेकित विकास मूल	50.00	50.00	9.05	(-)40.95
	800 अन्य व्यय				
(13)	01 केन्द्रीय आयोजनागत, केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल	1,70.11	1,70.11	27.33	(-)1,42.78
	<b>2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण</b>				
	02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
(14)	04 उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति आयोग का अधिष्ठान मूल	38.30	63.15	36.59	(-)26.56
	पूरक	24.85			
(15)	05 जनजाति सलाहकार परिषद मूल	13.51	24.37	13.09	(-)11.28
	पूरक	10.86			

**अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
	277 शिक्षा			
(16)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	34,00.00	34,00.00	15,82.71 (-)18,17.29
(17)	03 अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास तथा रखरखाव मूल	1,39.77		
	पूरक	14.30	1,53.87	1,33.03 (-)20.84
	पुनर्वि०	(-)0.20		
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन के द्वारा दिनांक 15 मार्च 2018 को ₹ 0.20 लाख की कमी व्ययावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान में हुई बचत के कारण की गई			
(18)	04 अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का रखरखाव मूल	20,29.33		
	पूरक	2,90.87	23,19.50	19,75.56 (-)3,43.94
	पुनर्वि०	(-)0.70		
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन के द्वारा दिनांक 15 मार्च 2018 को ₹ 0.70 लाख की कमी व्ययावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान में हुई बचत के कारण की गई			
(19)	05 अनुसूचित जनजातियों के कक्षा 1 से 10 तक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता मूल	3,50.00	3,50.00	98.06 (-)2,51.94
	283 भवन			
(20)	02 अटल आवास योजना मूल	1,50.00	1,50.00	63.09 (-)86.91
	794 जन-जाति उपयोजना के लिए विशेष सहायता			
(21)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल	4,00.00	4,00.00	2,15.20 (-)1,84.80
	2230 श्रम एवं रोजगार			
	02 रोजगार सेवाएं			

**अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(22)	01 शिक्षण/मार्गदर्शन केन्द्र की स्थापना			
	मूल	77.60	77.60	52.34 (-)25.26
	03 प्रशिक्षण			
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(23)	03 दस्तकार प्रशिक्षण योजना			
	मूल	1,90.50	1,90.50	94.53 (-)95.97
	<b>2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण</b>			
	02 समाज कल्याण			
	796 जनजाति क्षेत्र उप योजना			
(24)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
	मूल	14,39.30		
			14,71.30	9,77.40 (-)4,93.90
	पूरक	32.00		
	60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
	800 अन्य व्यय			
(25)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	8,20.00	8,20.00	3,71.68 (-)4,48.32
	<b>2401 फसल कृषि कर्म</b>			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
(26)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	11,60.05		
			5,09.99	2,69.57 (-)2,40.42
	पुनर्वि०	(-)6,50.06		
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन के द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर 2017 को ₹ 14.24 लाख, दिनांक 16 फरवरी 2018 को ₹ 37.01 लाख, दिनांक 29 मार्च 2018 को ₹ 1,42.01 लाख तथा अभ्यर्पण के द्वारा दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 4,56.80 लाख की कमी सामग्री एवं सम्पूर्ति तथा सहायक अनुदान में हुई बचत के कारण की गई।			

**अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
119	बागवानी और सब्जियों की फसलें			
(27)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	2,20.00	2,20.00	46.20
				(-),173.80
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(28)	12 केन्द्रपोषित कैटिलिटिक योजना			
	मूल	40.00	40.00	24.37
				(-),15.63
31	रास्ट्रीय सूक्ष्म सिचाई योजना			
(29)	मूल	40.00	40.00	24.00
				(-),16.00
<b>2404 डेरी विकास</b>				
	00			
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(30)	01 डेयरी विकास			
	मूल	20.00	20.00	7.13
				(-),12.87
<b>2405 मछली पालन</b>				
	00			
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(31)	03 राजी, थारू, बोक्स जनजातियों के लिए फिस फार्मिंग			
	मूल	60.00		
			34.79	34.79
				0.00
	पुनर्वि०	(-),25.21		
	दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 25.21 लाख के अभ्यर्पण का कारण योजना के अंतर्गत बचत का होना बताया गया			
<b>2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम</b>				
	01 समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम			
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोगना			
(32)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
	मूल	25,00.02		
			29,99.39	17,90.43
				(-),12,08.96
	पूरक	4,99.37		

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत क्रम संख्या (1) से (30) एवं (32) पर अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018) |

**अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

**2202 सामान्य शिक्षा**

*02 माध्यमिक शिक्षा*

109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय

(1)	02 बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (साईकिल) योजना			
	मूल	50.00	50.00	0.00
				(-)50.00

*03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा*

796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना

(2)	05 इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कक्षाओं में अध्ययनरत वी.पी.एल. विद्यार्थियों हेतु लेपटॉप वितरण योजना			
	मूल	10.00	10.00	0.00
	वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			(-)10.00

*80 सामान्य*

003 प्रशिक्षण

(3)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	50.00	50.00	0.00
				(-)50.00

**2203 तकनीकी शिक्षा**

*00*

112 इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान

(4)	01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00
				(-)1,00.00

(5)	04 इंजी० कॉलेज, द्वाराहाट, अल्मोडा			
	मूल	20.00	20.00	0.00
	वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			(-)20.00

(6)	05 इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़ दौड़ी (पौड़ी)			
	मूल	20.00	20.00	0.00
	वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			(-)20.00

अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )		
<b>2217 शहरी विकास</b>					
<i>03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास</i>					
191	स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार को सहायता		बोर्डों		
(7)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं				
	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00	(-),1,00.00
<b>2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण</b>					
<i>02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण</i>					
(8)	102 आर्थिक विकास				
	03 जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना				
	मूल	10.00	10.00	0.00	(-),10.00
(9)	04 शिल्पी ग्राम योजना				
	मूल	10.00	10.00	0.00	(-),10.00
(10)	05 अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए परियोजनाएं				
	मूल	50.00			
			27.44	0.00	(-),27.44
	पुनर्वि०	(-),22.56			
<p>प्रावधान में पुनर्विनियोजन के द्वारा दिनांक 21 नवम्बर 2017 को ₹ 2.38 लाख, दिनांक 04 दिसम्बर 2017 को ₹ 13.58 लाख, दिनांक 07 दिसम्बर 2017 को ₹ 0.93 लाख, दिनांक 05 जनवरी 2018 को ₹ 6.60 लाख तथा दिनांक 20 फरवरी 2018 को ₹ 1.45 लाख की कमी व्ययावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान में हुई बचत के कारण की गई   यद्यपि प्रावधान में पुनर्विनियोजन के द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर 2017 को ₹ 2.38 लाख की वृद्धि व्ययावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई  </p>					
(11)	06 बुक्सा और राजी जनजाति का विकास				
	मूल	80.00	80.00	0.00	(-),80.00

277 शिक्षा

**अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(12)	10 अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सिविल एवं एलायड सेवाओं हेतु परीक्षा पूर्व कोचिंग			
	मूल	40.00	40.00	0.00 (-)40.00
(13)	11 बुक्स जनजाति हेतु महाराजा जगत देव शिक्षा कोष			
	मूल	30.00	30.00	0.00 (-)30.00
(14)	12 थारू जनजाति हेतु चेतक शिक्षा प्रोत्साहन योजना			
	मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00
<b>2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम</b>				
	00			
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(15)	07 ग्रामीण आवास योजना ऋण सह अनुदान			
	मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00
(16)	10 दीन दयाल उत्तराखण्ड ग्रामीण आवास योजना			
	मूल	20.00	20.00	0.00 (-)20.00
(17)	11 पिछड़ा क्षेत्र हेतु निधि सहायता			
	मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00
<b>2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग</b>				
	00			
	105 खादी एवं ग्रामोद्योग			
(18)	01 अनुसूचित जनजाति उपयोजना			
	मूल	22.00	22.00	0.00 (-)22.00

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

(vi) बिना बजट प्रावधान के व्यय निम्न शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित हुई |

**2203 तकनीकी शिक्षा**

**अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

00

112 इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान

97 वाह्य सहायतित योजनाएं

मूल	0.00	0.00	2.87	(+)2.87
-----	------	------	------	---------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत निधि के प्रावधान के बिना व्यय के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

(vii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य**

03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ - पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति

796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना

(1) 03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना

मूल	54.23			
-----	-------	--	--	--

	69.98	93.95	(+)23.97
--	-------	-------	----------

पूरक	15.75		
------	-------	--	--

**2215 जल पूर्ति तथा सफाई**

02 मल निकासी एवं सफाई

105 सफाई सेवाएँ

(2) 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं

मूल	0.01			
-----	------	--	--	--

	3,00.01	3,33.33	(+)33.32
--	---------	---------	----------

पूरक	3,00.00		
------	---------	--	--

**2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण**

02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

001 निदेशन तथा प्रशासन

(3) 02 एकलव्य आवासीय विद्यालय का संचालन

मूल	1,33.03			
-----	---------	--	--	--

पूरक	13.32	1,59.93	1,53.47	(-)6.46
------	-------	---------	---------	---------

पुनर्वि०	13.58			
----------	-------	--	--	--

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 16 अक्टूबर 2017 को ₹ 13.58 लाख की वृद्धि व्ययावसायिक एवं विशेष सुविधाओं के भुगतान तथा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।



**अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
-----------------	------------	---------------	--------------------------------------

**2401 फसल कृषि कर्म**

00

109 विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण

(4) 01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 1,00.03

2,61.41 2,59.40 (-)2.01

पुनर्वि० 1,61.38

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 29 दिसम्बर 2017 को ₹ 14.24 लाख, दिनांक 16 फरवरी 2018 को ₹ 37.01 लाख, दिनांक 29 मार्च 2018 को ₹ 1,42.01 लाख की वृद्धि अन्य व्यय तथा सहायक अनुदान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई | यद्यपि दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 31.88 का अभ्यर्पण योजन के अंतर्गत हुई बचत के कारण किए गए |

उपरोक्त शीर्षों के क्रम संख्या (1) से (2) तक अंतिम आधिक्य तथा क्रम संख्या (3) से (4) के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018) |

**पूँजीगत:**

**दत्तमत-**

- (viii) ₹ 36,64.96 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 1,49.02 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके |
- (ix) ₹ 36,64.96 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2017 को प्राप्त ₹ 19,71.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए |
- (x) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अंतर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरंतर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	(₹ लाख में)	
		व्यय	बचत
2012-13	94,78.11	40,50.26	54,27.85
2013-14	1,40,38.97	58,79.13	81,59.84
2014-15	1,63,12.48	1,20,75.04	42,37.44
2015-16	1,17,20.32	55,68.66	61,51.66
2016-17	1,19,11.78	59,27.08	59,84.70

- (xi) बचत निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**4202 शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय**

**अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
<i>01 सामान्य शिक्षा</i>			
201 प्रारम्भिक शिक्षा भवन-			
(1)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं		
	मूल 3,00.01		
		3,28.01	(-)89.84
	पूरक 28.00		
202 माध्यमिक शिक्षा			
(2)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं		
	मूल 7,00.00		
	पूरक 2,60.00	9,59.70	(-)2,99.70
	पुनर्वि० (-)0.30		
	दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 0.30 लाख के अभ्यर्पण का कारण योजना के अंतर्गत बचत का होना बताया गया		
<b>4215 जल आपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
<i>01 जल आपूर्ति</i>			
102 ग्रामीण जल आपूर्ति			
(3)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं		
	मूल 2,50.00	2,50.00	(-)64.28
<i>02 मल-जल तथा सफाई</i>			
105 स्वच्छता सेवाएँ			
(4)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं		
	मूल 10,00.00		
		19,00.00	(-)12,49.20
	पूरक 9,00.00		
<b>4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
<i>02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण</i>			
277 शिक्षा			
(5)	07 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण में मौलिक सुविधाएं		
	मूल 1,00.00	1,00.00	(-)46.29

**अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
<b>4515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
00			
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(6)	02 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं		
	मूल	50.00	50.00
			7.00
			(-)43.00
<b>4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
06 निर्माणाधीन सिंचाई नहरों अन्य योजनाएं			
796 जनजाति क्षेत्र उपयोजना			
(7)	03 सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण		
	मूल	1,00.00	1,00.00
			9.89
			(-)90.11
<b>4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
00			
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(8)	02 सूक्ष्म सिंचाई योजना के अन्तर्गत जनजातीय विकास खण्डों में आर्टिजन वेल्स का निर्माण		
	मूल	50.00	50.00
			44.09
			(-)5.91
(9)	03 जनजातीय क्षेत्रों में गुल, हौज और पाइपलाइनों का निर्माण		
	मूल	60.00	60.00
			16.27
			(-)43.73
<b>4801 विद्युत परियोजना श्रोत पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
05 पारेषण एवं वितरण			
190 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश			
(10)	97 वाह्य सहायतित परियोजनाएं		
	मूल	1,50.00	1,50.00
			25.75
			(-)1,24.25
<b>5054 सड़क तथा सेतु पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
04 जिला तथा अन्य सड़कें			
796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
(11)	01 नया निर्माण कार्य		
	मूल	30.00	
			0.30
			0.29
			(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)29.70	
दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 29.70 लाख के अभ्यर्पण का कारण योजना के अंतर्गत बचत का होना बताया गया			

**अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

**5055 सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय**

00

800 अन्य व्यय

(12)	03 देहरादून में चालक परीक्षण संस्थान में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए शूल्क रहित प्रशिक्षण			
	मूल	10.00	10.00	3.33 (-)6.67

**6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज**

05 पारेषण एवं वितरण

796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना

(13)	97 बाह्य सहायतित योजना			
	मूल	3,00.00	3,00.00	27.60 (-)2,72.40

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

(xii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

**4202 शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय**

03 खेलकूद तथा युवा सेवा

102 खेलकूद स्टेडियम

(1)	03 इंडोर हाल व होस्टल का निर्माण			
	मूल	80.00		
			79.92	0.00 (-)79.92

पुनर्वि० (-)0.08

वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना

(2)	04 प्रादेशिक विकास दल			
	मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00

04 कला और संस्कृति

800 अन्य व्यय

**अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
(3)	02 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में जनमिलन केन्द्रों / सांस्कृतिक भवनों का निर्माण			
	मूल	70.00	70.00	0.00 (-)70.00

**4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय**

*03 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान*

796 जनजातीय क्षेत्र उपयोगना

(4)	03 नर्सिंग कालेज की स्थापना			
	मूल	20.00	20.00	0.00 (-)20.00
	वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			

(5)	04 नर्सिंग स्कूल की स्थापना			
	मूल	50.00	50.00	0.00 (-)50.00
	वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			

**4225 अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय**

*02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण*

190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

(6)	03 स्वरोजगार शेयर कैपिटल (49 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता)			
	मूल	51.00	51.00	0.00 (-)51.00
	वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			

277 शिक्षा

(7)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	11,00.00	11,00.00	0.00 (-)11,00.00

**4403 पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय**

00

101 पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य

**अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण क्रमशः...**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
-----------------	------------	---------------	---------------------------------------

(8)	04 पशु/जानवर सेवा केन्द्रों के भवनों का निर्माण मूल 25.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)25.00		0.00

वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे |

**4515 अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय**

00

102 सामुदायिक विकास

(9)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल 50.01	50.01	0.00	(-)50.01
	वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना

(10)	03 मेरा गाँव , मेरी सड़क मूल 1,00.00	1,00.00	0.00	(-)1,00.00
------	-----------------------------------------	---------	------	------------

**4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय**

00

796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना

(11)	05 डीप बोरिंग हेतु सहायक अनुदान मूल 27.50	27.50	0.00	(-)27.50
	वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे			

**4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय**

01 बाढ़ नियंत्रण

103 सिविल निर्माण कार्य

(12)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल 50.00	50.00	0.00	(-)50.00
------	-----------------------------------------------------------------------	-------	------	----------

**5055 सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय**

**अनुदान सं० 31 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण समाप्त.**

क्रम. शीर्ष सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में )
--------------------	------------	------------------	---------------------------------------

00

190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

(13)	03 उत्तराखण्ड परिवहन निगम को बस स्टैण्ड निर्माण हेतु सहायता अनुदान			
	मूल	10.00	10.00	0.00 (-)10.00
	वर्ष 2016-17 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे ।			

(xiii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अंतर्गत परिलक्षित हुई:

**4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय**

00

800 अन्य व्यय

(1)	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	0.01	0.01	3,03.32 (+)3,03.31

**5054 सड़क तथा सेतु पर पूंजीगत परिव्यय**

04 जिला तथा अन्य सड़कें

796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना

(2)	02 चालू कार्य			
	मूल	15,00.00		
	पूरक	7,00.00	21,68.19	22,68.28 (+)1,00.09
	पुनर्वि०	(-)31.81		

दिनांक 31 मार्च 2018 को ₹ 31.81 लाख के अभ्यर्पण का कारण योजना के अंतर्गत बचत का होना बताया गया । यद्यपि प्रावधान का अभ्यर्पण किया जाना तत्पश्चात अन्तिम आधिक्य का प्राप्त होना प्रावधान के त्रुटिपूर्ण आकलन को प्रदर्शित करता है ।

उपरोक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये (अगस्त 2018)।

## परिशिष्ट- I

(सन्दर्भ - विनियोग लेखे का सारांश पृष्ठ सं०-xii)

आकस्मिकता निधि से वर्ष 2017-2018 की अवधि में स्वीकृत अग्रिमों से किए गए व्यय जिनकी वर्ष के अंत तक निधि को प्रतिपूर्ति नहीं की गई, के ब्यौरे :-

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	मुख्य लेखा शीर्ष	अग्रिम से व्यय
			(₹ हजार में)
1	01	2011 - संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	1,96,02
2	04	4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	10,00,00
3	06	2245- प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत	4,86,74
4	07	2040- बिक्री व्यापार इत्यादि पर कर	81
5	07	2052- सचिवालय-सामान्य सेवाएं	6,07,76
6	07	4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय	3,95,57
7	10	2055 - पुलिस	2,54,28
8	11	2202 - सामान्य शिक्षा	25,94,22
9	11	2204- खेल कूद तथा युवा सेवायें	6,81
10	12	2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	31,56
11	12	4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	1,90,00
12	14	2220 सूचना तथा प्रसार	24,96,37
13	15	2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	90,00
14	17	2401 फसल कृषि कर्म	93,00
15	20	4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	12,00,00
16	20	4711 बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,50,20
17	22	5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत व्यय	1,12,33,06
18	30	2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	5,52
19	30	2403 पशु पालन	55,55
20	30	4215 जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	3,82,92
21	31	2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	79,52
22	31	5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत व्यय	16,00,00
<b>योग</b>			<b>2,31,49,91</b>



**परिशिष्ट- II**  
(सन्दर्भ: - पृष्ठ सं० - xiii तालिका )

वसूलियों के अनुमान और वास्तविक आंकड़ों का जिन्हें व्यय में से कटौती करके लेखाओं में समायोजित किया गया, अनुदानवार विवरण ।

क्रम संख्या	अनुदान	बजट	प्राक्कलन	
			राजस्व (₹ हजार में)	पूंजीगत
1	17-कृषि कर्म एवं अनुसंधान	...		30,00,00
2	18-सहकारिता	...		...
3	20-सिंचाई एवं बाढ़	...		...
4	22-लोक निर्माण कार्य	...		...
5	25-खाद्य	...		23,50,00,00
6	29-औद्योगिक विकास	...		15,00,00
	<b>योग</b>	...		<b>23,95,00,00</b>

वास्तविक		बजट प्राक्कलनों से वास्तविक तुलना	
		अधिक (+) कम (-)	
राजस्व (₹ हजार में)	पूंजीगत	राजस्व (₹ हजार में)	पूंजीगत
...	24,92,13	...	(-)5,07,87
...	1,15,93	...	(+)1,15,93
17,90	31,04,37	(+)17,90	(+)31,04,37
...	51,38,13	...	(+)51,38,13
...	6,10,56,32	...	(-)17,39,43,68
...	...	...	(-)15,00,00
<b>17,90</b>	<b>7,19,06,88</b>	<b>(+)17,90</b>	<b>(-)16,75,93,12</b>

## परिशिष्ट -III

संदर्भ: - टिप्पणी (viii), अनुदान-20)

उचंत लेन देन - सिंचाई विभाग - राजस्व प्रभाग

(लाख ₹ में)

शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को आदि शेष (नामे +) (जमा -)	नामे	जमा	निवल	वसूली 2017-18	31 मार्च 2018 को अंत शेष (नामे + जमा - वसूली) नामे (+) जमा (-)
2701- मध्यम सिंचाई						
उचंत स्टॉक	(+)83,25.17	(+)5.95	(-)0.37	(+)5.58	8.53	(+)83,22.22
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-)9.38	(+)1.91	...	(+)1.91	1.41	(-)8.88
कार्यशाला उचंत	(+)4,36.51	...	...	...	...	(+)4,36.51
<b>योग</b>	<b>(+)87,52.30</b>	<b>(+)7.86</b>	<b>(-)0.37</b>	<b>(+)7.49</b>	<b>9.94</b>	<b>(+)87,49.85</b>
2702-लघु सिंचाई						
उचंत स्टॉक	...	...	...	...	...	...
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	...	...	...	...	...	...
कार्यशाला उचंत	...	...	...	...	...	...
<b>योग</b>	<b>...</b>	<b>..</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>

## परिशिष्ट -IV

(सन्दर्भ: टिप्पणी (xvi), अनुदान 20)

उचंत लेन देन - सिंचाई - पूंजी प्रभाग

(लाख ₹ में)

शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को आदि शेष (नामे +) (जमा -)	नामे	जमा	निवल	वसूली 2017-18	31 मार्च 2018 को अंत शेष (नामे + जमा - वसूली) नामे (+) जमा (-)
4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय						
उचंत स्टॉक	(+)2,68,35.37	(+)30,08.03	(-)13.96	(+)29,94.07	29,45.65	(+)2,68,83.79
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(+)60,88.43	(+)39.37	...	(+)39.37	16.75	(+)61,11.05
<b>योग</b>	<b>(+)3,29,23.80</b>	<b>(+)30,47.40</b>	<b>(-)13.96</b>	<b>(+)30,33.44</b>	<b>29,62.40</b>	<b>(+)3,29,94.84</b>

4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय						
उचंत स्टॉक	(-)7.82	...	...	...	...	(-)7.82
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	...	...	...	...	...	...
<b>योग</b>	<b>(-)7.82</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>...</b>	<b>(-)7.82</b>

4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय						
उचंत स्टॉक	(+)5,46.15	(+)4,91.48	(-)4,00.75	(+)90.73	1,39.12	(+)4,97.76
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-)13.66	...	...	...	...	(-)13.66
कार्यशाला उचंत	...	...	...	...	...	...
<b>योग</b>	<b>(+)5,32.49</b>	<b>(+)4,91.48</b>	<b>(-)4,00.75</b>	<b>(+)90.73</b>	<b>1,39.12</b>	<b>(+)4,84.10</b>

## परिशिष्ट -V

(सन्दर्भ: टिप्पणी (xii), अनुदान-22)

उचंत लेन देन - लोक निर्माण विभाग

(लाख ₹ में)

शीर्ष	1 अप्रैल 2017 को आदि शेष (नामे+) (जमा-)	नामे	जमा	निवल	वसूली 2017-18	31 मार्च 2018 को अंत शेष (नामे + जमा) - वसूली
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय						
उचंत स्टॉक	(+) 1,63,35.19	(+) 25,55.33	(-) 34.58	(+) 25,20.75	27,49.87	(+) 1,61,06.07
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(+) 2,59,28.55	(+) 22,15.98	(-) 8.42	(+) 22,07.56	23,88.26	(+) 2,57,47.85
<b>योग</b>	(+) <b>4,22,63.74</b>	(+) <b>47,71.31</b>	(-) <b>43.00</b>	(+) <b>47,28.31</b>	<b>51,38.13</b>	(+) <b>4,18,53.92</b>

© भारत के नियंत्रक  
एवं महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

<http://agua.cag.gov.in>

[www.censer.in](http://www.censer.in) (M) 9810118199